

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जनवरी 2024—माघ 6, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2023

क्र. ई-5-1085- आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री चन्द्रमौली शुक्ला, भाप्रसे (2011) आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, भोपाल तथा आयुक्त, विमानन एवं संचालक, विमानन (अ.प्र.) तथा कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश, औद्योगिक विकास निगम, भोपाल, (अ. प्र.) को दिनांक 26 दिसम्बर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 23, 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 एवं 6, 7 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश सहित स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमौली शुक्ला, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, भोपाल तथा आयुक्त, विमानन एवं संचालक, विमानन (अ. प्र.) तथा कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, भोपाल (अ. प्र.) के पद पर पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमौली शुक्ला, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमौली शुक्ला, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-1136- आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा (भाप्रसे 2019) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बुरहानपुर को दिनांक 26 दिसम्बर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23, 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुरहानपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

403

(3) अवकाशकालमें श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-1175-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा (भाप्रसे 2019) अपर कलेक्टर, जिला हरदा को दिनांक 26 दिसम्बर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23, 24 दिसम्बर एवं 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकालमें डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2023

क्र. ई-1-233-2023-5-एक.—श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे (1990), उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि. क. अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

क्र. ई-5-1064-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अक्षय कुमार सिंह, भाप्रसे (2010), कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 11 से 15 दिसम्बर 2023 तक पाँच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 तथा 16, 17 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री अक्षय कुमार सिंह, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला ग्वालियर का प्रभार श्रीमती अंजू अरूण कुमार, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अक्षय कुमार सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अक्षय कुमार सिंह, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अंजू अरूण कुमार, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकालमें श्री अक्षय कुमार सिंह, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अक्षय कुमार सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2023

क्र. ई-5-766-आयएस-लीव-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2023 द्वारा श्री शोभित जैन, भाप्रसे (2000), सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, भोपाल को दिनांक 11 अक्टूबर से 16 नवम्बर 2023 तक 37 दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 17, 18 एवं 19 नवम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था।

(2) उपरोक्त अर्जित अवकाश में वृद्धि के फलस्वरूप श्री शोभित जैन, भाप्रसे, को अब दिनांक 11 अक्टूबर से 24 नवम्बर 2023 तक 45 दिन का अर्जित अवकाश (दिनांक 25, 26 एवं 27 नवम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2023

क्र. ई-5-607-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे (1992) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2023 तक दो दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23, 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे (1994) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता का अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-793-आयएस-लीव-5-एक.—डॉ. संजयगोयल, भाप्रसे, (2003), आयुक्त, उच्चजैन संभाग, उच्चजैन को दिनांक 18 से 29 दिसम्बर 2023 तक बारह दिन के अर्जित अवकाश (दिनांक 16, 17 दिसम्बर 2023 एवं 30, 31 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) पर रहने के फलस्वरूप उनकी अवकाश अवधि में आयुक्त, उच्चजैन संभाग, उच्चजैन का प्रभार श्री कुमार पुरूषोत्तम, भाप्रसे (2012), कलेक्टर, जिला उच्चजैन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2023

क्र. ई-5-913-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे (2011), कलेक्टर, जिला पन्ना को दिनांक 22 दिसम्बर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक पन्द्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6, 7 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला पन्ना का प्रभार श्री संघ प्रिय, भाप्रसे (2018), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, पन्ना को अस्थायी रूप सौंपा से तक जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री हरजिंदर सिंह, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला पन्ना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला पन्ना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संघ प्रिय, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री हरजिंदर सिंह, का अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरजिंदर सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरा राणा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2023

क्र. ई-1-235-2022-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा राज्य शासन की अनुशंसा पर श्री इकबाल सिंह बैस, भाप्रसे (1985), मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 1 दिसम्बर 2022 से 31 मई 2023 एवं दिनांक 1 जून 2023 से 30 नवम्बर 2023 तक सेवावृद्धि प्रदान की गई है।

(2) राज्य शासन श्री इकबाल सिंह बैस, भाप्रसे (1985), मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को उक्त सेवावृद्धि समाप्त होने के फलस्वरूप दिनांक 30 नवम्बर 2023 (अपराह्न) से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी व्ही रश्मि, सचिव 'कार्मिक'.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2024

आर. क्र. 61-1766724-2023-साप्रावि कक्ष (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्रीमती सुनीता यादव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम-पी. पी. एस. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी-5136-दो-1-11-2021, दिनांक 2 दिसम्बर 2023 के अनुक्रम में दिनांक 4 से 15 दिसम्बर 2023 तक 12 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति के साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 एवं 3 दिसम्बर 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

आर. क्र. 63-1759862-2023-साप्रावि कक्ष (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राज मोहन सिंह, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-8658-दो-1-18-2023, दिनांक 29 नवम्बर 2023 के अनुक्रम में दिनांक 8 से 9 नवम्बर 2023 तक 2 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत एवं दिनांक 10 से 19 नवम्बर 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक-एफ क्र. 31011-04-2008- Estt (ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

(2) माननीय न्यायाधिपति महोदय द्वारा अवकाश नगदीकरण का उपभोग किये जाने का यह तृतीय अवसर है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2024

क्र. एफ 1302707-2023-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (लेखा), पु. मु., भोपाल को दिनांक 8 से 25 जनवरी 2024 तक अठारह

दिवस अर्जित अवकाश अवधि में लंदन की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्रीमती अंशुमन अग्रवाल, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस उप महानिरीक्षक (लेखा), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2024

क्र. एफ 1(ए) 155-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अनिल कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, पु. मु., भोपाल को पारिवारिक कारणों से दिनांक 4 से 14 दिसम्बर 2023 तक ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 2-3 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2024

क्र. एफ 1(ए) 41-2021-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अरविन्द तिवारी, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रबन्ध,

पु. मु., भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 4 से 12 जनवरी 2024 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 जनवरी 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत अण्डमान निकोबार जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| 1. श्री अरविन्द तिवारी, | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती काकोली तिवारी | — | पत्नी |
| 3. श्री क्षितिज तिवारी | — | पुत्र |
| 4. श्री आदित्य तिवारी | — | पुत्र |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द तिवारी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रबन्ध, पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अरविन्द तिवारी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविन्द तिवारी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2024

फा. क्र. 5458-2021-इक्कीस-ब (एक)-2023.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2021 की चयन सूची दिनांक 22 फरवरी 2023 में निम्नलिखित 2 व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) के नियुक्ति आदेश को उनके द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 818-गोपनीय-2023, दिनांक 12 सितम्बर 2023 एवं आदेश क्रमांक 834-गोपनीय-2023, दिनांक 19 सितम्बर 2023 जो कि उनके द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम, ओरिएंटेशन प्रशिक्षण में भाग लेने एवं पदस्थापना आदेश प्राप्त किये जाने से संबंधित था के अपालन के कारण राज्य शासन, एतद्द्वारा, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2021 की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्रमांक से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है.

- | | |
|--|------------------|
| (1) सुश्री हर्षिता सिंह पुत्री स्व. श्री विनोद भाकुनी | मेरिट क्रमांक 27 |
| (2) सुश्री समृद्धि मिश्रा पुत्री श्री सर्वेश कुमार | मेरिट क्रमांक 70 |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश पाण्डव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2024

क्र. 184-इक्कीस-ब (एक), विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्याक 39) की धारा 11-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 1996 के नियम 17 (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट जिलों के अन्तर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (क 1994 का संख्याक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्याक 39) की धारा 11-क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्न अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तालुक / तहसील विधिक सेवा समिति के लिये, राज्य शासन एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिवक्ता के परामर्श से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट गठित तहसील के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट पदेन सदस्य एवं कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 2 वर्ष के लिए सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है :-

अनुसूची

| क्रमांक | जिले का नाम | प्रस्तावित तहसील समिति का नाम | पदेन सदस्य | नाम निर्देशन हेतु प्रस्तावित नाम |
|---------|-------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | बुरहानपुर | नेपानगर | 1. वरिष्ठतम न्यायाधीश 2. स्थानीय बार एसोसिएशन का अध्यक्ष 3. उपखंडीय अधिकारी 4. उपखंडीय पुलिस अधिकारी | श्री लखनलाल लोवंशी, समाजसेवी. |
| 2 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | 1. वरिष्ठतम न्यायाधीश 2. स्थानीय बार एसोसिएशन का अध्यक्ष 3. उपखंडीय अधिकारी 4. उपखंडीय पुलिस अधिकारी | श्री अशोक पटेल, अधिवक्ता. |
| 3 | छिन्दवाड़ा | हरई | 1. वरिष्ठतम न्यायाधीश 2. स्थानीय बार एसोसिएशन का अध्यक्ष 3. उपखंडीय अधिकारी 4. उपखंडीय पुलिस अधिकारी | श्री ओमप्रकाश चौकसे, अधिवक्ता. |
| 4 | छिन्दवाड़ा | तामिया | 1. वरिष्ठतम न्यायाधीश 2. स्थानीय बार एसोसिएशन का अध्यक्ष 3. उपखंडीय अधिकारी 4. उपखंडीय पुलिस अधिकारी | श्री फागलाल मरकाम, अधिवक्ता. |
| 5 | सागर | केसली | 1. वरिष्ठतम न्यायाधीश 2. स्थानीय बार एसोसिएशन का अध्यक्ष 3. उपखंडीय अधिकारी 4. उपखंडीय पुलिस अधिकारी | श्री संदीप अरेले, अधिवक्ता. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश पाण्डव, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 5 जनवरी 2024

क्र. 141-व.लि.-1-2024.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर, बालाघाट, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश वर्ष 2024 हेतु जिला बालाघाट के लिए निम्नांकित तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

| क्रमांक (1) | त्यौहारों का नाम (2) | स्थानीय अवकाश (3) | |
|----------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| | | दिन | दिनांक |
| 1 | मकर संक्रांति | सोमवार | 15 जनवरी 2024 |
| 2 | होली का दूसरा दिन | मंगलवार | 26 मार्च 2024 |
| 3 | दुर्गाष्टमी | शुक्रवार | 11 अक्टूबर 2024 |

2. उक्त अवकाश कोषालय, उपकोषालय एवं बैंकों के लिए लागू नहीं होगा।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश

डिण्डौरी, दिनांक 28 दिसम्बर 2023

क्र. एस.सी.-2023-445.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-3-2-99-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रमांक-4 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2024 में डिण्डौरी जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं :-

| क्रमांक (1) | दिनांक (2) | दिन (3) | त्यौहार का नाम (4) |
|----------------|----------------|------------|-----------------------|
| 1 | 16 फरवरी 2024 | शुक्रवार | नर्मदा जयंती |
| 2 | 09 अगस्त 2024 | शुक्रवार | जनजातीय दिवस |
| 3 | 01 नवम्बर 2024 | शुक्रवार | दीपावली का दूसरा दिन |

2. उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय / उपकोषालयों तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे।

विकास मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2024

क्र. 139-88-स्था.-2024-769.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक-एफ-3-2-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 एवं सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो, अनुक्रमांक 04 के नियम 05 के अंतर्गत प्राधिकृत प्रावधानों के अनुसार मैं, नरेन्द्र कुमार सुर्यवंशी, कलेक्टर, बैतूल वर्ष 2024 में बैतूल जिले के लिए निम्न तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

| क्रमांक (1) | त्यौहार का नाम (2) | दिनांक (3) | दिन (4) | रिमार्क (5) |
|----------------|-----------------------|------------------|------------|----------------|
| 1 | अनंत चतुर्दशी | 17 सितम्बर, 2024 | मंगलवार | सम्पूर्ण जिला |
| 2 | दुर्गा महाष्टमी | 11 अक्टूबर, 2024 | शुक्रवार | सम्पूर्ण जिला |
| 3 | दीपावली का दूसरा दिन | 01 नवम्बर, 2024 | शुक्रवार | सम्पूर्ण जिला |

2. उपरोक्त अवकाश कोषालय / उपकोषालय पर लागू नहीं होंगे।

नरेन्द्र कुमार सुर्यवंशी, कलेक्टर.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2024

क्र. एफ-1-0001-2024-चौवन-2.—राज्य शासन एतद्वारा हज अधिनियम 2002 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 29 (1) के प्रावधान अनुसार डॉ. श्रीमती फरजाना गजाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड को आगामी आदेश तक अपने कार्य के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी / सचिव, म. प्र. राज्य हज कमेटी का प्रभार सौंपा जाता है।

उक्त आदेश के उपरांत श्री मसूद अख्तर सिद्दीकी, सहायक कार्यपालन अधिकारी, सचिव राज्य हज कमेटी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. पी. नामदेव, उपसचिव.

कार्यालय, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2023

क्र. A-8541.—राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा प्रकाशित इंडियन लॉ रिपोर्ट्स (म. प्र. सीरीज) के मूल्य के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप पुनरीक्षित करते हुए, इंडियन लॉ रिपोर्ट्स (म. प्र. सीरीज) का वार्षिक अभिदान 1380/- रुपये (एक हजार तीन सौ अस्सी रुपये) बुक पोस्ट शुल्क सहित एवं एक प्रति (उपलब्धता के अधीन) का मूल्य 115/- रुपये (एक सौ पंद्रह रुपये), निर्धारित करता है। यह मूल्य वृद्धि वर्ष 2024 के संस्करणों के प्रकाशन से लागू होगी।

चन्द्रशेखर वालिम्बे, नियंत्रक.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 9 जनवरी 2024

मौजा कांजीखेड़ी, प. ह. नं. 38 तहसील सिरोंज

[देखिये धारा 19 (7)]

क्र. R-भू-अर्जन-2023.—भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-02-अ-82-22-13 में सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा कांजीखेड़ी, पटवारी हल्का नंबर-38, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा की भूमि का अर्जन किया जा रहा है परियोजना के निर्माण से क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी। जिस हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 2 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई है, तथा धारा 11 के प्रकाशन की 12 मास की अवधि दिनांक 1 दिसम्बर 2023 को पूर्ण हो गई है। प्रकरण में पुनर्वासन होने के कारण व्यवस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का निर्धारण समय पर नहीं हो सका तथा परिसंपत्तियों के गणना कार्य में विलंब हुआ जिस कारण संबंधित विभाग द्वारा धारा 19 का प्रकरण निर्धारित समय सीमा में तैयार नहीं हो सका एवं उक्तावधि में अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा एवं पुनर्वासन नीति का सार प्रकाशित नहीं किया जा सका है। किन्तु धारा 19(7) के अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है। अतः परियोजना निर्माण से लोकहित होने के कारण अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 19 (1) की घोषणा का प्रकाशन किये जाने हेतु 12 मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

मौजा सेमलखेड़ी, प. ह. नं. 39 तहसील सिरोंज

[देखिये धारा 19 (7)]

क्र. Q-भू-अर्जन-2023.—भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-01-अ-82-22-13 में सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा सेमलखेड़ी, पटवारी हल्का नंबर-39, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा की भूमि का अर्जन किया जा रहा है परियोजना के निर्माण से क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी। जिस हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 2 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई है, तथा धारा 11 के प्रकाशन की

12 मास की अवधि दिनांक 1 दिसम्बर 2023 को पूर्ण हो गई है। प्रकरण में पुनर्वास होने के कारण व्यवस्थापित कुटुंबों के पुनर्वास हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति का निर्धारण समय पर नहीं हो सका तथा परिसंपत्तियों के गणना कार्य में विलंब हुआ जिस कारण संबंधित विभाग द्वारा धारा 19 का प्रकरण निर्धारित समय सीमा में तैयार नहीं हो सका एवं उक्तावधि में अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा एवं पुनर्वास नीति का सार प्रकाशित नहीं किया जा सका है। किन्तु धारा 19(7) के अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है। अतः परियोजना निर्माण से लोकहित होने के कारण अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 19 (1) की घोषणा का प्रकाशन किये जाने हेतु 12 मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 10 जनवरी 2024

प्र. क्र. 21-अ-82-वर्ष 2023-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|--------------|-------------|---|---|--|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| पन्ना | देवेन्द्रनगर | इंटवा महंगू | निजी भूमि रकबा 0.2625 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 हे. कुल रकबा 0.2625 हे. | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, पन्ना. | इटवा महंगू से गोल्ही मुडिया मार्ग नं. 2.50 कि.मी. के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, पन्ना, जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरजिंदर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2023

पत्र क्र. 77-1044-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा

| खसरा नंबर | अर्जित रकवा (हे. में) | |
|-----------|---|-----------------|
| | निजी भूमि (अ) | शासकीय भूमि (ब) |
| | (2) | (3) |
| (1) | | |
| 242 | 0.012 | - |
| 243 | 0.065 | - |
| 244 | - | 0.005 |
| | कुल योग : (अ+ब) | 0.082 |
| (2) | सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योथर" बहाव योजना निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु. | |
| (3) | भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है। | |

पत्र क्र.-1045-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—जवा
- (ग) ग्राम—पुरानिक पुर्वा
- (घ) क्षेत्रफल—0.585 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | अर्जित रकबा (हे. में) | |
|-----------|-----------------------|-----------------|
| | निजी भूमि (अ) | शासकीय भूमि (ब) |
| (1) | (2) | (3) |
| 157 | 0.037 | - |
| 159 | 0.034 | - |
| 160 | 0.082 | - |
| 162 | 0.059 | - |
| 163 | 0.055 | - |
| 177 | 0.061 | - |
| 178 | 0.093 | - |
| 186 | 0.120 | - |
| 187 | 0.044 | - |
| कुल योग : | 0.585 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर बहाव योजना नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.

पत्र क्र.-1046-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—जवा
- (ग) ग्राम—बेनीडीह
- (घ) क्षेत्रफल—0.138 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | अर्जित रकबा (हे. में) | |
|-----------|-----------------------|-----------------|
| | निजी भूमि (अ) | शासकीय भूमि (ब) |
| (1) | (2) | (3) |
| 89 | 0.138 | - |
| कुल योग : | 0.138 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर बहाव योजना नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.

पत्र क्र.-1047-प्रका.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—जवा
- (ग) ग्राम—जोन्हा कोठार
- (घ) क्षेत्रफल—0.238 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | अर्जित रकबा (हे. में) | |
|-----------|-----------------------|-----------------|
| | निजी भूमि (अ) | शासकीय भूमि (ब) |
| (1) | (2) | (3) |
| 321 | 0.072 | - |
| 322 | 0.042 | - |
| 323 | 0.036 | - |
| 325 | 0.063 | - |
| 363 | 0.025 | - |
| कुल योग : | 0.238 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर बहाव योजना नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 8 जनवरी 2024

क्र. 162-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—लकड़ाई जम्होडी, प.ह.नं.-26,
ब. नं.-515, रा. नि. मं.-सारना

(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-06.860
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.

| प्रस्तावित खसरा नम्बर | प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) |
|--------------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) |
| 53/3 | 0.100 |
| 51/1 | 0.430 |
| 49 | 0.089 |
| 48/1 | 0.305 |
| 48/2 | 0.305 |
| 51/2 | 0.050 |
| 50/2 | 0.526 |
| 50/1 | 01.000 |
| 104/1 | 0.100 |
| 104/2 | 0.240 |
| 105/1 | 0.300 |
| 117 | 0.550 |

(1) (2)

118 01.050

120 0.850

147/2 0.200

148/1 0.200

148/2 0.215

105/2/2 0.350

योग. . कुल रकबा-06.860

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लकड़ाई जम्होडी जलाशय के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर अनुविभाग क्रमांक 2, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 10 जनवरी 2024

प्र. क्र. 01-अ-82-वर्ष-2023-24.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—पडेरी
(घ) क्षेत्रफल—2.861 हेक्टेयर.

| खसरा नम्बर | कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) | भूमि का प्रकार |
|----------------|--------------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 201 | 0.110 | निजी भूमि |
| 204 | 0.480 | निजी भूमि |
| 282 | 0.344 | निजी भूमि |
| 439 | 0.300 | निजी भूमि |
| 440 | 0.1788 | निजी भूमि |
| 438 | 0.350 | निजी भूमि |
| 441 | 0.768 | निजी भूमि |
| 447 | 0.330 | निजी भूमि |
| कुल रकबा . . . | | 2.861 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नचनौरा तालाब योजना के बांध निर्माण में आने वाले छूटे हुए रकबे का (पूरक प्रस्ताव) धारा 19 का प्रकाशन, ग्राम पडेरी, तहसील व अनुभाग, गुनौर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरजिंदर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दण्डाधिकारी, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 जनवरी 2024

क्रमांक/ 186 /एस.डब्ल्यू./2024:- मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2(क)/9/08/बी-3/दो दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त किये गये अधिकार के तहत मैं मनोज पुष्प, कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-2 के खण्ड-एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गयी सारिणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं में आंशिक उपान्तरण करते हुये मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

- वह ग्राम जो सारिणी के कॉलम (2) में उल्लेखित है, उस पुलिस थाने से, जो कि नीचे दी गयी सारिणी के कॉलम-(3) में उल्लेखित किया गया है, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को, जो कि उसके कॉलम-(3) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, अपवर्जित करता हूँ। और निर्देश देता हूँ कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये स्थानीय क्षेत्र कॉलम (4) के थाना क्षेत्रों में सम्मिलित होंगे।

सारणी

अनुविभाग चौरई जिला छिंदवाड़ा

| क्रमांक | ग्राम का नाम | उस पुलिस थाने का नाम (तहसील व जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया | उस पुलिस थाने का नाम (तहसील व जिला सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया |
|---------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | भीमालगोंदी | थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा | थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा |
| 2 | भूतनसावंगी | थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा | थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा |
| 3 | मोहगांव खुर्द | थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा | थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा |
| 4 | चकारा/चिकारा | थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा | थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा |
| 5 | चिवड़ी | थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा | थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा |
| 6 | देवनदी | थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा | थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा |
| 7 | गुंजीदवाभी | थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा | थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा |
| 8 | घोटनी | थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा | थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा |
| 9 | पनियारी | थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा | थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा |
| 10 | पालातारा | थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा | थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा |
| 11 | राघादेवी | थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा | थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा |
| 12 | लोहांगी | थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा | थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा |
| 13 | साहनवाड़ी | थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा | थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा |

No./ 187 /S.W./2024 :- As per circular of Government of M.P. Home (Police) Department, Vallabh Bhawan Bhopal, No. F-2(K)/9/08/B-3/2 dated 30/07/2010, I, Manoj Pusp, Collector/District Magistrate Chhindwara & Ex-Officio Secretary Government of Madhya Pradesh, in exercise of powers conferred by the clause (s) of section 2 of the code of criminal procedure, 1973 and in partial modification of the previous notifications affecting the local areas specified in the table below, w.e.f. the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1. The Village mentioned in column (2) of the table, from the police station mentioned in column (3) of the table below, such local Excludes the areas specified in column (3) thereof. And I direct that the local areas specified in column (2) of the said table will be included in the police station areas of column (4).

TABLE

Sub Division Chaurai District Chhindwara.

| Sr. No. | Name of Villages | Name of the Police Station (including Tehsil & District) from which the exclusion was made | Name of the Police Station (including Tehsil & District) in which it was included |
|---------|------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bhimalgondi | Police Station Saunsar Tehsil Saunsar District Pandhurna | Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara |
| 2 | Bhootansavangi | Police Station Saunsar Tehsil Saunsar District Pandhurna | Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara |
| 3 | Mohgaon Khurd | Police Station Saunsar Tehsil Saunsar District Pandhurna | Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara |
| 4 | Chakara/Chikara | Police Station Saunsar Tehsil Saunsar District Pandhurna | Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara |
| 5 | Chivadi | Police Station Saunsar Tehsil Saunsar District Pandhurna | Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara |
| 6 | Devanadi | Police Station Saunsar Tehsil Saunsar District Pandhurna | Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara |
| 7 | Gunjidawami | Police Station Saunsar Tehsil Saunsar District Pandhurna | Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara |
| 8 | Ghotni | Police Station Saunsar Tehsil Saunsar District Pandhurna | Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara |
| 9 | Paniyari | Police Station Saunsar Tehsil Saunsar District Pandhurna | Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara |
| 10 | Palatara | Police Station Saunsar Tehsil Saunsar District Pandhurna | Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara |
| 11 | Raghadevi | Police Station Saunsar Tehsil Saunsar District Pandhurna | Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara |
| 12 | Lohangi | Police Station Saunsar Tehsil Saunsar District Pandhurna | Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara |
| 13 | Sahanwadi | Police Station Saunsar Tehsil Saunsar District Pandhurna | Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara |

कमांक/ 188 /एस.डब्ल्यू./2024:- मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक एफ-2(क)/9/08/बी-3/दो दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त किये गये अधिकार के तहत मैं मनोज पुष्प, कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-2 के खण्ड-एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गयी सारिणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं में आंशिक उपांतरण करते हुये मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

- वह ग्राम जो सारिणी के कॉलम (2) में उल्लेखित है, उस पुलिस थाने से, जो कि नीचे दी गयी सारिणी के कॉलम-(3) में उल्लेखित किया गया है, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को, जो कि उसके कॉलम-(3) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, अपवर्जित करता हूँ। और निर्देश देता हूँ कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये स्थानीय क्षेत्र, कॉलम (4) के थाना क्षेत्रों में सम्मिलित होंगे।

सारणी

अनुविभाग पाण्डुर्णा जिला पाण्डुर्णा

| कमांक | ग्राम का नाम | उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया | उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया |
|-------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | मरकावाडा | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 2 | नजरपुर | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 3 | जामलपानी रैयत | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 4 | मुण्डीढाना | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 5 | सालईढाना | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 6 | नरसला | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 7 | दिघोरी | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 8 | ढोलनखापा | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 9 | पिठेर माल | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 10 | पिठेर रैयत | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 11 | पठारा | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 12 | उत्तमडेरा माल | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 13 | उत्तमडेरा रैयत | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 14 | सोनपठार | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 15 | पाठई | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 16 | कौडिया | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 17 | लोनादेही रैयत | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 18 | लोनादेही माल | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 19 | चिमनखापा | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 20 | भैसाडोगरी रैयतवारी | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 21 | चिखली मुकासा | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 22 | चिखली रैयत | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 23 | घोघरी | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 24 | मेट | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |
| 25 | कोण्डाली | थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ | चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा |

No./ 189 /S.W./2024 :- As per circular of Government of M.P. Home (Police) Department, Vallabh Bhawan Bhopal, No. F-2(K)/9/08/B-3/2 dated 30/07/2010, I, Manoj Pusp, Collector/District Magistrate Chhindwara & Ex-Officio Secretary Government of Madhya Pradesh, in exercise of powers conferred by the clause (s) of section 2 of the code of criminal procedure, 1973 and in partial modification of the previous notifications affecting the local areas specified in the table below, w.e.f. the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1. The village mentioned in column (2) of the table, from the police station mentioned in column (3) of the table below, such local Excludes the areas specified in column (3) thereof. And I direct that the local areas specified in column (2) of the said table will be included in the police station areas of column (4).

TABLE
Sub Division Pandurna District Pandurna

| Sr. No. | Name of Villages | Name of the Police Station (including Tehsil & District) from which the exclusion was made | Name of the Police Station (including Tehsil) in which it was included |
|---------|------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Markawada | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 2 | Najarpur | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 3 | Jamalpani Raiyat | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 4 | Mundidhana | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 5 | Salaidhana | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 6 | Narsala | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 7 | Dhigori | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 8 | Dholankhapa | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 9 | Pither Mal | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 10 | Pither Raiyat | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 11 | Pathara | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 12 | Uttamdera Mal | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 13 | Uttamdera Raiyat | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 14 | Sonpathar | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 15 | Pathai | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |

| | | | |
|----|----------------------------|---|--|
| 16 | Kaudia | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 17 | Lonadehi Raiyat | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 18 | Lonadehi Mal | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 19 | Chimankhapa | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 20 | Bhaisadongri Raiyatwari | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 21 | Chikhali Mukasa | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 22 | Chikhali Raiyat | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 23 | Ghoghri | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 24 | Met | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 25 | Kondali | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 26 | Chahadi | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 27 | Kursidhana | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 28 | Gumudhana | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 29 | Dhanora | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 30 | Narayan Ghat | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 31 | Jamghat | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 32 | Morghat | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 33 | Bamla | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 34 | Karaghat Kamathi | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 35 | Hathithan | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 36 | Dobandhana | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 37 | Palaspani | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 38 | Barighat | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 39 | Nonchhapar | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 40 | Chhindboh | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 41 | Lilhi | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 42 | Katiyadhana | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |
| 43 | Ghoghra Raiyat | Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara | OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna |

छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 जनवरी 2024

कमांक / 375 / एस.डब्ल्यू. / 2024:- मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक एफ-2(क)/9/08/बी-3/दो दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त किये गये अधिकार के तहत मैं मनोज पुष्प, कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-2 के खण्ड-एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गयी सारिणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं में आंशिक उपान्तरण करते हुये मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

- वह ग्राम जो सारिणी के कॉलम (2) में उल्लेखित है, उस पुलिस थाने से, जो कि नीचे दी गयी सारिणी के कॉलम-(3) में उल्लेखित किया गया है, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को, जो कि उसके कॉलम-(3) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, अपवर्जित करता हूँ। और निर्देश देता हूँ कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये स्थानीय क्षेत्र कॉलम (4) के थाना क्षेत्रों में सम्मिलित होंगे।

सारणी**अनुविभाग जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा**

| कमांक | ग्राम का नाम | उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया | उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया |
|-------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | वनग्राम पाढर | थाना नवेगांव तहसील जुन्नारदेव | थाना दमुआ तहसील जुन्नारदेव |
| 2 | टोटकादेही (ग्रा.प.भवारी तहसील मोहखेड़) | थाना नवेगांव तहसील जुन्नारदेव | चौकी सांवरी थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ |
| 3 | खामखेड़ा | थाना नवेगांव तहसील जुन्नारदेव | चौकी जुंगरिया थाना जुन्नारदेव तहसील जुन्नारदेव |
| 4 | कोठार | थाना नवेगांव तहसील जुन्नारदेव | थाना उमरेठ तहसील उमरेठ |
| 5 | कपूरनाला | थाना माहुलझिर तहसील जुन्नारदेव | चौकी देलाखारी थाना तामिया तहसील तामिया |
| 6 | कृष्णादेव | थाना माहुलझिर तहसील जुन्नारदेव | चौकी देलाखारी थाना तामिया तहसील तामिया |
| 7 | जूडी भाजीपानी | थाना माहुलझिर तहसील जुन्नारदेव | चौकी देलाखारी थाना तामिया तहसील तामिया |
| 8 | चोपना भाजीपानी | थाना माहुलझिर तहसील जुन्नारदेव | चौकी देलाखारी थाना तामिया तहसील तामिया |
| 9 | किरमऊ | थाना माहुलझिर तहसील जुन्नारदेव | चौकी देलाखारी थाना तामिया तहसील तामिया |
| 10 | नवलगांव | थाना माहुलझिर तहसील जुन्नारदेव | चौकी देलाखारी थाना तामिया तहसील तामिया |
| 11 | सीताडोंगरी | थाना माहुलझिर तहसील जुन्नारदेव | चौकी देलाखारी थाना तामिया तहसील तामिया |

अनुविभाग अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा

| कमांक | ग्राम का नाम | उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया | उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया |
|-------|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | चकरपाट | थाना बटकाखापा तहसील हरई | थाना हरई तहसील हरई |
| 2 | चिखला | थाना बटकाखापा तहसील हरई | थाना हरई तहसील हरई |
| 3 | कोटरा | थाना बटकाखापा तहसील हरई | थाना हरई तहसील हरई |
| 4 | राजाखोह | चौकी सिंगोड़ी थाना अमरवाड़ा तहसील अमरवाड़ा | चौकी धरमटेकड़ी थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा |

अनुविभाग परासिया जिला छिंदवाड़ा

| क्रमांक | ग्राम का नाम | उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया | उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया |
|---------|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | मोरढाना | चौकी न्यूटन थाना परासिया तहसील परासिया | थाना तामिया तहसील तामिया |
| 2 | रीछगांव | चौकी न्यूटन थाना परासिया तहसील परासिया | थाना तामिया तहसील तामिया |
| 3 | कोण्डरा | चौकी न्यूटन थाना परासिया तहसील परासिया | थाना तामिया तहसील तामिया |
| 4 | मडुआ | थाना चांदामेटा तहसील परासिया | चौकी अम्बाड़ा थाना जुन्नारदेव तहसील परासिया |
| 5 | डोरली | थाना चांदामेटा तहसील परासिया | चौकी अम्बाड़ा थाना जुन्नारदेव तहसील परासिया |
| 6 | धवसिया | चौकी बड़कुही थाना चांदामेटा तहसील परासिया | चौकी अम्बाड़ा थाना जुन्नारदेव तहसील परासिया |
| 7 | बारंगा | थाना उमरेठ तहसील उमरेठ | थाना देहात छिंदवाड़ा तहसील छिंदवाड़ा |
| 8 | मासूल वीरान (वनग्राम) | थाना उमरेठ तहसील उमरेठ | थाना देहात छिंदवाड़ा तहसील छिंदवाड़ा |
| 9 | सनखवा | थाना रावनवाड़ा तहसील परासिया | चौकी धरमटेकड़ी थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा |
| 10 | थांवरखुर्द | थाना रावनवाड़ा तहसील परासिया | चौकी धरमटेकड़ी थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा |

अनुविभाग चौरई जिला छिंदवाड़ा

| क्रमांक | ग्राम का नाम | उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया | उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया |
|---------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | चन्हियाकलां | थाना चौरई तहसील चौरई | थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा |
| 2 | बोहनाखैरी | थाना चौरई तहसील चौरई | थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा |
| 3 | ककई | थाना चौरई तहसील चौरई | थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा |
| 4 | बिलवा | थाना चौरई तहसील चौरई | थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा |
| 5 | भूतेरा | थाना चौरई तहसील चौरई | थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा |
| 6 | जम्होड़ी पंडा | थाना चौरई तहसील चौरई | थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा |
| 7 | लोनिया मारु | थाना चौरई तहसील चौरई | थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा |
| 8 | धनौरा | थाना चौरई तहसील चौरई | थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा |
| 9 | गोसाई | थाना चौरई तहसील चौरई | थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा |
| 10 | उमरिया ईसरा | थाना चौरई तहसील चौरई | थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा |
| 11 | आमाझिर | थाना चांद तहसील चांद | थाना चौरई तहसील चौरई |
| 12 | दुटमर | थाना चांद तहसील चांद | थाना चौरई तहसील चौरई |

No./ 376 /S.W./2024 :- As per circular of Government of M.P. Home (Police) Department, Vallabh Bhawan Bhopal, No. F-2(K)/9/08/B-3/2 dated 30/07/2010, I, Manoj Pusp, Collector/District Magistrate Chhindwara & Ex-Officio Secretary Government of Madhya Pradesh, in exercise of powers conferred by the clause (s) of section 2 of the code of criminal procedure, 1973 and in partial modification of the previous notifications affecting the local areas specified in the table below, w.e.f. the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

- The Village mentioned in column (2) of the table, from the Police station mentioned in column (3) of the table below, such local Excludes the areas specified in column (3) thereof. And I direct that the local areas specified in column (2) of the said table will be included in the police station areas of column (4).

TABLE

Sub Division Junnardeo District Chhindwara.

| Sr. No. | Name of Villages | Name of the Police Station (including Tehsil & District) from which the exclusion was made | Name of the Police Station (including Tehsil) in which it was included |
|---------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Forest Village Padhar | Police Station Navegaon Tahsil Junnardeo | Police Station Damua Tahsil Junnardeo |
| 2 | Totkadehi (Gram Panchayat Bhawari Tahsil Mohkhed) | Police Station Navegaon Tahsil Junnardeo | OP Sanwari Police Station Lawaghogri Tahsil Mohkhed |
| 3 | Khamkheda | Police Station Navegaon Tahsil Junnardeo | OP Dungaria Police Station Junnardeo Tahsil Junnardeo |
| 4 | Kothar | Police Station Navegaon Tahsil Junnardeo | Police Station Umreth Tahsil Umreth |
| 5 | Kapurnala | Police Station Mahuljhir Tahsil Junnardeo | OP Delakhari Police Station Tamia Tahsil Tamia |
| 6 | Kumbhadev | Police Station Mahuljhir Tahsil Junnardeo | OP Delakhari Police Station Tamia Tahsil Tamia |
| 7 | Dundi Bhajipani | Police Station Mahuljhir Tahsil Junnardeo | OP Delakhari Police Station Tamia Tahsil Tamia |
| 8 | Chopna Bhajipani | Police Station Mahuljhir Tahsil Junnardeo | OP Delakhari Police Station Tamia Tahsil Tamia |
| 9 | Kirmau | Police Station Mahuljhir Tahsil Junnardeo | OP Delakhari Police Station Tamia Tahsil Tamia |
| 10 | Nawalgaon | Police Station Mahuljhir Tahsil Junnardeo | OP Delakhari Police Station Tamia Tahsil Tamia |
| 11 | Seetadongri | Police Station Mahuljhir Tahsil Junnardeo | OP Delakhari Police Station Tamia Tahsil Tamia |

Sub Division Amarwara District Chhindwara.

| Sr. No. | Name of Villages | Name of the police station (including Tehsil & District) from which the exclusion was made | Name of the police station (including tehsil) in which it was included |
|---------|------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Chakarpat | Police Station Batkakhapa Tahsil Harrai | Police Station Harrai Tahsil Harrai |

| | | | |
|---|----------|--|---|
| 2 | Chikhla | Police Station Batkakhapa Tahsil Harrai | Police Station Harrai Tahsil Harrai |
| 3 | Kotra | Police Station Batkakhapa Tahsil Harrai | Police Station Harrai Tahsil Harrai |
| 4 | Rajakhoh | OP Singodi Police Station Amarwara Tahsil Amarwara | OP Dharamtekri Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara |

Sub Division Parasia District Chhindwara.

| Sr. No. | Name of Villages | Name of the Police Station (including Tehsil & District) from which the exclusion was made | Name of the Police Station (including tehsil) in which it was included |
|---------|-------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mordhana | OP Newton Police Station Parasia Tahsil Parasia | Police Station Tamia Tahsil Tamia |
| 2 | Reechgaon | OP Newton Police Station Parasia Tahsil Parasia | Police Station Tamia Tahsil Tamia |
| 3 | Kondra | OP Neewton Police Station Parasia Tahsil Parasia | Police Station Tamia Tahsil Tamia |
| 4 | Madua | Police Station Chandameta Tahsil Parasia | OP Ambada Police Station Junnardeo Tahsil Parasia |
| 5 | Dorli | Police Station Chandameta Tahsil Parasia | OP Ambada Police Station Junnardeo Tahsil Parasia |
| 6 | Dhavasias | OP Badkuhi Police Station Chandameta Tahsil Parasia | OP Ambada Police Station Junnardeo Tahsil Parasia |
| 7 | Baranga | Police Station Umreth Tahsil Umreth | Police Station Dehat Chhindwara Tahsil Chhindwara |
| 8 | Masool Viran (Forest Village) | Police Station Umreth Tahsil Umreth | Police Station Dehat Chhindwara Tahsil Chhindwara |
| 9 | Sunkhawa | Police Station Rawanwara Tahsil Parasia | OP Dharamtekri Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara |
| 10 | Thawrikhurd | Police Station Rawanwara Tahsil Parasia | OP Dharamtekri Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara |

Sub Division Chaurai District Chhindwara.

| Sr. No. | Name of Villages | Name of the police station (including Tehsil & District) from which the exclusion was made | Name of the police station (including tehsil) in which it was included |
|---------|------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Chanhiyakala | Police Station Chaurai Tahsil Chaurai | Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara |
| 2 | Bohnakhairi | Police Station Chaurai Tahsil Chaurai | Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara |
| 3 | Kakai | Police Station Chaurai Tahsil Chaurai | Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara |
| 4 | Bilva | Police Station Chaurai Tahsil Chaurai | Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara |
| 5 | Bhutera | Police Station Chaurai Tahsil Chaurai | Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara |
| 6 | Jamhodi Panda | Police Station Chaurai Tahsil Chaurai | Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara |
| 7 | Lonia Maru | Police Station Chaurai Tahsil Chaurai | Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara |
| 8 | Dhanaura | Police Station Chaurai Tahsil Chaurai | Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara |
| 9 | Gosai | Police Station Chaurai Tahsil Chaurai | Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara |
| 10 | Umaria isra | Police Station Chaurai Tahsil Chaurai | Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara |
| 11 | Amajhir | Police Station Chand Tahsil Chand | Police Station Chaurai Tahsil Chaurai |
| 12 | Dhutmar | Police Station Chand Tahsil Chand | Police Station Chaurai Tahsil Chaurai |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज पुष्प, कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

क्र.-207-स्था.-2024-बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 10 जनवरी 2024

मैं भव्या मित्तल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बुरहानपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का सरल क्रमांक-2 की धारा-2 के खण्ड-एस एवं मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2(क)/9/08/बी-3/दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के अनुसार तथा मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 01/1770880/2023/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 02/01/2024 व पत्र क्रमांक 03/1770880/2023/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 04/01/2024 के पालन में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैठक दिनांक 10.01.2024 के लिए गए निर्णय अनुसार निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक रूपांतरण करते हुए राज्य शासन द्वारा जिला बुरहानपुर में निम्नानुसार गांवों को लोक सुविधा की दृष्टि से अन्य थाना/चौकियों में पुर्ननिर्धारण कर सम्मिलित करता हूं। मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से अनुसूची में उल्लेखित किये गए गांव उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये अन्य थाना/चौकियों की परिसीमा में सम्मिलित किए जाते हैं:-

| स.क्र. | गांव का नाम जिसकी सीमा का पुर्ननिर्धारण किया जाना है | गांव का वर्तमान थाना | गांव को किस थाना में पुर्ननिर्धारण किया जाना है |
|--------|--|----------------------|---|
| 1. | सुखपुरी | शाहपुर | शिकारपुरा |
| 2. | गव्हाना | लालबाग | शिकारपुरा |
| 3. | नागुलखेडा | लालबाग | शिकारपुरा |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भव्या मित्तल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश

सिंगरौली, दिनांक 12 जनवरी 2024

क्रमांक/ 51 /आर.डी.एम./2024, पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पत्र क्रमांक-पु0अ0/सिंगरौली/एसी/एम-372/ 2024 दिनांक 10.01.2024 एवं जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा दिनांक 11.01.2024 के अनुक्रम में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1972 का सं.-02) की धारा 02 के खण्ड(एस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मैं कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली एतद् द्वारा वर्तमान में सिंगरौली जिले के पुलिस थाना नवानगर, माड़ा एवं जियावन में सम्मिलित, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम(2) में विनिर्दिष्ट राजस्व ग्रामों को अनुसूची के कॉलम नंबर(4) में अंकित थाने से विलोपित करते हुये कॉलम नंबर(5) एवं कॉलम नंबर(6) की अधिकारिता में

सम्मिलित किये जाने हेतु अधिसूचित करता हूँ :-

अनुसूची

| | ग्राम | तहसील | वर्तमान थाना | प्रस्तावित चौकी | प्रस्तावित थाना |
|----|---------------|----------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1 | हरैया | सिंगरौली | नवानगर | खुटार | बैदन |
| 2 | चोकरा | सिंगरौली | नवानगर | खुटार | बैदन |
| 3 | बनौली | सिंगरौली | माड़ा | खुटार | बैदन |
| 4 | चितरबईखुर्द | सिंगरौली | माड़ा | खुटार | बैदन |
| 5 | उतानीपाठ | सरई | माड़ा | - | लंधाडोल |
| 6 | कर्तुआ | चितरंगी | जियावन | - | चितरंगी |
| 7 | रेही | चितरंगी | जियावन | - | चितरंगी |
| 8 | खम्हरियाकला | चितरंगी | जियावन | - | चितरंगी |
| 9 | खम्हरियाखुर्द | चितरंगी | जियावन | - | चितरंगी |
| 10 | झोंखो | चितरंगी | जियावन | - | चितरंगी |
| 11 | बड़नई (बढ़नई) | चितरंगी | जियावन | - | चितरंगी |
| 12 | भर्रा | चितरंगी | जियावन | - | चितरंगी |
| 13 | दिलरी | चितरंगी | जियावन | - | चितरंगी |
| 14 | गीर | चितरंगी | जियावन | - | चितरंगी |
| 15 | सेमरा | चितरंगी | जियावन | - | चितरंगी |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

क्र.-20-एस.डब्ल्यू.-2024-20

शाजापुर, दिनांक 12 जनवरी 2024

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क.2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (एस) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र/ग्रामों को प्रस्तावित करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :-

- 1- उस थाने से, जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में अंकित थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम जो कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, अपवर्जित करती है और
- 2- जिला शाजापुर के पुलिस थाना अंतर्गत सारणी के कॉलम नंबर (3) में से अपवर्जित किये गये ग्रामों को उक्त सारणी के कॉलम नम्बर (4) में विनिर्दिष्ट किये गये पुलिस थाना में सम्मिलित करती है।

| क्रमांक | पुलिस थाने का नाम, तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया जाना है | पुलिस थाना कॉलम नं. 2 के अंतर्गत अपवर्जित किये जाने वाले ग्राम का नाम, जो अन्य थानों में सम्मिलित किया जाना है | पुलिस थाने का नाम, जिसमें कॉलम 3 से अपवर्जित किये गये ग्राम को सम्मिलित किया जाना है |
|---------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | थाना कोतवाली शाजापुर तहसील व जिला शाजापुर | सतगांव | थाना लालघाटी, शाजापुर |
| 2 | | राघवेल | थाना लालघाटी, शाजापुर |
| 3 | | गिरवर | थाना लालघाटी, शाजापुर |
| 4 | | पतौली | थाना लालघाटी, शाजापुर |
| 5 | | खोरिया नायता | थाना बेरछा, शाजापुर |
| 6 | | बिकलाखेड़ी | थाना बेरछा, शाजापुर |
| 7 | | पचोला हरनाथ | थाना बेरछा, शाजापुर |
| 8 | | रिंगनीखेड़ा | थाना बेरछा, शाजापुर |
| 9 | | थाना सलसलाई तह. गुलाना जिला शाजापुर | केवड़ाखेड़ी |
| 10 | खोसला | | थाना सुनेरा, शाजापुर |
| 11 | थाना अकोदिया तह. शुजालपुर | मुड़लाय | थाना सलसलाई, शाजापुर |
| 12 | थाना सुन्दरसी, तह.पोलायकला जिला शाजापुर | पलसावद | थाना अकोदिया, शाजापुर |
| 13 | | झण्डाखेड़ा | थाना अकोदिया, शाजापुर |
| 14 | | नितरली | थाना अकोदिया, शाजापुर |
| 15 | | सुल्तानपुरा | थाना बेरछा, शाजापुर |
| 16 | | बडियागुर्जर | थाना बेरछा, शाजापुर |
| 17 | | गोयला | थाना बेरछा, शाजापुर |
| 18 | | थाना बेरछा तहसील शाजापुर जिला शाजापुर | सिहोदा |
| 19 | दुहानी | | थाना मकसी, शाजापुर |
| 20 | नया समाज खेड़ा | | थाना कोतवाली, शाजापुर |
| 21 | बांगली | | थाना सुन्दरसी, शाजापुर |
| 22 | हाटकेश्वर | | थाना सुन्दरसी, शाजापुर |
| 23 | थाना अव. बडोदिया, तहसील अव.बडोदिया, जिला शाजापुर | रोसला | थाना कालापपीपल, शाजापुर |

ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

क्र.-18-रीडर-2-2024

रतलाम, दिनांक 15 जनवरी 2024

मध्यप्रदेश शासन गृह(पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-2(क)/15/99/बी-3/2 भोपाल दिनांक 11.10.2004 के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का सरल क्रमांक-2 की धारा-2 के खण्ड-एस, में प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक-एफ/2(क)9/08/बी-3/दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के अनुक्रम में तथा मध्यप्रदेश शासन गृह(पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/01/1770880/2023/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 02.01.2024 व पत्र क्रमांक 03/1770880/2023/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 04.01.2024 के पालन में जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक में सर्वसहमति से लिये गये निर्णय अनुसार मैं, भास्कर लाक्षाकार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रतलाम निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए जिला रतलाम में निम्नानुसार गाँवों/कॉलोनी को लोक सुविधा की दृष्टि से अन्य थाना/चौकियों में पुनर्निर्धारण कर सम्मिलित करता हूँ।

मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से अनुसूची में उल्लेखित किये गए गाँवों/कॉलोनी, उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं.-04 में दर्शाये गये अन्य थाना/चौकियों की परिसीमा में सम्मिलित किए जाते हैं :-

| स.क्र. | गाँवों/कॉलोनी का नाम | गाँवों/कॉलोनी का वर्तमान थाना/चौकी | अन्य थाना/चौकी जिसमें पुनर्निर्धारण किया जाना है। |
|--------|------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ग्राम सेजावता | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 2 | खाचरौद नाका | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 3 | काशीराम कालोनी | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 4 | जबरन कालोनी | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 5 | पहाडिया रोड | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 6 | अरिहन्त कालोनी | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 7 | विधाविहार कालोनी | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 8 | पोलोटेकिनक कालेज | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 9 | पूनम विहार कालोनी | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 10 | ध्यान मंदिर | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 11 | सिद्धचक कालोनी | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 12 | अरिहन्त एक्सटेशन | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 13 | शिवशक्ति कालोनी | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 14 | नवकार कालोनी | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 15 | राजेन्द्र जयंत परिसर | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 16 | स्वामी जी की कुटिया | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 17 | राजेन्द्र वाटिका | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 18 | सुगम श्री | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 19 | आशिवाद कालोनी | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 20 | यशवंत नगर | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 21 | गौतम विहार | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 22 | मोहन परिसर | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 23 | रत्नराज परिसर | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 24 | राजेन्द्र विहार कालोनी | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 25 | सुभ लाभ कालोनी | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 26 | संजय काम्पलेक्स | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 27 | महेन्द्र नगर | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 28 | प्रियदर्शनी कालोनी | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 29 | आदित्य नगर | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 30 | मशापूर्णकालोनी | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 31 | साईधाम कालोनी | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 32 | शांतिवन कालोनी | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 33 | सेंट पाल स्कूल | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 34 | बटालियन रोड | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 35 | जनता कालोनी | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 36 | बहादुरपुर रोड | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 37 | एकता कालोनी | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 38 | ईदगाह | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 39 | भारत कालोनी | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 40 | सीताराम बाग | थाना औ.क्षेत्र जावरा | थाना जावरा शहर |
| 41 | ग्राम आक्यादेह | थाना कालुखेडा | थाना औ.क्षेत्र जावरा |
| 42 | ग्राम पलसोडा | थाना नामली | थाना औ.क्षेत्र रतलाम |
| 43 | ग्राम बरबनखेडी | थाना नामली | थाना स्टेशन रोड रतलाम |
| 44 | ग्राम बडोदिया | थाना नामली | थाना स्टेशन रोड रतलाम |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भास्कर लाक्षाकार, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

क्र.-107-सा.लेख-2024

मंदसौर, दिनांक 15 जनवरी 2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 की धारा-2 के खण्ड एस में पुलिस थाना का स्थानीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की राज्य शासन की शक्तियाँ म.प्र. शासन गृह (पुलिस) विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक- एफ-2(4) 15 /99/बी-3/दो/ भोपाल, दिनांक; 11.10.2004 एवं ज्ञाप क्रमांक एफ-2(क) 09/08/बी-3/दो, दिनांक; 30.7.2010 से जिले के भीतर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की समिति में निहित की गई है। उपरोक्तानुसार प्राप्त समिति के निर्णय दिनांक- 15./01/2024 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-2 के खण्ड एस के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं म.प्र.शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 01/1770880/2023/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 02/01/2024 एवं ज्ञाप क्रमांक 03/1770880/2023/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 04/01/2024 द्वारा जारी निर्देश के पालन में स्तंभ क्रमांक-1 में वर्णित ग्राम/मोहल्ला या उसके भाग को स्तंभ क्रमांक-2 में वर्णित पुलिस थाने /चौकी के स्थानीय क्षेत्र से उन्मोचित करते हुए स्तंभ क्रमांक-3 में वर्णित पुलिस थानों/चौकी के स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है:-

| क्रमांक | ग्राम/ मोहल्ला स्तंभ क्रं.1 | वर्तमान थाना स्तंभ क्रं. 2 | नवीन थाना/नवीन चौकी क्षेत्र जिसमें ग्राम/मोहल्ला सम्मिलित किया गया स्तंभ क्रं. 3 |
|---------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | टोडी व चिमन चिश्ती दरगाह | कोतवाली | नई आबादी |
| 2 | पशुपतिनाथ मंदिर | कोतवाली | नई आबादी |
| 3 | सीतामऊ फाटक | कोतवाली | नई आबादी |
| 4 | चन्द्रपुरा | कोतवाली | नई आबादी |
| 5 | सुदर्शन कॉलोनी | कोतवाली | नई आबादी |
| 6 | बावड़ी कला | कोतवाली | नई आबादी |
| 7 | वसंत विहार | कोतवाली | नई आबादी |
| 8 | पशुपतिनाथ अतिथि गृह | कोतवाली | नई आबादी |
| 9 | महावीर तीर्थकर जैन कॉलोनी | कोतवाली | नई आबादी |

(2)

| | | | |
|----|---------------------------|-----------|--------------------------|
| 10 | सेंट थामस स्कूल | कोतवाली | नई आबादी |
| 11 | शिवदर्शन अग्रवाल धर्मशाला | कोतवाली | नई आबादी |
| 12 | मेला परिसर | कोतवाली | नई आबादी |
| 13 | सूरी जैन तीर्थ | कोतवाली | नई आबादी |
| 14 | लक्ष्मी नगर | कोतवाली | नई आबादी |
| 15 | रिलायंस पंप | कोतवाली | नई आबादी |
| 16 | खेड़ा फीरोजाबाद | नाहरगढ़ | चौकी बुढा थाना नारायणगढ़ |
| 17 | धाकड पिपलिया | नाहरगढ़ | सीतामऊ |
| 18 | भाटखेड़ी | नाहरगढ़ | सीतामऊ |
| 19 | जोधा पिपलिया | नारायणगढ़ | नाहरगढ़ |
| 20 | सेतखेड़ी | दलौदा | नई आबादी |
| 21 | लामगरी | दलौदा | अफजलपुर |
| 22 | धाकड़खेड़ी | अफजलपुर | नई आबादी |
| 23 | रसुलपुर | अफजलपुर | नई आबादी |
| 24 | अरनिया मीणा | नई आबादी | वाय.डी.नगर |
| 25 | जान्याखेड़ी | मल्हारगढ़ | नारायणगढ़ |
| 26 | चंदनखेड़ा | मल्हारगढ़ | नारायणगढ़ |

दिलीप कुमार यादव, जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

क्र.-257-ए-आरडीएम-नवी.था.-2024

अनूपपुर, दिनांक 15 जनवरी 2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक-एफ-2(क)-15-99-बी-3 दो दिनांक 11 अक्टूबर 2004 एवं पत्र क्रमांक एफ-2-(क)-9-08बी-3 दो दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 12.01.2024 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपरान्तरण करते हुये इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से :-

एक- नीचे दी गयी सारणी के कालम (1) में उल्लिखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं तथा

दो- सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3) में उल्लिखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है :-

| पुलिस थाने का नाम (तहसील जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है। | ग्राम/स्थानीय क्षेत्र का नाम | पुलिस थाने का नाम (तहसील जिला सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया है। |
|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| कोतवाली थाना अनूपपुर तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.) | 1. धनपुरी | पुलिस चौकी फुनगा थाना भालूमाड़ा |
| | 2. बम्हनी | |
| | 3. धनगवां | |
| | 4. मझगवां | |
| | 5. बनगवां | |
| | 6. मनटोलिया | |
| | 7. कोलमी | |
| थाना करनपठार, तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर (म.प्र.) | 1. बेलडोंगरी | थाना राजेन्द्रग्राम |
| | 2. कोहका | |
| | 3. जटंगा | |
| थाना राजेन्द्रग्राम, तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर (म.प्र.) | 1. विचारपुर | थाना करनपठार |
| | 2. पड़रीखार | |
| | 3. मानपुर | |
| | 4. लीलाटोला | |

आशीष वशिष्ठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सीधी, मध्यप्रदेश

क्र.-39-आरडीएम-2024

सीधी, दिनांक 16 जनवरी 2024

सचिव, म.प्र. शासन गृह विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक 01/1770880/2023/बी-3/दो भोपाल दिनांक 02.01.2024 एवं परिपत्र क्रमांक 03/1770880/2023/बी-3/दो भोपाल दिनांक 04.01.2024 के निर्देशानुसार जिले अंतर्गत थाना एवं चौकियों के अधिकार क्षेत्र/सीमा क्षेत्र के निर्धारण के संबंध में जिला स्तरीय समिति के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस विभाग) मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-2(क)/9/08/बी-3/दो भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 के द्वारा प्रदत्त अधिकारिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. क्रमांक 02) की धारा- 2, के खण्ड-एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी अनुसार कॉलम नं. 03 में अंकित ग्रामों को कॉलम नं. 04 में अंकित थाना/चौकी क्षेत्र से अपवर्जित किया जाकर कॉलम नं. 05 में अंकित थाना/चौकी क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है:-

३१

सारणी

| क. | जिला का नाम | ग्रामों का नाम | वर्तमान थाना/चौकी क्षेत्र जिससे अपवर्जित किया जाता है | थाना/चौकी का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाता है। |
|----|-------------|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सीधी | कठर्रा | थाना जमोड़ी, तहसील गोपद बनास | थाना बहरी, तहसील बहरी |
| 2 | | पोखरोड़ | थाना जमोड़ी, तहसील गोपद बनास | थाना कोतवाली, तहसील गोपद बनास |
| 3 | | सरखनिहा | थाना जमोड़ी, तहसील गोपद बनास | थाना कोतवाली, तहसील गोपद बनास |
| 4 | | खोहा | थाना जमोड़ी, तहसील गोपद बनास | थाना कोतवाली, तहसील गोपद बनास |
| 5 | | बमुरी | थाना जमोड़ी, तहसील गोपद बनास | थाना कोतवाली, तहसील गोपद बनास |
| 6 | | कोल्हुआ | थाना जमोड़ी, तहसील गोपद बनास | थाना कोतवाली, तहसील गोपद बनास |
| 7 | | भाठा | थाना जमोड़ी, तहसील गोपद बनास | थाना कोतवाली, तहसील गोपद बनास |
| 8 | | डाडी | थाना जमोड़ी, तहसील गोपद बनास | थाना कोतवाली, तहसील गोपद बनास |
| 9 | | कोचिटा | थाना जमोड़ी, तहसील गोपद बनास | थाना कोतवाली, तहसील गोपद बनास |
| 10 | | कठार | चौकी खड्डी, थाना रामपुर नैकिन तहसील रामपुर नैकिन | चौकी सेमरिया थाना चुरहट, तहसील चुरहट |
| 11 | | चौहानी | चौकी खड्डी, थाना रामपुर नैकिन तहसील रामपुर नैकिन | चौकी सेमरिया थाना चुरहट, तहसील चुरहट |
| 12 | | घोघरा | थाना कमजी, तहसील चुरहट | अमिलिया, तहसील सिहावल |
| 13 | | धुम्मा | थाना कमजी, तहसील चुरहट | अमिलिया, तहसील सिहावल |
| 14 | | प्रडरी | थाना बहरी, तहसील बहरी | थाना जमोड़ी, तहसील गोपद बनास |
| 15 | | झिंगाझर | थाना बहरी, तहसील बहरी | थाना कोतवाली, तहसील गोपद बनास |
| 16 | | छुहिया | थाना बहरी, तहसील बहरी | थाना कोतवाली, तहसील गोपद बनास |
| 17 | | चरकी | थाना मझौली, तहसील मझौली | चौकी बम्हनी थाना चुरहट तहसील चुरहट |
| 18 | | चितरौली | थाना भुईमाड़, तहसील कुसमी | थाना कुसमी तहसील कुसमी |

उपरोक्तानुसार कालम नं. 03 में वर्णित ग्रामों को कालम नं. 05 में अंकित थाना/चौकी क्षेत्र में एतद्वारा सम्मिलित किये जाते हैं। उक्त थानों एवं चौकियों के संचालन/संपादन एवं कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों, परिपत्रों एवं विनियमों का विधिक प्रावधानों के अंतर्गत विहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारंभ करने हेतु एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
साकेत मालवीय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
गृह विभाग

क्र.-06-2024-एस.डब्ल्यू.-785

बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2024

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र० 02, सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (एस) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर जिला बैतूल (म०प्र०) एवं पदेन उपसचिव, म०प्र० शासन, गृह विभाग नीचे दी गई सारणी में वर्णित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा "म०प्र० राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :-

- (एक) नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में से सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है और ,
(दो) नीचे दी गई सारणी के कॉलम (4) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम (5) में उल्लेखित थानों में सम्मिलित करती है :-

// सारणी //

| क्र. | जिल का नाम | पुलिस थाने का नाम जिससे अपवर्जित किया जाना है | ग्राम का नाम | पुलिस थाने का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है |
|------|------------|---|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | बैतूल | बैतूल बाजार | दभेरी | पुलिस सहा. केन्द्र खेडी, थाना कोतवाली |
| 2 | बैतूल | बैतूल बाजार | रौंढा | पुलिस सहा. केन्द्र खेडी, थाना कोतवाली |
| 3 | बैतूल | बैतूल बाजार | सैलगाँव | पुलिस सहा. केन्द्र खेडी, थाना कोतवाली |
| 4 | बैतूल | बैतूल बाजार | सावंगा | पुलिस सहा. केन्द्र खेडी, थाना कोतवाली |
| 5 | बैतूल | साईखेडा | सरण्डई | बैतूल बाजार |
| 6 | बैतूल | साईखेडा | बडोरी | बैतूल बाजार |
| 7 | बैतूल | साईखेडा | सुनारखापा | बैतूल बाजार |
| 8 | बैतूल | साईखेडा | छत्ता | बैतूल बाजार |
| 9 | बैतूल | साईखेडा | गोण्डी गौला | बैतूल बाजार |
| 10 | बैतूल | साईखेडा | हाथी डिंगर | बैतूल बाजार |
| 11 | बैतूल | साईखेडा | घोघरी | बैतूल बाजार |
| 12 | बैतूल | साईखेडा | सैलगाँव | बैतूल बाजार |
| 13 | बैतूल | साईखेडा | रौंढा | बैतूल बाजार |
| 14 | बैतूल | साईखेडा | चारवन | बैतूल बाजार |
| 15 | बैतूल | साईखेडा | छीटापाटी | बैतूल बाजार |
| 16 | बैतूल | साईखेडा | परतापुर | बैतूल बाजार |
| 17 | बैतूल | साईखेडा | साईखंडारा | बैतूल बाजार |
| 18 | बैतूल | साईखेडा | थावडी | बैतूल बाजार |
| 19 | बैतूल | शाहपुर | आमामोहान | चौकी पादर, थाना कोतवाली |
| 20 | बैतूल | शाहपुर | छूरी | चौकी पादर, थाना कोतवाली |
| 21 | बैतूल | शाहपुर | चिखलीमाल | चौकी पादर, थाना कोतवाली |
| 22 | बैतूल | शाहपुर | जाखली | चौकी पादर, थाना कोतवाली |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|----------|---------------|-------------------------|
| 23 | बैतूल | शाहपुर | झाडकुण्ड | चौकी पाढर, थाना कोतवाली |
| 24 | बैतूल | शाहपुर | घाना | चौकी पाढर थाना कोतवाली |
| 25 | बैतूल | भीजादेही | हरई | चिचोली |
| 26 | बैतूल | भीजादेही | खोखराखेडा | चिचोली |
| 27 | बैतूल | भीजादेही | कामठामाल | चिचोली |
| 28 | बैतूल | चोपना | तवा 2 | सारणी |
| 29 | बैतूल | सारणी | छुरी | थाना रानीपुर |
| 30 | बैतूल | सारणी | जागडा | थाना रानीपुर |
| 31 | बैतूल | सारणी | मयावानी | थाना रानीपुर |
| 32 | बैतूल | सारणी | सीताकामथ | थाना रानीपुर |
| 33 | बैतूल | मुलताई | कुमुद्रा | थाना आठनेर |
| 34 | बैतूल | मुलताई | लीलाझर | थाना बोरदेही |
| 35 | बैतूल | मुलताई | काठी | थाना बोरदेही |
| 36 | बैतूल | मुलताई | गुबरैल | थाना बोरदेही |
| 37 | बैतूल | मुलताई | हरदोली | थाना बोरदेही |
| 38 | बैतूल | बोरदेही | छिन्दी | थाना मुलताई |
| 39 | बैतूल | बोरदेही | माथनी | थाना मुलताई |
| 40 | बैतूल | बोरदेही | महतपुर | थाना मुलताई |
| 41 | बैतूल | बोरदेही | खडकवार | थाना मुलताई |
| 42 | बैतूल | आमला | एनस | थाना साईखेडा |
| 43 | बैतूल | आमला | झिरीखापा | थाना साईखेडा |
| 44 | बैतूल | आमला | रायसेडा | थाना साईखेडा |
| 45 | बैतूल | आमला | कुण्डई बोधिया | थाना साईखेडा |
| 46 | बैतूल | आमला | सोमलापुर | थाना साईखेडा |
| 47 | बैतूल | आमला | काजी जामठी | थाना गंज |
| 48 | बैतूल | आमला | बागदा | थाना गंज |
| 49 | बैतूल | आमला | बघवाड | थाना गंज |
| 50 | बैतूल | आमला | किल्लौद | थाना गंज |
| 51 | बैतूल | आमला | भीलावाडी | थाना गंज |
| 52 | बैतूल | आमला | पहावाडी | थाना गंज |
| 53 | बैतूल | आमला | लाखापुर | थाना गंज |
| 54 | बैतूल | आमला | बरसाली | थाना गंज |
| 55 | बैतूल | आमला | मोरडोंगरी | थाना गंज |
| 56 | बैतूल | आमला | पाठाखेडा | थाना गंज |
| 57 | बैतूल | आमला | ग्यारसपुर | थाना गंज |
| 58 | बैतूल | भैसदेही | बोधी | आठनेर |
| 59 | बैतूल | भैसदेही | नत्थू ढाना | आठनेर |
| 60 | बैतूल | भैसदेही | अम्बाडा | आठनेर |
| 61 | बैतूल | भैसदेही | बाबजई | आठनेर |
| 62 | बैतूल | भैसदेही | कोकढाना | आठनेर |
| 63 | बैतूल | भैसदेही | टांकी | आठनेर |
| 64 | बैतूल | आठनेर | सालबडी | चौकी मासोद थाना मुलताई |
| 65 | बैतूल | आठनेर | मोरण्ड | चौकी मासोद थाना मुलताई |
| 66 | बैतूल | आठनेर | गेहूबरसा | चौकी मासोद थाना मुलताई |
| 67 | बैतूल | आठनेर | चिखलीमाल | चौकी मासोद थाना मुलताई |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|--------|---------------|-------------------------|
| | बैतूल | आठनेर | रजापुर | चौकी मासोद थाना मुलताई |
| 69 | बैतूल | आठनेर | रगडगाँव | चौकी मासोद थाना मुलताई |
| 70 | बैतूल | आठनेर | वलनी | चौकी मासोद थाना मुलताई |
| 71 | बैतूल | आठनेर | जामठी सवासन | चौकी मासोद थाना मुलताई |
| 72 | बैतूल | आठनेर | बिसनूर | चौकी मासोद थाना मुलताई |
| 73 | बैतूल | आठनेर | पचधार | चौकी मासोद थाना मुलताई |
| 74 | बैतूल | आठनेर | बोरपेण्ड | चौकी मासोद थाना मुलताई |
| 75 | बैतूल | आठनेर | रोहना | चौकी मासोद थाना मुलताई |
| 76 | बैतूल | आठनेर | ढाबका | चौकी मासोद थाना मुलताई |
| 77 | बैतूल | आठनेर | झुनकारी | चौकी मासोद थाना मुलताई |
| 78 | बैतूल | आठनेर | चकोरा | चौकी मासोद थाना मुलताई |
| 79 | बैतूल | आठनेर | साईखेडा खुर्द | चौकी मासोद थाना मुलताई |
| 80 | बैतूल | आठनेर | गौना | चौकी मासोद थाना मुलताई |
| 81 | बैतूल | आठनेर | गरव्हा | चौकी मासोद थाना मुलताई |
| 82 | बैतूल | आठनेर | चारसी | चौकी मासोद थाना मुलताई |
| 83 | बैतूल | झल्लार | चूनालोमा | कोतवाली बैतूल |
| 84 | बैतूल | झल्लार | रातामाटी कला | कोतवाली बैतूल |
| 85 | बैतूल | झल्लार | घाना रायपुर | कोतवाली बैतूल |
| 86 | बैतूल | झल्लार | सिमोरी | कोतवाली बैतूल |
| 87 | बैतूल | झल्लार | चिचढाना | कोतवाली बैतूल |
| 88 | बैतूल | झल्लार | सिहार | बैतूल बाजार |
| 89 | बैतूल | झल्लार | बोथी | बैतूल बाजार |
| 90 | बैतूल | झल्लार | उमरडोह(वीरान) | बैतूल बाजार |
| 91 | बैतूल | झल्लार | माण्डवा | बैतूल बाजार |
| 92 | बैतूल | झल्लार | गाडवा | बैतूल बाजार |
| 93 | बैतूल | झल्लार | पिपला | बैतूल बाजार |
| 94 | बैतूल | झल्लार | हथनाझिरी | बैतूल बाजार |
| 95 | बैतूल | झल्लार | घुरनी | बैतूल बाजार |
| 96 | बैतूल | झल्लार | मुचगोहान | बैतूल बाजार |
| 97 | बैतूल | झल्लार | बगदरी | बैतूल बाजार |
| 98 | बैतूल | झल्लार | बोरीकास | बैतूल बाजार |
| 99 | बैतूल | झल्लार | सालार्जुन | बैतूल बाजार |
| 100 | बैतूल | झल्लार | घोघरादेयत | चौकी भीमपुर थाना चिचोली |
| 101 | बैतूल | झल्लार | चोहटा | चौकी भीमपुर थाना चिचोली |
| 102 | बैतूल | झल्लार | पोपटी | चौकी भीमपुर थाना चिचोली |
| 103 | बैतूल | मोहदा | बटकी | चौकी भीमपुर थाना चिचोली |
| 104 | बैतूल | मोहदा | घोडपडमाल | चौकी भीमपुर थाना चिचोली |

क्र.-06-2024-एस.डब्ल्यू.-786

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र० 02, सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (एस) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर जिला बैतूल (म०प्र०) एवं पदेन उपसचिव, म०प्र० शासन, गृह विभाग नीचे दी गई सूची में वर्णित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा "म०प्र० राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :-

(एक) चौकी घोड़ाडोंगरी थाना सारणी को वर्तमान थाना सारणी से अपवर्जित करते हुये थाना रानीपुर में सम्मिलित करती हैं और,

(दो) नीचे दी गई सूची के कॉलम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में से सूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती हैं और ,

(तीन) नीचे दी गई सूची के कॉलम (4) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सूची के कॉलम (5) में उल्लेखित थानों में सम्मिलित करती हैं :-

// सूची //

| क्र. | जिले का नाम | थाने का नाम जिसमें से अपवर्जित किया जाना है | ग्राम का नाम | पुलिस चौकी / थाने का नाम जिसमें सम्मिलित किया गया है |
|------|-------------|---|--------------|--|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01 | बैतूल | शाहपुर | अर्जुनगोदी | चौकी घोड़ाडोंगरी, थाना रानीपुर |
| 02 | बैतूल | सारणी | घाडगाँव | चौकी घोड़ाडोंगरी, थाना रानीपुर |
| 03 | बैतूल | सारणी | बासपुर | चौकी घोड़ाडोंगरी, थाना रानीपुर |
| 04 | बैतूल | सारणी | रातामाटी | चौकी घोड़ाडोंगरी, थाना रानीपुर |
| 05 | बैतूल | सारणी | पिपरी | चौकी घोड़ाडोंगरी, थाना रानीपुर |
| 06 | बैतूल | सारणी | कान्हावाडी | चौकी घोड़ाडोंगरी, थाना रानीपुर |
| 07 | बैतूल | सारणी | धुग्धी | चौकी घोड़ाडोंगरी, थाना रानीपुर |
| 08 | बैतूल | सारणी | सालीदाना | चौकी घोड़ाडोंगरी, थाना रानीपुर |
| 09 | बैतूल | सारणी | घोड़ाडोंगरी | चौकी घोड़ाडोंगरी, थाना रानीपुर |
| 10 | बैतूल | रानीपुर | फूलगोहन | चौकी घोड़ाडोंगरी, थाना रानीपुर |
| 11 | बैतूल | रानीपुर | महेन्द्रवाडी | चौकी घोड़ाडोंगरी, थाना रानीपुर |
| 12 | बैतूल | रानीपुर | सड़कवाड़ा | चौकी घोड़ाडोंगरी, थाना रानीपुर |
| 13 | बैतूल | रानीपुर | चोपना | चौकी घोड़ाडोंगरी, थाना रानीपुर |

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दण्डाधिकारी, पांडुर्णा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
गृह विभाग

पांडुर्णा, दिनांक 17 जनवरी 2024

क्रमांक/106/एस.डब्ल्यू./2024 :- मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक-एफ-2(क)/9/08/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के द्वारा जिले के भीतर स्वीकृत थाने की सीमा का निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर को अधिसूचना जारी करने के लिए पदेन उपसचिव घोषित किया गया है,

पुलिस अधीक्षक पांडुर्णा के प्रस्ताव पत्र क्रमांक/पुअ/पांडुर्णा/स्टेनो/15/2024, दिनांक 09/01/2024 के द्वारा नीचे सारणी के कॉलम नं. 2 में अंकित अनुसार ग्राम, जो थाना मोहगांव, तहसील-सौंसर के अन्तर्गत आते हैं, और थाना पांडुर्णा के अपेक्षाकृत थाना मोहगांव से अधिक दूरी पर स्थित हैं, और तहसील पांडुर्णा के राजस्व सीमा के अन्तर्गत आते हैं, को थाना पांडुर्णा में समायोजित किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है,

अतएव पुलिस अधीक्षक पांडुर्णा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं जिला स्तरीय समिति पांडुर्णा द्वारा उक्त प्रस्ताव अनुमोदित उपरांत, मै अजय देव शर्मा, कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी पांडुर्णा एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्र.2) की धारा-2 के खण्ड-एस में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं में आंशिक उपांतरण करते हुए मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से-

वह ग्राम जो सारणी के कॉलम नं. -2 में उल्लेखित हैं, उस पुलिस थाना से, जो कि नीचे दी गयी सारणी के कॉलम नं. -3 में उल्लेखित किया गया है, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को, अपवर्जित करता हूँ, और निर्देश देता हूँ कि वह ग्राम जो नीचे सारणी के कॉलम नं. 2 में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, ऐसे स्थानीय क्षेत्र, कॉलम नं. -4 के थाना क्षेत्र में सम्मिलित होंगे -

| सारणी | | | |
|------------------------------------|---------------|--|---|
| अनुविभाग पांडुर्णा, जिला-पांडुर्णा | | | |
| क्रमांक | ग्राम का नाम | उस पुलिस थाने का नाम (तहसील व जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया | उस पुलिस थाने का नाम (तहसील व जिला सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | बेलगांव दवामी | थाना मोहगांव, तहसील-सौंसर, जिला-पांडुर्णा | थाना-पांडुर्णा, तहसील-पांडुर्णा, जिला-पांडुर्णा |
| 2 | भुयारी | थाना मोहगांव, तहसील-सौंसर, जिला-पांडुर्णा | थाना-पांडुर्णा, तहसील-पांडुर्णा, जिला-पांडुर्णा |
| 3 | गढ़मउ | थाना मोहगांव, तहसील-सौंसर, जिला-पांडुर्णा | थाना-पांडुर्णा, तहसील-पांडुर्णा, जिला-पांडुर्णा |

No. 106 /S.W./2024 :- Circular number-F-2(A)/9/08/B-3/2 of Madhya Pradesh Government Home (Police) Department Ministry Vallabh Bhawan Bhopal, Bhopal By date 30th July 2010, the authority to determine the limits of the sanctioned police station within the district has been delegated to the District Level Committee and declared as ex-officio Deputy Secretary for issuing notification to the Collectors,

Superintendent of Police Pandhurna's proposal letter no./PUA/Pandhurna/Steno. /15, dated 09/01/2024 vide column no. of the table below. As mentioned in figure 2, a proposal has been sent to accommodate the village, The police station Mohgaon which comes under Tehsil-Saunsar, and is located at a greater distance from Mohgaon police station than Pandhurna police station, and comes under the revenue limits of Tehsil Pandhurna, has been sent a proposal to be adjusted in police station Pandhurna.

Therefore, after the proposal presented by the Superintendent of Police Pandhurna and the said proposal approved by the District Level Committee Pandhurna, I, Ajay Dev Sharma, Collector/District Magistrate Pandhurna and ex-officio Deputy Secretary Madhya Pradesh Government, Home Department, Code of Criminal Procedure 1973 (Simple No. 2 of 1974) With effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette, in exercise of the powers conferred in Clause-S of Section 2 of the Act and making partial modifications to the earlier notifications affecting the local areas specified in the table given below –

The village which appears in column no. of the table. -2, from that police station which is mentioned in column no. of the table below. -3, I exclude such local areas, and direct that the villages mentioned in column no. 2, such local areas, column no. -4 will be included in the police station area -

| TABLE | | | |
|--|-----------------|---|---|
| Sub Division Pandhurna, District-Pandhurna | | | |
| Serial Number | Name of village | Name of the police station (including tehsil and district) from which it was excluded | Name of the police station (including tehsil and district) in which it was included |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Belgaon Dawami | Police station Mohgaon, Tehsil-Saunsar, District-Pandhurna | Police station-Pandhurna, Tehsil-Pandhurna, District-Pandhurna |
| 2 | Bhuyari | Police station Mohgaon, Tehsil-Saunsar, District-Pandhurna | Police station-Pandhurna, Tehsil-Pandhurna, District-Pandhurna |
| 3 | Garhmau | Police station Mohgaon, Tehsil-Saunsar, District-Pandhurna | Police station-Pandhurna, Tehsil-Pandhurna, District-Pandhurna |

क्रमांक / 207 / एस.डब्ल्यू. / 2024 :- मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक-एफ-2(क)/9/08/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के द्वारा जिले के भीतर स्वीकृत थाने की सीमा का निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर को अधिसूचना जारी करने के लिए पदेन उपसचिव घोषित किया गया है,

पुलिस अधीक्षक पांडुर्णा के प्रस्ताव पत्र क्रमांक/पुअ/पांडुर्णा/स्टेनो/14, दिनांक 09/01/2024 के द्वारा नीचे सारणी के कॉलम नं. 2 में अंकित अनुसार ग्राम, जो पुलिस चौकी बड़चिचौली के अन्तर्गत आते हैं, और थाना पांडुर्णा के अपेक्षाकृत पुलिस चौकी बड़चिचौली से अधिक दूरी पर स्थित हैं, को थाना पांडुर्णा में समायोजित किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है,

अतएव पुलिस अधीक्षक पांडुर्णा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं जिला स्तरीय समिति पांडुर्णा द्वारा उक्त प्रस्ताव अनुमोदित उपरांत, मै अजय देव शर्मा, कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी पांडुर्णा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्र.2) की धारा-2 के खण्ड-एस में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं में आंशिक उपांतरण करते हुए मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से-

वह ग्राम जो सारणी के कॉलम नं. -2 में उल्लेखित हैं, उस पुलिस चौकी से, जो कि नीचे दी गयी सारणी के कॉलम नं. -3 में उल्लेखित किया गया है, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को, अपवर्जित करता हूँ, और निर्देश देता हूँ कि वह ग्राम जो नीचे सारणी के कॉलम नं. 2 में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, ऐसे स्थानीय क्षेत्र, कॉलम नं. -4 के थाना क्षेत्र में सम्मिलित होंगे -

| सारणी | | | |
|------------------------------------|--------------|--|---|
| अनुविभाग पांडुर्णा, जिला-पांडुर्णा | | | |
| क्रमांक | ग्राम का नाम | उस पुलिस चौकी का नाम (तहसील व जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया | उस पुलिस थाने का नाम (तहसील व जिला सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | करव्हार | पुलिस चौकी बड़चिचौली, तहसील-पांडुर्णा, जिला-पांडुर्णा | थाना-पांडुर्णा, तहसील-पांडुर्णा, जिला-पांडुर्णा |
| 2 | दाडीमेटा | पुलिस चौकी बड़चिचौली, तहसील-पांडुर्णा, जिला-पांडुर्णा | थाना-पांडुर्णा, तहसील-पांडुर्णा, जिला-पांडुर्णा |
| 3 | कुकड़ीखापा | पुलिस चौकी बड़चिचौली, तहसील-पांडुर्णा, जिला-पांडुर्णा | थाना-पांडुर्णा, तहसील-पांडुर्णा, जिला-पांडुर्णा |
| 4 | मूली | पुलिस चौकी बड़चिचौली, तहसील-पांडुर्णा, जिला-पांडुर्णा | थाना-पांडुर्णा, तहसील-पांडुर्णा, जिला-पांडुर्णा |
| 5 | उमरामक्ता | पुलिस चौकी बड़चिचौली, तहसील-पांडुर्णा, जिला-पांडुर्णा | थाना-पांडुर्णा, तहसील-पांडुर्णा, जिला-पांडुर्णा |

No. 107 /S.W./2024 :- Circular number-F-2(A)/9/08/B-3/2 of Madhya Pradesh Government Home (Police) Department Ministry Vallabh Bhawan Bhopal, Bhopal By date 30th July 2010, the authority to determine the limits of the sanctioned police station within the district has been delegated to the District Level Committee and declared as ex-officio Deputy Secretary for issuing notification to the Collectors,

Superintendent of Police Pandhurna's proposal letter no./PUA/Pandhurna/Steno. /14, dated 09/01/2024 vide column no. of the table below. As mentioned in figure 2, a proposal has been sent to accommodate the village, which comes under Police Post Badchichaili, and is located at a greater distance from Police Post Badchichaili than Police Station Pandhurna, in Police Station Pandhurna,

Therefore, presented by the Superintendent of Police Pandhurna. After the proposal and approval of the said proposal by the District Level Committee, Pandhurna, I, Ajay Dev Sharma, Collector/District Magistrate, Pandhurna and ex-officio Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Home Department, Section 2 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Simple No. 2 of 1974) -In exercise of the powers conferred in S. and making partial modifications to the earlier notifications affecting the local areas specified in the table given below, from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette –

The village which is mentioned in column no. -2, from the police post which is mentioned in column no. of the table below. -3, I exclude such local areas, and direct that the villages mentioned in column no. 2, such local areas, column no. Will be included in the police station area of -4

| TABLE | | | |
|--|-----------------|---|---|
| Sub Division Pandhurna, District-Pandhurna | | | |
| Serial Number | Name of village | Name of the police station (including tehsil and district) from which it was excluded | Name of the police station (including tehsil and district) in which it was included |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Karwar | OP Police Station Badchichauili, Tehsil-Pandhurna, District-Pandhurna | Police Station-Pandhurna, Tehsil-Pandhurna, District-Pandhurna |
| 2 | Dadimeta | OP Police Station Badchichauili, Tehsil-Pandhurna, District-Pandhurna | Police Station-Pandhurna, Tehsil-Pandhurna, District-Pandhurna |
| 3 | Kukrikhapa | OP Police Station Badchichauili, Tehsil-Pandhurna, District-Pandhurna | Police Station-Pandhurna, Tehsil-Pandhurna, District-Pandhurna |
| 4 | Bhooli | OP Police Station Badchichauili, Tehsil-Pandhurna, District-Pandhurna | Police Station-Pandhurna, Tehsil-Pandhurna, District-Pandhurna |
| 5 | Umramakta | OP Police Station Badchichauili, Tehsil-Pandhurna, District-Pandhurna | Police Station-Pandhurna, Tehsil-Pandhurna, District-Pandhurna |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय देव शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दण्डाधिकारी, मध्यप्रदेश पन्ना एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश,
शासन द्वारा घोषित गृह विभाग

पन्ना, दिनांक 18 जनवरी 2024

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय ज्ञाप क्रमांक 01/1770880/2023/बी-3/दो, पन्ना, दिनांक 04.01.2024 एवं मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-03/1770880/2023/बी-3/दो भोपाल दिनांक 04.01.2024 एवं मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-2(क)/15/99/बी-3/दो भोपाल दिनांक 11.10.04 के अंतर्गत पन्ना जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण दण्ड प्रकिया सी 1973/74 का स 0 2 की धारा-2 के खण्ड-एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत समिति सदस्य पुलिस अधीक्षक पन्ना एवं जिला अभियोजन अधिकारी प की सहमति के आधार पर निम्न थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण हेतु अधिसूचना का प्रकाशन किया जाता है।

(1) अनुभाग पन्ना

| सं. क्र. | वर्तमान थाने का नाम | प्रस्तावित ग्राम का नाम | प्रस्तावित थाना/चौकी | वर्तमान थाना/चौकी से ग्राम की दूरी | प्रस्तावित थाना/चौकी से वर्तमान दूरी | ग्राम की जनसंख्या | विगत 05 वर्ष में ग्राम में घटित अपराध (भादवि/दप्रस) | स्पष्ट अभिमत कारण सहित |
|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|--|
| 1. | कोतवाली | मुटवाकला | देवेन्द्रनगर | 28 किमी | 05 किमी | - | भादवि- 15 सीआरपीसी- 83, भाईनर- 18 | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |
| 2. | कोतवाली | बसई | देवेन्द्रनगर | 27 किमी | 04 किमी | - | भादवि- 04 सीआरपीसी- 48 भाईनर- 01 | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |
| 3. | कोतवाली | गोविन्दपुरा | देवेन्द्रनगर | 26 किमी | 06 किमी | - | भादवि- 01 सीआरपीसी- 02, भाईनर- निल | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |
| 4. | चौकी बराह थाना कोतवाली | मनकी | कोतवाली पन्ना | 27 किमी | 07 किमी | - | भादवि- 01 सीआरपीसी- 03, भाईनर- 04 | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |
| 5. | चौकी बराह थाना कोतवाली | कटरिया | कोतवाली पन्ना | 29 किमी | 09 किमी | - | भादवि- 01 सीआरपीसी- निल, भाईनर- 01 | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |
| 6. | चौकी बराह थाना कोतवाली | जखवावा | कोतवाली पन्ना | 24 किमी | 11 किमी | - | भादवि- 10 सीआरपीसी- 65, भाईनर- 13 | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |
| 7. | चौकी ककरहटी थाना कोतवाली | देवरी | चौकी बराह थाना कोतवाली | 16 किमी | 10 किमी | - | भादवि- 08 सीआरपीसी- 70, भाईनर- 10 | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |
| 8. | चौकी ककरहटी थाना कोतवाली | रनवाहा | चौकी बराह थाना कोतवाली | 17 किमी | 12 किमी | - | भादवि- 18 सीआरपीसी- 63, भाईनर- 06 | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |
| 9. | देवेन्द्रनगर | देवरीगढ़ी | चौकी ककरहटी थाना कोतवाली | 12 किमी | 05 किमी | - | भादवि- 30 सीआरपीसी- 65 भाईनर- | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |
| 10. | देवेन्द्रनगर | गढी पकरीया | चौकी ककरहटी थाना कोतवाली | 12 किमी | 05 किमी | - | भादवि- 60 सीआरपीसी- 154 भाईनर- | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |
| 11. | देवेन्द्रनगर | विल्हा | थाना गुनौर | 21 किमी | 10 किमी | - | 22 भादवि अपराध, 48 द.प्र.सं. | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |
| 12. | देवेन्द्रनगर | हनुमतपुरा | थाना गुनौर | 23 किमी | 09 किमी | - | 06 भादवि अपराध, 12 द. प्र. सं. | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |
| 13. | देवेन्द्रनगर | संगरपुरा | थाना गुनौर | 23 किमी | 09 किमी | - | | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |
| 14. | देवेन्द्रनगर | धनोखर | थाना गुनौर | 20 किमी | 10 किमी | - | 17 भादवि अपराध, 54 द.प्र.सं. | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |
| 15. | देवेन्द्रनगर | निबहरी | थाना गुनौर | 20 किमी | 10 किमी | - | 10 भादवि अपराध, 12 द.प्र.सं. | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |
| 16. | देवेन्द्रनगर | नेगुवा | थाना गुनौर | 21 किमी | 10 किमी | - | 13 भादवि अपराध, 23 द.प्र.सं. | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |
| 17. | देवेन्द्रनगर | एल्हा | थाना गुनौर | 20 किमी | 12 किमी | - | 13 भादवि अपराध, 23 द.प्र.सं. | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |
| 18. | देवेन्द्रनगर | टंडा | थाना गुनौर | 20 किमी | 12 किमी | - | 07 भादवि अपराध, 14 द.प्र.सं. | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |
| 19. | देवेन्द्रनगर | भटमवा | थाना गुनौर | 20 किमी | 11 किमी | - | 12 भादवि अपराध, 21 द.प्र.सं. | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |
| 20. | देवेन्द्रनगर | मजबाहा | थाना गुनौर | 25 किमी | 10 किमी | - | 01 भादवि अपराध, 02 द.प्र.सं. | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |
| 21. | देवेन्द्रनगर | मकरीकुण्ड | थाना बूजपुर | 30 किमी | 18 किमी | - | 33 भादवि अपराध, 47 द.प्र.सं. | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |
| 22. | देवेन्द्रनगर | ककरहा | थाना बूजपुर | 32 किमी | 18 किमी | - | 33 भादवि अपराध, 47 द.प्र.सं. | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |
| 23. | देवेन्द्रनगर | पाटिया | थाना ससेहा | 25 किमी | 10 किमी | - | 04 भादवि अपराध, 05 द.प्र.सं. | प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है। |

(2) अनुभाग पर्वई

| सं. क्र. | वर्तमान थाने का नाम | प्रस्तावित ग्राम का नाम | प्रस्तावित थाना/चौकी | वर्तमान थाना/चौकी से ग्राम की दूरी | प्रस्तावित थाना/चौकी से वर्तमान दूरी | ग्राम की जनसंख्या | विगत 05 वर्ष में ग्राम में घटित अपराध (भादवि/दप्रस) | स्पष्ट अभिमत कारण सहित |
|----------|---------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|---|
| 1 | रेपुर | बिलपुण्ड | चौकी मोहनपुर/थाना सिमरिया | 28 किमी | 15 किमी | करीबन 2000 | 21 | थाना क्षेत्र से दूरी होने के कारण एवं अपराध की रोकथाम |
| 2 | रेपुर | टिकरिया | चौकी मोहनपुर/थाना सिमरिया | 32 किमी | 16 किमी | करीबन 500 | 11 | थाना क्षेत्र से दूरी होने के कारण एवं अपराध की रोकथाम |
| 3 | रेपुर | मत्तपन वि.सरखी (ताकवा) | चौकी कोरिया/थाना शाहनगर | 25 किमी | 08 किमी | करीबन 4500 | 48 | थाना क्षेत्र से दूरी होने के कारण एवं अपराध की रोकथाम |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-----------------------|--------|-----------|-----------|----|---|
| 4 | रेपुरा | गुल्ता | चौकी बोरी/धाना शाहनगर | 28किमी | 09 कि०मी० | करीबन1700 | 13 | धाना क्षेत्र से दूरी होने के कारण एवं अपराध की रोकथाम |
| 5 | रेपुरा | नादघाद | चौकी बोरी/धाना शाहनगर | 25किमी | 15 कि०मी० | करीबन1500 | 26 | धाना क्षेत्र से दूरी होने के कारण एवं अपराध की रोकथाम |

(3) अनुभाग गुनौर

| क्रमांक | वर्तमान धाने का नाम | प्रस्तावित ग्राम का नाम | प्रस्तावित चौकी | वर्तमान धाना / चौकी से ग्राम की दूरी | प्रस्तावित धाने / चौकी से वर्तमान दूरी | ग्राम की जनसंख्या | विगत 05 वर्षों में ग्राम में घटित अपराध (भादवि० / दप्रस०) | स्पष्ट अभिमत सहित |
|---------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---|--|
| 01 | गुनौर | चौडा | चौकी महैबा धाना अमानगंज | 20 | 04 | - | 09 | कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही की जा सकेगी |
| 02 | गुनौर | जूडीतपे | चौकी महैबा धाना अमानगंज | 18 | 05 | - | 14 | --/-- |
| 03 | गुनौर | बरहाखुर्द | चौकी महैबा धाना अमानगंज | 16 | 04 | - | 0 | --/-- |
| 04 | गुनौर | सिमरी सुरत | चौकी महैबा धाना अमानगंज | 20 | 03 | - | 03 | --/-- |

(4) अनुभाग अजयगढ़

| क्र. | वर्तमान धाने का नाम | प्रस्तावित ग्राम का नाम | प्रस्तावित चौकी | वर्तमान धाना / चौकी से ग्राम की दूरी | प्रस्तावित धाने / चौकी से वर्तमान दूरी | ग्राम की जनसंख्या | विगत 05 वर्षों में ग्राम में घटित अपराध (भादवि /दप्रस) | स्पष्ट अभिमत सहित |
|------|---------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| 01. | अजयगढ़ | - | - | - | - | - | - | - |
| 02. | धरमपुर | - | - | - | - | - | - | - |
| 03. | बृजपुर | - | - | - | - | - | - | - |
| 04. | मड़ला | - | - | - | - | - | - | - |

चौकियों की सीमाओं के निर्धारण/युक्तियुक्तकरण हेतु

| क्र. | वर्तमान धाने का नाम | प्रस्तावित चौकी का नाम | प्रस्तावित धाना | वर्तमान धाना / से चौकी दूरी | प्रस्तावित धाने से दूरी | स्पष्ट अभिमत सहित |
|------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| 01 | कोतवाली | ककरहटी | देवेन्द्रनगर | 20 कि.मी. | 14 कि.मी. | कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही की जा सकेगी |
| 02 | मड़ला | मझगवाँ | कोतवाली | 30 कि.मी. | 20 कि.मी. | कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही की जा सकेगी |

धानों का अनुभाग में निर्धारण/युक्तियुक्तकरण हेतु

| क्र. | वर्तमान धाने का नाम | वर्तमान अनुभाग का नाम | प्रस्तावित अनुभाग | वर्तमान अनुभाग से धाना की दूरी | प्रस्तावित अनुभाग से धाना की दूरी | स्पष्ट अभिमत सहित |
|------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01 | मड़ला | अनुभाग अजयगढ़ | अनुभाग पन्ना | 50 कि.मी. | 18 कि.मी. | कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही की जा सकेगी |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरजिंदर सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-02, खण्ड एस के अनुसार

उमरिया, दिनांक 18 जनवरी 2024

क्रमांक 320 /एस.डब्ल्यू./2024 अधिसूचित किया जाता है कि जिला उमरिया ग्रामीण/शहरी थानों के रखते हुये प्रस्तावित थाना/चौकियों की दूरी की लंबे समय की दूरी तय न करना पड़े तथा आमजन की समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से करने आदि सुविधाओं को दृष्टिगत अन्तर्गत आने वाले ग्रामों/मौहल्लों की भौगोलिक स्थिति, जनसुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण रखते हुए प्रस्तावित थाना/चौकियों की दूरी की समीक्षा उपरांत निम्नानुसार 19 थाना/चौकियों की सीमा परिवर्तन किया जाना है ।

| स.क्र. | वर्तमान थाने का नाम | ग्राम का नाम | प्रस्तावित थाना |
|--------|---------------------|--------------|---------------------|
| 1 | थाना मानपुर | चेचरिया | थाना पाली |
| 2 | थाना मानपुर | बदरेहल | थाना कोतवाली उमरिया |
| 3 | थाना मानपुर | पठारी | थाना कोतवाली उमरिया |
| 4 | थाना मानपुर | धमोखर | थाना कोतवाली उमरिया |
| 5 | थाना इंदवार | पतौर | थाना मानपुर |
| 6 | थाना कोतवाली उमरिया | रायपुर | थाना पाली |
| 7 | थाना कोतवाली उमरिया | सकरिया | थाना पाली |
| 8 | थाना कोतवाली उमरिया | कुमरहा | थाना पाली |
| 9 | थाना कोतवाली उमरिया | गोरईया | थाना पाली |
| 10 | थाना कोतवाली उमरिया | बिजौरा | थाना पाली |
| 11 | थाना चंदिया | भलवार | चौकी बिलासपुर |
| 12 | थाना चंदिया | कोटल्दे | चौकी बिलासपुर |
| 13 | थाना चंदिया | अचला | चौकी सिविल लाईन |
| 14 | थाना पाली | मकरा | थाना मानपुर |
| 15 | थाना पाली | पटपरिहा | थाना मानपुर |
| 16 | थाना पाली | खिचकिडी | थाना मानपुर |
| 17 | थाना पाली | चेरहा | थाना मानपुर |
| 18 | थाना पाली | केल्हारी | थाना मानपुर |
| 19 | थाना पाली | बड़वाही | थाना मानपुर |

अतः एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सीमा परिवर्तन के संबंध में यदि किसी प्रकार की आपत्तियां दर्ज कराना है तो अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर कलेक्टर कार्यालय उमरिया में प्रस्तुत करें ।

बुद्धेश कुमार वैध, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला दण्डाधिकारी, नर्मदापुरम

क्र.-782-एस.डब्ल्यू.-परि.-2024

नर्मदापुरम, दिनांक 17 जनवरी 2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक/एफ-2/(क)/15/99/बी-3/दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/एफ-2/(क)/9/08/बी-3/दो दिनांक 30.07.2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की गठित जिलास्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, समिति की आयोजित बैठक दिनांक 08.01.2024 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अधोलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये, राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये युक्तियुक्तकरण उपरांत नर्मदापुरम जिले के सभी अनुविभागों के थानों की सीमाओं का पुर्ननिर्धारण मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट ग्राम/कस्बा/मोहल्ला/स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम (4) में उल्लेखित पुलिस थाने में अनुविभाग अनुसार सम्मिलित करती है-

| अनुविभाग इटारसी | | | |
|-----------------|-----------------------|--|---|
| क्रं. | ग्राम/कस्बा/मोहल्ला | वर्तमान में किस थाना क्षेत्रान्तर्गत है। | क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया जा रहा है। |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | ग्राम-नांदनेर | थाना पथरोटा | थाना रामपुर गुरा |
| 02 | ग्राम कांदई कला | थाना पथरोटा | थाना रामपुर गुरा |
| 03 | ग्राम-बम्हनगोव | थाना पथरोटा | थाना इटारसी |
| 04 | ग्राम- सिलारी | थाना तवानगर | थाना रामपुर गुरा |
| 05 | ग्राम चिल्लई | थाना तवानगर | थाना रामपुर गुरा |
| 06 | ग्राम कोटा, | थाना तवानगर | थाना रामपुर गुरा |
| 07 | ग्राम सोनतलाई | थाना तवानगर | थाना रामपुर गुरा |
| 08 | ग्राम गजपुर | थाना तवानगर | थाना रामपुर गुरा |
| 09 | ग्राम रूपापुर | थाना तवानगर | थाना रामपुर गुरा |
| 10 | ग्राम धोबीखापा | थाना तवानगर | थाना रामपुर गुरा |
| 11 | ग्राम बेलावाडा केम्प | थाना तवानगर | थाना रामपुर गुरा |
| 12 | ग्राम टपरिया | थाना तवानगर | थाना रामपुर गुरा |
| 13 | ग्राम-चाटुआ | थाना केसला | थाना तवानगर |
| 14 | ग्राम अमझिरा (चंदखार) | थाना केसला | थाना तवानगर |

| अनुविभाग सिवनी मालवा | | | |
|----------------------|----------------------------|--|---|
| क्रं. | ग्राम/कस्बा/मोहल्ला | वर्तमान में किस थाना क्षेत्रान्तर्गत है। | क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया जा रहा है। |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ग्राम गांगिया (ढाकनीपुरा) | शिवपुर | सिवनी मालवा |
| 2 | चौकी गंवा | शिवपुर | सिवनी मालवा |
| 3 | भैरोपुर | शिवपुर | सिवनी मालवा |
| 4 | बघवाडा | डोलरिया | सिवनी मालवा |
| अनुविभाग पिपरिया | | | |
| क्रं. | ग्राम/कस्बा/मोहल्ला | वर्तमान में किस थाना क्षेत्रान्तर्गत है। | क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया जा रहा है। |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | नयागावं | स्टेशन रोड़ पिपरिया | बनखेड़ी |
| 2 | महाराजगंज | स्टेशन रोड़ पिपरिया | बनखेड़ी |
| 3 | कन्हवार | बनखेड़ी | पिपरिया |
| 4 | सिंगोडी | बनखेड़ी | पिपरिया |
| 5 | सिंधोडा | बनखेड़ी | पिपरिया |
| 6 | टडा | स्टेशन रोड़ पिपरिया | पिपरिया |
| 7 | बांसखेड़ा | स्टेशन रोड़ पिपरिया | पिपरिया |
| 8 | खैरीखुर्द | स्टेशन रोड़ पिपरिया | पिपरिया |
| 9 | अलीवाडा | स्टेशन रोड़ पिपरिया | पिपरिया |
| अनुविभाग नर्मदापुरम | | | |
| क्रं. | ग्राम/कस्बा/मोहल्ला | वर्तमान में किस थाना क्षेत्रान्तर्गत है। | क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया जा रहा है। |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | वार्ड क .16- तिवारी कालोनी | थाना कोतवाली | थाना देहात |
| 2 | वार्ड कं .17- नारायण नगर | थाना कोतवाली | थाना देहात |
| 3 | नर्मदा नगर | थाना कोतवाली | थाना देहात |
| 4 | शांति नगर | थाना कोतवाली | थाना देहात |
| 5 | तवा कालोनी | थाना कोतवाली | थाना देहात |
| 6 | वार्ड कमांक 18 शिव कालोनी | थाना कोतवाली | थाना देहात |
| 7 | समृद्धि नगर | थाना कोतवाली | थाना देहात |
| 8 | निर्मल होम्स | थाना कोतवाली | थाना देहात |
| 9 | हिल व्यू होम्स | थाना कोतवाली | थाना देहात |
| 10 | ईशान परिसर | थाना कोतवाली | थाना देहात |
| 11 | तुलसीधाम | थाना कोतवाली | थाना देहात |
| 12 | राजेन्द्र बिहार | थाना कोतवाली | थाना देहात |
| 13 | ग्राम तालनगरी | थाना डोलरिया | थाना देहात |
| 14 | ग्राम पालनपुर | थाना डोलरिया | थाना देहात |
| अनुविभाग सोहागपुर | | | |
| क्रं. | ग्राम/कस्बा/मोहल्ला | वर्तमान में किस थाना क्षेत्रान्तर्गत है। | क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया जा रहा है। |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ग्राम झालौन | माखननगर | सेमरी हरचंद |
| 2 | ग्राम गोल | माखननगर | सेमरी हरचंद |
| 3 | ग्राम गुलोन | माखननगर | सेमरी हरचंद |
| 4 | ग्राम मेघली | माखननगर | सेमरी हरचंद |
| 5 | ग्राम बम्होरीकला | माखननगर | सेमरी हरचंद |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनिया मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

नर्मदापुरम, दिनांक 17 जनवरी 2024

क्रमांक-783-एस.डब्ल्यू-परि.-2024.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-782-एस.डब्ल्यू-परि.-2024 दिनांक 17 जनवरी 2024 के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनिया मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

No-782-SW-PARIO-2024

NARMADAPURAM DATE 17TH JANUARY 2024

In exercise of the powers conferred by clause(s) section 2 of the code of Criminal procedure 1973(No 2 of 1947) and Madhya Pradesh Home(Police) Department order number F-2(K) 15/99/B-3/two dated 11/10/2004 and number F-2(K) 9/08/B-3/two dated 30/07/2010 Committee of the District Collector/SP/DPO in meeting Dated 8th. January 2024 decided partial modification of the previous notification after rationalization in the specified local areas comprised in respective police station mentioned in the Table below. The State Government hereby notifies Police Station Comprising the areas specified below with effect from date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette,the villages/towns/mohallas/local areas specified in column (2) of the table given below are sub-division wise included in the police stations mentioned in column (4) of the table from the police stations mentioned in column (3) of the table -

TABLE

| Subdivision Itarsi | | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---|
| S.No. | Gram/kasba/ mohalla | Name of police Station from which excluded | Name of police Station in which included |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Village-Nandner | Police Station Pathrota | Police Station Rampur Gurra |
| 02 | Village Kandai Kala | Police Station Pathrota | Police Station Rampur Gurr |
| 03 | Village Bamhangaon | Police Station Pathrota | Police Station Itarsi |
| 04 | Village - Silari | Police Station Tavanagar | Police Station Rampur Gurra |
| 05 | Village Chillai | Police Station Tavanagar | Police Station Rampur Gurra |
| 06 | Village Kotha | Police Station Tavanagar | Police Station Rampur Gurra |
| 07 | Village Sontalai | Police Station Tavanagar | Police Station Rampur Gurra |
| 08 | Village Gajpur | Police Station Tavanagar | Police Station Rampur Gurra |
| 09 | Village Rupapur | Police Station Tavanagar | Police Station Rampur Gurr |
| 10 | Village Dhobikhapa | police station Tavanagar | police station Rampur Gurra |
| 11 | Village Belawada Camp | Police Station Tavanagar | Police Station Rampur Gurra |
| 12 | Village Taparia | Police Station Tavanagar | Police Station Rampur Gurra |
| 13 | Village Chatua | Police Station Kesla | Police Station Tavanagar |
| 14 | Village Amjhira (Chandkhar) | Police Station Kesla | Police Station Tavanagar |

| Subdivision Seoni Malwa | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| S.No. | Gram/kasba/ mohalla | Name of police Station from which excluded | Name of police Station in which included |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Village Gangiya (Dhaknipura) | Shivpur | Seoni Malwa |
| 2 | Chouky gawan | Shivpur | Seoni Malwa |
| 3 | Bhairopur | Shivpur | Seoni Malwa |
| 4 | Baghwada | Dolariya | Seoni Malwa |
| Subdivision Pipariya | | | |
| S.No. | Gram/kasba/ mohalla | Name of police Station from which excluded | Name of police Station in which included |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nayagaon | Station Road Pipariya | Bankhedi |
| 2 | Maharajganj | Station Road Pipariya | Bankhedi |
| 3 | Kanhwar | Bankhedi | Pipariya |
| 4 | Singodi | Bankhedi | Pipariya |
| 5 | Singhoda | Bankhedi | Pipariya |
| 6 | Tada | Station Road Pipariya | Pipariya |
| 7 | Banskheda | Station Road Pipariya | Pipariya |
| 8 | Khairikhurd | Station Road Pipariya | Pipariya |
| 9 | Aliwada | Station Road Pipariya | Pipariya |
| Subdivision Narmadapuram | | | |
| S.No. | Gram/kasba/ mohalla | Name of police Station from which excluded | Name of police Station in which included |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ward No. 16. Tiwari Colony | Police Station Kotwali | Police Station Dehat |
| 2 | Ward No. 17. Narayan Nagar | Police Station Kotwali | Police Station Dehat |
| 3 | Narmada Nagar | Police Station Kotwali | Police Station Dehat |
| 4 | Shanti Nagar | Police Station Kotwali | Police Station Dehat |
| 5 | Tawa Colony | Police Station Kotwali | Police Station Dehat |
| 6 | Ward No 18 Shiv Colony | Police Station Kotwali | Police Station Dehat |
| 7 | Samriddhi Nagar | Police Station Kotwali | Police Station Dehat |
| 8 | Nirmal Homes | Police Station Kotwali | Police Station Dehat |
| 9 | Hill View Homes | Police Station Kotwali | Police Station Dehat |
| 10 | Ishan Parisar | Police Station Kotwali | Police Station Dehat |
| 11 | Tulsidham | Police Station Kotwali | Police Station Dehat |
| 12 | Rajendra Vihar | Police Station Kotwali | Police Station Dehat |
| 13 | Village Talnagari | Police Station Dolariya | Police Station Dehat |
| 14 | Village Palanpur | Police Station Dolariya | Police Station Dehat |
| Subdivision Sohagpur | | | |
| S.No. | Gram/kasba/ mohalla | Name of police Station from which excluded | Name of police Station in which included |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Village Jhalaun | Makhannagar | Semri Harchand |
| 2 | Village Gol | Makhannagar | Semri Harchand |
| 3 | Village Gulon | Makhannagar | Semri Harchand |
| 4 | Village Meghli | Makhannagar | Semri Harchand |
| 5 | Village Bamhorikalan | Makhannagar | Semri Harchand |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SONIA MEENA, Collector & Ex-officio Dy. Sec.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश

क्र.-वलि-1-2024-20

अलीराजपुर, दिनांक 12 जनवरी 2024

में, डॉ. अभय अरविंद बेडेकर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला अलीराजपुर दण्ड प्रक्रिया सहित 1973/1974 का सरल क्रमांक-2 की धारा-2 के खण्ड-एस एवं मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक-एफ- 2(क)/9/08/बी-3/दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के अनुसार तथा मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 01/1770880/2023/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 02/01/2024 व पत्र क्रमांक 03/1770880/2023/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 04/01/2024 के पालन में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैठक दिनांक 09-01-2024 के लिए गए निर्णय अनुसार निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आशिक रूपांतरण करते हुए राज्य शासन द्वारा जिला अलीराजपुर में निम्नानुसार गांवों को लोक सुविधा की दृष्टि से अन्य थाना/चौकियों में पुर्ननिर्धारण कर सम्मिलित करता हूँ। मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से अनुसूची में उल्लेखित किये गए गाँव उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये अन्य थाना चौकियों की परिसीमा में सम्मिलित किए जाते हैं:-

| स.क्र. | गांव का नाम जिसकी सीमा का पुर्ननिर्धारण किया जाना है | गांव का वर्तमान थाना /चौकी | गांव को किस थाना/चौकी में पुननिर्धारण किया जाना है |
|--------|--|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | डेहरी | थाना चाँदपुर | थाना सोरवा |
| 2 | पिपरिया | थाना चाँदपुर | थाना सोरवा |
| 3 | सकरजा | थाना सोण्डवा | थाना बखतगढ |
| 4 | अंजनबारा | थाना सोण्डवा | थाना बखतगढ |
| 5 | छोटी सिरखडी | थाना सोण्डवा | थाना बखतगढ |
| 6 | सियाली | थाना उदयगढ | थाना बोरी |
| 7 | कुडलवासा | थाना उदयगढ | थाना बोरी |
| 8 | छोटी कदवाल | थाना उदयगढ | थाना बोरी |
| 9 | कोटडा | थाना उदयगढ | थाना बोरी |
| 10 | बयडा | थाना उदयगढ | थाना बोरी |
| 11 | भुरछेवडी | थाना उदयगढ | थाना बोरी |
| 12 | गुनेरी | थाना नानपुर | थाना सोण्डवा |
| 13 | देवलानी | थाना नानपुर | थाना सोण्डवा |
| 14 | बडी हथवी | थाना नानपुर | थाना सोण्डवा |
| 15 | रावडी | थाना नानपुर | थाना सोण्डवा |
| 16 | कोटबू | थाना नानपुर | थाना आम्बुआ |
| 17 | खण्डाला | थाना नानपुर | थाना आम्बुआ |
| 18 | वागदी | थाना नानपुर | थाना जोबट |
| 19 | सिंधी | थाना नानपुर | थाना जोबट |
| 20 | दाबडी | थाना नानपुर | थाना जोबट |
| 21 | उम्दा | थाना नानपुर | थाना जोबट |
| 22 | पलासदा | थाना नानपुर | थाना जोबट |
| 23 | मसनी | थाना नानपुर | थाना जोबट |
| 24 | धुधलवाट | थाना नानपुर | थाना जोबट |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभय अरविंद बेडेकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला मऊगंज, मध्यप्रदेश

मऊगंज, दिनांक 15 जनवरी 2024

क्रमांक/ 339 /रीडर/2023:- पुलिस अधीक्षक मऊगंज का पत्र क्रमांक पु.अ. /मऊगंज/20/2024 मऊगंज, दिनांक 15.10.2024 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर सचिव म.प्र. शासन गृह विभाग के पत्र क्रमांक 01/1770880/2023/बी-3/दो भोपाल दिनांक 02.01.2024 के अनुक्रम में जिले के भीतर थाना एवं चौकियों की सीमाओं का निर्धारण हेतु दिनांक 02.01.2024 को गठित जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा उपरान्त दण्डप्रक्रिया की धारा 2, खण्ड-एस के अनुरूप प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार जिला मऊगंज राजस्व गांव के अन्तर्गत परिवर्तित थानों में निम्नानुसार गांव सम्मिलित किया जाता है:-

| क्र. | ग्रामों का विवरण जिनकी सीमा परिवर्तन किया जाना है | | | सीमा परिवर्तन उपरान्त ग्रामों का विवरण | | | टिप्पणियाँ |
|------|---|---------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| | वर्तमान जिले का नाम | वर्तमान थाने का नाम | ग्रामों का नाम | परिवर्तित जिले का नाम | परिवर्तित थाने का नाम | ग्रामों का विवरण | |
| 1 | रीवा | मनगवा | 1. गेरुआरी, 2. नीबी (कुल-02 गांव) | मऊगंज | लौर | 1. गेरुआरी, 2. नीबी (कुल-02 गांव) | उक्त दोनों ग्राम मऊगंज के राजस्व सीमा में होने के कारण रीवा जिले से हटाकर मऊगंज के थाना लौर में सम्मिलित किया जाता है। |
| 2 | रीवा | गढ़ | 1. मुडिला, 2. गढवा रामदेव सिंह, 3. रिमारी, 4. सिगटी नानकार, 5. पैकनगांव, 6. मनकहरी, 7. टेढताल, 8. घुचियारी, 9. नौआ, 10. हर्दिहा 1054, 11. डोरी नारजी बहेरा, 12. बुडवा, 13. खैरहई सोहाई काटन, 14. पुरवा, 15. चोरीवा, 16. पटपरी, 17. गहिरा, 18. डाडी, 19. गढ़ी (कुल-19 गांव) | मऊगंज | नईगढी | 1. मुडिला, 2. गढवा रामदेव सिंह, 3. रिमारी, 4. सिगटी नानकार, 5. पैकनगांव, 6. मनकहरी, 7. टेढताल, 8. घुचियारी, 9. नौआ, 10. हर्दिहा 1054, 11. डोरी नारजी बहेरा, 12. बुडवा, 13. खैरहई सोहाई काटन, 14. पुरवा, 15. चोरीवा, 16. पटपरी, 17. गहिरा, 18. डाडी, 19. गढ़ी (कुल-19 गांव) | उक्त 19 ग्राम मऊगंज के राजस्व सीमा में होने के कारण रीवा जिले से हटाकर मऊगंज के थाना नईगढी में सम्मिलित किया जाता है। |
| 3 | मऊगंज | नईगढी | 1. झूसी, 2. अटरा, 3. डाढ़, 4. फुलहा, 5. मडना 6. हर्दिहा-1055 7. उसरा 8. बहेरा 9. जुडमनिया मुरली | मऊगंज | लौर | 11. झूसी, 2. अटरा, 3. डाढ़, 4. फुलहा, 5. मडना 6. हर्दिहा-1055 7. उसरा 8. बहेरा 9. जुडमनिया मुरली | उक्त 12 ग्राम थाना लौर से नजदीक होने के कारण थाना नईगढी से हटाकर लौर में सम्मिलित किया जाता है। |
| | | | 10. बन्नई 11. अलौहा 12. जुडमनिया रघुनाथ (कुल-12 गांव) | | | 10. बन्नई 11. अलौहा 12. जुडमनिया रघुनाथ (कुल-12 गांव) | |
| 4 | मऊगंज | नईगढी | 1. अमिरती (कुल-01 गांव) | मऊगंज | मऊगंज | 1. अमिरती (कुल-01 गांव) | उक्त 1 ग्राम थाना मऊगंज से नजदीक होने के कारण थाना नईगढी से हटाकर मऊगंज में सम्मिलित किया जाता है। |
| 5 | मऊगंज | हनुमना | 1. विडौली, 2. बगैहा, 3. ब्रम्हागढ, 4. बलभद्रगढ, 5. खोडमानी, 6. पीताम्बर गढ, 7. उकसा (कुल-07 गांव) | मऊगंज | शाहपुर | 1. विडौली, 2. बगैहा, 3. ब्रम्हागढ, 4. बलभद्रगढ, 5. खोडमानी, 6. पीताम्बर गढ, 7. उकसा (कुल-07 गांव) | उक्त 7 ग्राम थाना शाहपुर से नजदीक होने के कारण थाना हनुमना से हटाकर शाहपुर में सम्मिलित किया जाता है। |

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सीहोर संयुक्त कलेक्टर कार्यालय
सीहोर, मध्यप्रदेश

क्र.-51-एस डब्ल्यू-2024

सीहोर, दिनांक 15 जनवरी 2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक/एफ-2/(क)/15/99/बी-3/दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/एफ-2/(क)/9/08/वी-3/दो दिनांक 30.07.2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की गठित जिलास्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, समिति की आयोजित बैठक दिनांक 15/01/2024 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अधोलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिमूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये, राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये युक्तियुक्तकरण उपरांत जिला सीहोर के थाना दोराहा, कोतवाली, श्यामपुर, अहमदपुर, मंडी, बिलकिसगंज, इछावर, चौकी अमलाहा थाना आष्टा, चौकी लाडकुई थाना भैरुन्दा, रेहटी, बुधनी, पार्वती, चौकी मैना थाना आष्टा, सिद्दीकगंज, जावर की सीमाओं का पुर्ननिर्धारण मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिमूचना के प्रकाशित होने की तारीख से-

| | |
|----|--|
| एक | नीचे दी सारणी के कॉलम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करने है। |
| दो | सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है। |

सारणी

| पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है। | स्थानीय क्षेत्र | | | पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया है। |
|--|--|-------------------------|----------------|--|
| | ग्राम/मोहल्ले का नाम एवं बंदोबस्त एवं वार्ड क्रमांक | | | |
| (1) | (2) | | | (3) |
| पुलिस थाना दोराहा जिला सीहोर | स.क्र. | ग्राम/मोहल्ले का नाम | बंदोबस्त न. | पुलिस थाना कोतवाली जिला सीहोर |
| | 1 | नोनीखेडीगोसाई | | |
| | 2 | खामलिया | | |
| | 3 | नरेला | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------|--|---|
| पुलिस थाना दोराहा जिला सीहोर | 1 | निपानियाखुर्द | | पुलिस थाना श्यामपुर जिला सीहोर |
| पुलिस थाना अहमदपुर जिला सीहोर | 1 | बरखेडी | | पुलिस थाना दोराहा जिला सीहोर |
| | 2 | भोज | | |
| | 3 | ताकिया | | |
| | 4 | शाहजहाँपुर | | |
| | 5 | इमानिया | | |
| पुलिस थाना श्यामपुर जिला सीहोर | 1 | मुहाली | | पुलिस थाना मंडी जिला सीहोर |
| | 2 | मगरखेडा | | |
| पुलिस थाना बिलकिसगंज जिला सीहोर | 1 | सेमलीजदीद | | पुलिस थाना इछावर जिला सीहोर |
| पुलिस थाना इछावर जिला सीहोर | 1 | कुल्हाडी | | पुलिस थाना आष्टा चौकी आमलाहा जिला सीहोर |
| | 2 | छापरीकरण | | |
| | 3 | छापरीताल्लुक | | |
| पुलिस थाना इछावर जिला सीहोर | 1 | डावरी | | पुलिस थाना भैरूदा चौकी लाडकुई जिला सीहोर |
| पुलिस थाना रेहटी जिला सीहोर | 1 | यारनगर | | पुलिस थाना बुदनी जिला सीहोर |
| पुलिस थाना आष्टा जिला सीहोर | 1 | चाचरसी | | पुलिस थाना पार्वती जिला सीहोर |
| | 2 | टांडा | | |
| | 3 | शहवाजपुरा | | |
| | 4 | पगेलियापार | | |
| थाना पार्वती चौकी मैना जिला सीहोर | 1 | लच्छीरामपुरा | | पुलिस थाना आष्टा जिला सीहोर |
| | 2 | ताजपुरा | | |
| थाना पार्वती चौकी मैना जिला सीहोर | 1 | बोरखेडा | | पुलिस थाना आष्टा चौकी आमलाहा जिला सीहोर |
| थाना सिद्धीकगंज जिला सीहोर | 1 | बांदरियाहाट | | थाना पार्वती जिलासीहोर |
| थाना सिद्धीकगंज जिला सीहोर | 1 | उदनपुरा | | पुलिस थाना आष्टा जिला सीहोर |
| | 2 | अरनियाजौहरी | | |
| | 3 | देवली | | |
| | 4 | श्यामपुराटण्णा | | |
| थाना जावर जिला सीहोर | 1 | खामखेडा | | पुलिस थाना पार्वती जिला सीहोर |
| | 2 | बेजनाथ | | |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

No-54-SW-2023

Sehore, the 15th January 2024

In exercise of the powers conferred by clause(s) section 2 of the Code of Criminal Procedure; 1973(No 2 of 1947) and Madhya Pradesh Home(Police) Department order number F-2(K) 15/99/B-3/two dated 11/10/2004 and number F-2(K) 9/08/B-3/two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the power conferred to Committee of the District Collector/SP/DPO, in Meeting Dated 15th January, 2024 in partial modification of the previous notification after rationalization in the specified local areas comprised in respective police station mentioned in the Table below, the State Government hereby notifies **Police Station Doraha, Kotwali, Shyampur, Ahmadpur, Mandi, Bilkisganj, Ichhavar, AmlahaChowki Police Station Ashta, LadkuiChowki Police Station Bhairunda, Rehti, Budhni, Parwati, ChowkiMaina Police Station Ashta, Siddikganj, Jawar** Comprising the areas specified below with effect from date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

| | |
|---|---|
| 1 | Excludes from the police station mentioned in column (1) of the table below the local areas specified in column (2) thereof and. |
| 2 | Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table. |

TABLE

| Name of police station (with tehsil and distt.) from which excluded | LOCAL AREA | | Name of police station (with tehsil and distt.) from which included |
|---|--|---------------------------|---|
| | Name of Villages, and Settlement No, Ward No | | |
| (1) | (2) | | (3) |
| | S.No | Name of Villages /Mohalla | Settlement, No |
| Police Station Doraha District | 1 | Nonikhedi Gosai | Police Station kotwali city |
| | 2 | Khamalia | |

| | | | | |
|---|---|----------------|--|--|
| Sehore | 3 | Narela | | District Sehore |
| Police Station Doraha District Sehore | 1 | Bichiya | | Police Station Shyampur District Sehore |
| | 2 | Siradi | | |
| | 3 | Nipaniya Khurd | | |
| Police Station Ahmadpur District Sehore | 1 | Barkhedhi | | Police Station Doraha District Sehore |
| | 2 | Bhoj | | |
| | 3 | Taakiya | | |
| | 4 | Shajahanpur | | |
| | 5 | Imaliya | | |
| Police Station Shyampur District Sehore | 1 | Muhali | | Police Station Mandi District Sehore |
| Police Station Bilkisganj District Sehore | 1 | Semli jaded | | Police Station Ichhawar District Sehore |
| Police Station Ichhawar District Sehore | 1 | Kulahadi | | Police Station Ashta Chowki Amlaha District Sehore |
| | 2 | Chhapri Karan | | |
| | 3 | ChhapriTalluk | | |
| Police Station Ichhawar District Sehore | 1 | Dabri | | Police Station Bherunda Chowki Ladkui District Sehore |
| Police Station Rehti District Sehore | 1 | Yar Nagar | | Police Station Budni District Sehore |
| Police Station Ashta District Sehore | 1 | Chacharsi | | Police Station Parvati District Sehore |
| | 2 | Tanda | | |
| | 3 | Shahvajpura | | |

| | | | | |
|--|---|----------------|--|---|
| | 4 | Parolia Par | | |
| Police Station Parvati Chowki Maina District Sehore | 1 | LacchiramPura | | Police Station Ashta District Sehore |
| | 2 | Tajpura | | |
| Police Station Parvati Chowki Maina District Sehore | 1 | Borkheda | | Police Station Ashta Chowki Amlaha District Sehore |
| Police Station Siddikganj District Sehore | 1 | BandariaHaat | | Police Station Parvati District Sehore |
| Police Station Siddikganj District Sehore | 1 | Udanpur | | Police Station Ashta District Sehore |
| | 2 | ArniyaJohri | | |
| | 3 | Devli | | |
| | 4 | ShyampuraTappa | | |
| Police Station Jawar District Sehore | 1 | Khamkheda | | Police Station Parvati District Sehore |
| | 2 | Bejnath | | |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHISH TIWARI, Collector & Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश
(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 02, खण्ड ड के अनुसार)

क्र.-3सालि.राज.-विविध-974-2024

ग्वालियर, दिनांक 17 जनवरी 2024

अधिसूचित किया जाता है कि जिला ग्वालियर ग्रामीण/शहरी थानों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों/मौहल्लों की भौगोलिक स्थिति, जनसुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से लंबे समय की दूरी तय न करना पड़े तथा आमजन की समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से करने आदि सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित थानों की दूरी तथा विगत 05 वर्षों में घटित अपराधों की समीक्षा उपरान्त 15 थानों की सीमा परिवर्तन किया जाना है।

| स0 क0 | वर्तमान थाने का नाम | ग्राम का नाम | प्रस्तावित थाना |
|-------|---------------------|--|----------------------------|
| 01 | महाराजपुरा | फूलपुरा | बिजौली |
| 02 | पनिहार | बजरंग पुरा | गिरवाई |
| | | खेरिया कछाई | झांसीरोड |
| | | हनुमान टेकरी | चीनौर |
| 03 | पिछोर तथा गिजौरा | ईकोना | विलोआ |
| 04 | पिछोर | सूखापडा आदिवासी दफाई बंजारा का पुरा शंकरपुर, शंकरपुर कॉलोनी गढी | |
| 05 | गिजौरा | हिंडायल मोहना | |
| 06 | आंतरी | बझेरा मकोडा टीसीपी बीएसएफ एकेडमी (आंतरी थाना क्षेत्र) पाठा | |
| 07 | भितरवार | ग्राम पंचायत विजकपुर (बैजनाथ का डेरा, इमला का डेरा) ग्राम पंचायत भैसनारी (अजीतपुरा, शक्तिपुरा, लडैयापुरा, चूना घाट का डेरा) सिमरिया भैसनारी (सिमरिया दफाई) | डबरा देहात |
| 08 | बिजौली | सिंगारपुरा ग्राम करगवा खेरियामोदी उदयपुर गणेशपुरा सुनारपुरा खालसा | चौकी बडागांव थाना मुरार |
| 09 | बहोडापुर | गूजरी महल, सरस्वती शिशु मंदिर बादलगढ | ग्वालियर |

अतः एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सीमा परिवर्तन के संबंध में यदि किसी प्रकार की आपत्तियां दर्ज कराना है तो अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

अक्षय कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी, मध्यप्रदेश

क्र.-एसडब्ल्यू-464-2024

सिवनी, दिनांक 18 जनवरी 2024

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के पत्र क्रमांक 01/1770880/2023/बी-3/दो, भोपाल 02.01.2024 में दिये गये निर्देशानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, 1974 का सरल क्रमांक-2 की धारा 2 खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्रमांक क्र0/एफ-2(क)15/99/बी-3/दो भोपाल, दिनांक 11.10.04 तथा पत्र क्रमांक एफ-2(क)/9/08/बी-3/दो भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

- (1)- नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नंबर-(2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करती है ।
- (2)- सारणी के कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3) में उल्लेखित पुलिस थानों में सम्मिलित करती है ।

:: सारणी ::

| स.क्र. | पुलिस थानो का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है । | ग्रामों एवं कालोनियों क्षेत्रों के नाम | पुलिस थाने का नाम/ तहसील जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है । |
|--------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | थाना डूंडासिवनी, तहसील सिवनी, जिला सिवनी । | घाट पिपरिया | थाना बंडोल, तहसील सिवनी, जिला सिवनी । |
| 2 | थाना डूंडासिवनी, तहसील सिवनी, जिला सिवनी । | नरेला | थाना सिवनी तहसील सिवनी, जिला सिवनी । |
| 3 | थाना बंडोल, तहसील सिवनी, जिला सिवनी । | पुसेरा | थाना लखनवाड़ा, तहसील सिवनी, जिला सिवनी । |
| 4 | थाना अरी, तहसील सिवनी, जिला सिवनी । | आमागढ़ | थाना डूंडासिवनी, तहसील सिवनी, जिला सिवनी । |
| 5 | थाना कुरई, तहसील सिवनी, जिला सिवनी । | बम्हनी | थाना लखनवाड़ा, तहसील सिवनी, जिला सिवनी । |
| 6 | थाना कुरई, तहसील सिवनी, जिला सिवनी । | हरहरपुर | थाना लखनवाड़ा, तहसील सिवनी, जिला सिवनी । |
| 7 | थाना कुरई, तहसील सिवनी, जिला सिवनी । | कटंगी | थाना लखनवाड़ा, तहसील सिवनी, जिला सिवनी । |
| 8 | थाना कान्हीवाडा, तहसील सिवनी, जिला सिवनी । | खुर्सीपार | चौकी पलारी, (थाना केवलारी), तहसील सिवनी जिला सिवनी । |
| 9 | थाना कान्हीवाडा, तहसील सिवनी, जिला सिवनी । | खमरिया | चौकी पलारी, (थाना केवलारी), तहसील सिवनी जिला सिवनी । |
| 10 | थाना कान्हीवाडा, तहसील सिवनी, जिला सिवनी । | भालीवाड़ा | चौकी पलारी, (थाना केवलारी), तहसील सिवनी जिला सिवनी । |
| 11 | थाना कान्हीवाडा, तहसील सिवनी, जिला सिवनी । | टेकररांजी | चौकी पलारी, (थाना केवलारी), तहसील सिवनी, जिला सिवनी । |
| 12 | थाना कान्हीवाडा, तहसील सिवनी, जिला सिवनी । | समनापुर | चौकी पलारी, (थाना केवलारी), तहसील सिवनी जिला सिवनी । |
| 13 | थाना उगली, तहसील बरघाट जिला सिवनी । | पंडरापानी | थाना बरघाट, तहसील बरघाट, जिला सिवनी । |
| 14 | थाना आदेगांव, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी । | धौरिया | थाना लखनादौन, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी । |
| 15 | थाना आदेगांव, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी । | लालपुर | थाना लखनादौन, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी । |
| 16 | थाना आदेगांव, तहसील छपारा, जिला सिवनी । | छिंदवाह | थाना लखनादौन, तहसील छपारा, जिला सिवनी । |

| स.क. | पुलिस थानो का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है | ग्रामों एवं कालोनियों क्षेत्रों के नाम | पुलिस थाने का नाम/ तहसील जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है। |
|------|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 17 | थाना आदेगांव, तहसील छपारा, जिला सिवनी । | तेंदनी | थाना छपारा, तहसील छपारा, जिला सिवनी । |
| 18 | थाना आदेगांव, तहसील छपारा, जिला सिवनी । | चिखली | थाना छपारा, तहसील छपारा, जिला सिवनी । |
| 19 | थाना आदेगांव, तहसील छपारा, जिला सिवनी । | घोघरी | थाना छपारा, तहसील छपारा, जिला सिवनी । |
| 20 | थाना आदेगांव, तहसील छपारा, जिला सिवनी । | तिलेपानी | थाना छपारा, तहसील छपारा, जिला सिवनी । |
| 21 | थाना आदेगांव, तहसील छपारा, जिला सिवनी । | पौड़ी | थाना छपारा, तहसील छपारा, जिला सिवनी । |
| 22 | थाना धूमा, तहसील घंसौर, जिला सिवनी । | रजगढ़ी | थाना घंसौर, तहसील घंसौर, जिला सिवनी |
| 23 | थाना धूमा, तहसील घंसौर, जिला सिवनी । | पडरिया | थाना घंसौर, तहसील घंसौर, जिला सिवनी |
| 24 | थाना घंसौर, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी । | धाधरखेरी | थाना धूमा, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी । |
| 25 | थाना घंसौर, तहसील घंसौर, जिला सिवनी । | केवलारी यादव | थाना धूमा, तहसील घंसौर, जिला सिवनी । |
| 26 | थाना घंसौर, तहसील धनौरा, जिला सिवनी । | केवलारी मुरारी | थाना धनौरा, तहसील धनौरा, जिला सिवनी । |
| 27 | थाना धनौरा, तहसील घंसौर, जिला सिवनी । | गोहलिया | थाना घंसौर, तहसील घंसौर, जिला सिवनी । |
| 28 | थाना किंदरई, तहसील घंसौर जिला सिवनी । | अनकवाड़ा | थाना घंसौर, तहसील घंसौर, जिला सिवनी । |
| 29 | थाना किंदरई, तहसील घंसौर जिला सिवनी । | करहैया | थाना घंसौर, तहसील घंसौर, जिला सिवनी । |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

No. F-2(K) 2-08-B-3-Two In exercise of the powers conferred by clause (s) section-2 of the code of criminal procedure 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home Department No. 01/1770880/2023/B-3/Two, Bhopal Datet. 02-01-2024 in partial modification of the pervious Notification affecting the local areas specified in the Table below the state government, hereby with effect from date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette":-

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column (1) of the table below the Local areas specified in the column (2) there of and
2. Includes of the local areas specified in the columnt (2) of the said Table in the police Station mentioned in column (3) of the said Table :

Table

| S.N. | Name of the Police Satation (With tehsil and the District) from which excluded) | Name of village/Local Areas | Name of Police Station (With tehsil and the district from which included) |
|------|---|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | THANA DUNDASEONI, TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI | GHHATPIPARIY | THANA BANDOL, TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI |
| 2 | THANA DUNDASEONI, TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI | NARELA | THANA SEONI, TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI |
| 3 | THANA BANDOL, TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI | PUSERA | THANA LAKHANWARA, TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI |
| 4 | THANA ARI, TEHSIL BARGHAT, DISTRICT SEONI | AMAGHRH | THANA DUNDASEONI, TEHSIL BARGHAT, DISTRICT SEONI |
| 5 | THANA KURAI, TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI | BAMHNI | THANA LAKHANWARA, TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI |
| 6 | THANA KURAI, TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI | HARHARPUR | THANA LAKHANWARA, TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI |
| 7 | THANA KURAI, TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI | KATANGI | THANA LAKHANWARA, TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI |
| 8 | THANA KANHIWARA, TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI | KHURSIPAR | POLICE CHOKI PALARI (THANA KEOLARI), TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI |
| 9 | THANA KANHIWARA, TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI | KHAMARIYA | POLICE CHOKI PALARI (THANA KEOLARI), TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI |
| 10 | THANA KANHIWARA, TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI | BHALIWADA | POLICE CHOKI PALARI (THANA KEOLARI), TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI |
| 11 | THANA KANHIWARA, TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI | TEKARRANJI | POLICE CHOKI PALARI (THANA KEOLARI), TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI |
| 12 | THANA KANHIWARA, TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI | SAMNAPUR | POLICE CHOKI PALARI (THANA KEOLARI), TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI |
| 13 | THANA UGLI, TEHSIL BARGHAT, DISTRICT SEONI | PANDHRWANI | THANA BARGHAT, TEHSIL BARGHAT, DISTRICT SEONI |
| 14 | THANA ADEGAON TEHSIL LAKHANADON, DISTRICT SEONI | DHAURIYA | THANA LAKHANADON, TEHSIL LAKHANDON, DISTRICT SEONI |
| 15 | THANA ADEGAON TEHSIL LAKHANADON, DISTRICT SEONI | LALPUR | THANA LAKHANADON, TEHSIL LAKHANDON, DISTRICT SEONI |
| 16 | THANA ADEGAON TEHSIL CHHAPARA, DISTRICT SEONI | CHHINDWAH | THANA LAKHANADON, TEHSIL LAKHANDON, DISTRICT SEONI |
| 17 | THANA ADEGAON TEHSIL CHHAPARA, DISTRICT SEONI | TENDNI | THANA CHHAPARA, TEHSIL CHHAPARA, DISTRICT SEONI |
| 18 | THANA ADEGAON TEHSIL CHHAPARA, DISTRICT SEONI | CHIKHALI | THANA CHHAPARA, TEHSIL CHHAPARA, DISTRICT SEONI |
| 19 | THANA ADEGAON TEHSIL CHHAPARA, DISTRICT SEONI | GHOGHRI | THANA CHHAPARA, TEHSIL CHHAPARA, DISTRICT SEONI |

| S.N. | Name of the Police Satation (With tehsil and the District) from which excluded) | Name of village/Local Areas | Name of Police Station (With tehsil and the district from which included) |
|------|---|-----------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 20 | THANA ADEGAON TEHSIL CHHAPARA, DISTRICT SEONI | TILEPANI | THANA CHHAPARA, TEHSIL CHHAPARA, DISTRICT SEONI |
| 21 | THANA ADEGAON TEHSIL CHHAPARA, DISTRICT SEONI | PAUDI | THANA CHHAPARA, TEHSIL CHHAPARA, DISTRICT SEONI |
| 22 | THANA DHOOMA, TEHSIL GHANSOR, DISTRICT SEONI | RAJGHARHI | THANA GHANSOR, TEHSIL GHANSOR, DISTRICT SEONI |
| 23 | THANA DHOOMA, TEHSIL GHANSOR, DISTRICT SEONI | PADARIYA | THANA GHANSOR, TEHSIL GHANSOR, DISTRICT SEONI |
| 24 | THANA GHANSOR, TEHSIL LAKHANDON, DISTRICT SEONI | DIHADHARKH EDI | THANA DHUMA, TEHSIL LAKHANDON, DISTRICT SEONI |
| 25 | THANA GHANSOR, TEHSIL GHANSOR DISTRICT SEONI | KEOLARI YADAV | THANA DHUMA, TEHSIL GHANSOR, DISTRICT SEONI |
| 26 | THANA GHANSOR, TEHSIL DHANORA, DISTRICT SEONI | KEOLARI MURARI | THANA DHANORA, TEHSIL DHANSORA, DISTRICT SEONI |
| 27 | THANA DHANORA, TEHSIL DHANORA, DISTRICT SEONI | GOHALIYA | THANA GHANSOR, TEHSIL DHANORA, DISTRICT SEONI |
| 28 | THANA KINDRAI, TEHSIL GHANSOR, DISTRICT SEONI | ANAKWADA | THANA GHANSOR, TEHSIL GHANSOR, DISTRICT SEONI |
| 29 | THANA KINDRAI, TEHSIL GHANSOR, DISTRICT SEONI | KARAHAIYA | THANA GHANSOR, TEHSIL GHANSOR, DISTRICT SEONI |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ SINGHAL, Collector & Dy. Secy.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2024

क्रमांक/193 /आर-1806064/2024/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रुपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 22°38'29.620" से N 22°38'16.620" उत्तर अक्षांश तथा E 80°20'26.070" से E 80°20'39.170" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला :- मण्डला
वनमण्डल :- पश्चिम मण्डला,

तहसील :- मण्डला
वन परिक्षेत्र :- मण्डला

| अ. क्र. | वनखण्ड की भूमि का विवरण | | | | | वनखण्ड की सीमायें |
|---------|-------------------------|--------------|---|--|-------------------------------|--|
| | वनखण्ड का नाम | ग्राम का नाम | भूमि का वर्तमान मद | खसरा क्रमांक | क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | गौँझी रैयत "अ" | गौँझी रैयत | (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था | 30/1/1/1 30/1/1/2/2 30/1/1/2/1 30/2 | 10.00 1.52 0.12 1.21 | उत्तर - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा वनखण्ड एम-8 गाजीपुर की सीमा लाईन से लगा हुआ। पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा। |
| | | | | कुल योग | 12.85 हे. | |

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक FP/MP/DISP/400219/2022 दिनांक 04.10.2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार उप महाप्रबंधक, म.प्र. भवन विकास निगम, जबलपुर की स्वीकृत परियोजना शासकीय मेडिकल कॉलेज मण्डला में प्रभावित वन भूमि 10.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 12.85 हेक्टेयर गैर वनभूमि का क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, मण्डला के आदेश क्रमांक 0032/अ-20(3)/2022-23 दिनांक 22.12.2022, आदेश क्रमांक 0216/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 03.10.2023 एवं आदेश क्रमांक 0217/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 06.10.2023 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार मण्डला जिला मण्डला के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावा विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2024

क्र.-193-आर-1806064-2024-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक.-193-आर-1806064-2024-दस-3 दिनांक 22 जनवरी 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 22nd January, 2024

No./ 193 /R-1806040/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29' of the Indian forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by that state Government from time to time. This forest blocks lies between N 22°38'29.620" to N 22°38'16.620" North Latitude and E 80°20'26.070" to E 80°20'39.170" East Longitude.

SCHEDULE

District - Mandla
Forest Division - West Mandla

Tahsil - Mandla
Forest Range - Mandla

| S.N. | Details of Land included | | | | | Forest Block Boundaries |
|------|--------------------------|-----------------|--|--|-------------------------------|--|
| | Name of Forest Black | Name of Village | Present head of Land | Khasara No. | Area (Hectare) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Gonhi Ryt. "A" | Gonjhi Ryt. | (Governemnt) Forest Department Madhya Pradesh Government Institution | 30/1/1/1 30/1/1/2/2 30/1/1/2/1 30/2 | 10.00 1.52 0.12 1.21 | North - The Artificial forest boundary of Munara number 04 to 07 of the proposed protected forest block is adjacent to the boundary line of forest block M-8 Ghazipur. East - Artificial forest boundary of proposed protected forest block from pillar no. 07 to 12. South - Artificial forest boundary of proposed protected forest block from pillar no. 12 to 01. west - Artificial forest boundary of proposed protected forest block from pillar no. 01 to 04 |
| | | | | Total | 12.85 ha. | |

(A) Reason for Publication of Notification :-

01. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. FP/MP/DISP/400219/2022 Dated 04.10.2023 and in lieu of 10.00 hectare of forest land affected in Govt. Medical College Mandla of DGM, Madhya Pradesh Building Development Corporation, Jabalpur the above mentioned Non Forest Land of 12.85 hectare transferred/mutated in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. 0032/A-20(3)/2022-23 dated 22.12.2022, 0216/A-20(3)/2023-24 dated 03.10.2023 and 0217/A-20(3)/2023-24 dated 06.10.2023 of Collector Mandla for the purpose of compensatory afforestation.

02. Detail of other Reasons – Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tashildar Mandla Distt. Mandla Certificate are as under.

1. Individuals Rights :- There are no individuals Rights on the said land.
2. Communities Rights :- There are no Communities Rights on the said land.

Therefore, the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2024

क्रमांक / 193 / आर-1806064 / 2024 / 10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 22°38'30.090" से N 22°38'15.120" उत्तर अक्षांश तथा E 80°20'19.460" से E 80°20'25.270" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला :- मण्डला
वनमण्डल :- पश्चिम मण्डला,

तहसील :- मण्डला
वन परिक्षेत्र :- मण्डला

| अ. क्र. | वनखण्ड की भूमि का विवरण | | | | | वनखण्ड की सीमाये |
|---------|-------------------------|--------------|---|----------------------|----------------------|--|
| | वनखण्ड का नाम | ग्राम का नाम | भूमि का वर्तमान मद | खसरा क्रमांक | क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | गौड़ी रैयत "ब" | गौड़ी रैयत | (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था | 11/2 12/2 13/2 | 1.47 0.48 0.73 | उत्तर - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा वनखण्ड एम-8 गाजीपुर की सीमा लाईन से लगा हुआ। पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 20 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 20 से 22 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा। |
| | | | | कुल योग | 2.68 हे. | |

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक FP/MP/DISP/400219/2022 दिनांक 04.10.2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार उप महाप्रबंधक, म.प्र. भवन विकास निगम, जबलपुर की स्वीकृत परियोजना शासकीय मेडिकल कॉलेज मण्डला में प्रभावित वन भूमि 10.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.68 हेक्टेयर गैर वनभूमि का क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, मण्डला के आदेश क्रमांक 217/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 06.10.2023 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

4. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार मण्डला जिला मण्डला के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावा विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

3. व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

4. सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव।

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2024

क्र.-193-आर-1806064-2024-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-193-आर-1806064-2024-दस-3 दिनांक 22 जनवरी 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव।

Bhopal, the 22nd January, 2024

No./ 133 /R-1806040/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by that state Government from time to time. This forest blocks lies between N 22°38'30.090" to N 22°38'15.120" North Latitude and E 80°20'19.460" to E 80°20'25.270" East Longitude.

SCHEDULE**District - Mandla****Forest Division - West Mandla****Tahsil - Mandla****Forest Range - Mandla**

| S.N. | Details of Land included | | | | | Forest Block Boundaries |
|------|--------------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|--|
| | Name of Forest Block | Name of Village | Present head of Land | Khasara No. | Area (Hectare) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Gonjhi Ryt. "A" | Gonjhi Ryt. | (Government) Forest Department Madhya Pradesh Government Institution | 11/2 12/2 13/2 | 1.47 0.48 0.73 | North - Thea artificial forest boundary of Munara number 05 to 07 of the proposed protected forest block is adjacent to the boundary line of forest block M-8 Ghazipur. East - Artificial forest boundary of proposed protected forest block from pillar no. 07 to 20. South - Artificial forest boundary of proposed protected forest block from pillar no. 20 to 22. west - Artificial forest boundary of proposed protected forest block from pillar no. 22 to 05. |
| | | | | Total | 2.68 ha. | |

(B) Reason for Publication of Notification :-

01. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. FP/MP/DISP/400219/2022 Dated 04.10.2023 and in lieu of 10.00 hectare of forest land affected in Govt. Medical College Mandla of DGM, Madhya Pradesh Building Development Corporation, Jabalpur the above mentioned Non Forest Land of 2.68 hectare transferred/mutated in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. 0217/A-20(3)/2023-24 dated 06.10.2023, of Collector Mandla for the purpose of compensatory afforestation.

02. Detail of other Reasons – Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tashildar Mandla Distt. Mandla Certificate are as under.

1. Individuals Rights :- There are no individuals Rights on the said land.
2. Communities Rights :- There are no Communities Rights on the said land.

Therefore, the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

प्र.क्र.-ए.04-अ-82-2022-23

राजगढ़, दिनांक 30 अक्टूबर 2023

(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

| ग्राम - शामगीघाटा (तृतीय पूरक प्रकरण) | | तहसील - सारंगपुर | | जिला - राजगढ़ | |
|---------------------------------------|--|---|-------------|---------------|--|
| स.कं. | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर | | | |
| | | कुल रकबा | अर्जित रकबा | | |
| 1 | निजी भूमि 1. कुण्डलिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षे में प्रभावित होने से | 0.207 | 0.207 | | |

अनुसूची (2)

1. कुण्डलिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से

| स.कं. | कृषक का नाम | खसरा नं. | कुल रकबा | पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा | प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा | योग | रिमार्क |
|-------|--|-----------|----------|-------------------------------|------------------------------------|-------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | गोरधन पिता अमरसिंह जाति भील निवासी ग्राम शामगीघाटा | 293/3/2 | 0.059 | 0 | 0.059 | 0.059 | |
| | | 294/3/2/2 | 0.148 | 0 | 0.148 | 0.148 | |
| | योग:- | | 0.207 | 0 | 0.207 | 0.207 | |

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश, शासन

राजगढ़, दिनांक 5 जनवरी 2024

क्रमांक 048/भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 048/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील खुजनेर जिला राजगढ़ हेतु ग्राम माथनिया की प्रभावित वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

| स.क्र. | विवरण | अर्जन हेतु रकबा (हे.में) |
|-----------|---------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | माथनिया | 5.041 |
| कुलयोग :- | | 5.041 |

—: अनुसूची (2) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि :- ग्राम माथनिया

| स.क्र. | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नंबर | कुल रकबा (हे.में) | अर्जित रकबा (हे.में) |
|--------|--|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | शिवलाल पिता मोतीलाल जाति रेवारी निवासी ग्राम भू-स्वामी | 87/1/2 | 0.063 | 0.063 |
| | | 87/3/2 | 0.106 | 0.106 |
| | | 103/2/3 | 0.051 | 0.051 |
| | | 106/2/1 | 0.018 | 0.018 |
| | | 108/1/1 | 0.256 | 0.256 |
| | | 108/2/2 | 0.237 | 0.237 |
| | | 109/1/1 | 0.078 | 0.078 |
| | | 255/2 | 0.054 | 0.054 |
| योग :- | | 8 | 0.863 | 0.863 |
| 2 | अखराज पिता मोतीलाल जाति रेवारी निवासी ग्राम भू-स्वामी | 87/1/1 | 0.237 | 0.237 |
| | | 87/3/3 | 0.006 | 0.006 |
| | | 87/4 | 0.101 | 0.101 |
| | | 103/2/2 | 0.025 | 0.025 |
| | | 106/1/1 | 0.012 | 0.012 |
| | | 106/2/2 | 0.033 | 0.033 |
| | | 108/1/2 | 0.082 | 0.082 |
| | | 108/2/3 | 0.051 | 0.051 |
| | | 109/1/2 | 0.263 | 0.263 |
| योग :- | | 9 | 0.810 | 0.810 |
| 3 | लीलाबाई पति अखराज जाति रेवारी निवासी ग्राम भू-स्वामी | 255/3 | 0.054 | 0.054 |
| योग :- | | 1 | 0.054 | 0.054 |

| | | | | |
|--------|---|---------|-------|-------|
| 4 | देवीलाल पिता पन्नालाल जाति रेवारी निवासी ग्राम भू-स्वामी | 87/1/3 | 0.040 | 0.040 |
| | | 87/2 | 0.110 | 0.110 |
| | | 87/3/1 | 0.438 | 0.438 |
| | | 103/1 | 0.089 | 0.089 |
| | | 103/2/1 | 0.012 | 0.012 |
| | | 106/1/2 | 0.038 | 0.013 |
| | | 108/1/3 | 0.250 | 0.250 |
| | | 108/2/1 | 0.300 | 0.300 |
| | | 109/2 | 0.342 | 0.342 |
| | | 250/2 | 0.044 | 0.044 |
| | | 255/1 | 0.108 | 0.108 |
| | | 256/2 | 0.050 | 0.050 |
| योग :- | | 12 | 1.821 | 1.796 |
| 5 | ब्रदीलाल, जसोदीबाई पति मोहनलाल जाति रेवारी निवासी ग्राम भू-स्वामी | 69/1 | 0.228 | 0.228 |
| योग :- | | 1 | 0.228 | 0.228 |
| 6 | देवीलाल पिता नारान, आसूबाई बेवा नारान जाति लोड़ा (संशोधित जाति रेवारी) निवासी ग्राम भू-स्वामी | 70/1 | 0.101 | 0.101 |
| योग :- | | 1 | 0.101 | 0.101 |
| 7 | भगवानसिंह पिता कला जाति रेवारी निवासी ग्राम भू-स्वामी | 176 | 0.607 | 0.607 |
| योग :- | | 1 | 0.607 | 0.607 |
| 8 | चन्द्रकलाबाई पति इन्दरसिंह जाति रेवारी निवासी ग्राम भू-स्वामी | 253 | 0.582 | 0.582 |
| योग :- | | 1 | 0.582 | 0.582 |
| कुलयोग | | 34 | 5.066 | 5.041 |

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन,
राजस्व विभाग

प्र.क्र.-0005-अ-82-23-24

विदिशा, दिनांक 9 जनवरी 2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अंतर्गत धारा-11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि के पश्चात् अधिनियम-2013 में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं रथाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है :-

- (1) परियोजना का नाम :- ब्रिक्स योजना अंतर्गत विदिशा जिले में पैकेज क्र. 1 बी के अंतर्गत सांची-विदिशा मार्ग पर बेतवा नदी (रंगई पुल) के पहुंच मार्ग निर्माण
- (2) भूमि का विवरण :-
1. जिला :- विदिशा
 2. तहसील :- विदिशा
 3. ग्राम :- रंगई
 4. पटवारी हल्का नंबर :- 01
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल:- 0.052 हे.

अनुसूची

| स.क्र. | नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम | सर्वे नंबर | भूमि का कुल रकबा (हे.में) | कुल अर्जित रकबा (हे.में) |
|--------|---|------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | शीला पत्नि महिपभानू शर्मा निवासी अरिहंत विहार कॉलोनी विदिशा | 146/1 | 0.031 | 0.031 |
| | | 146/2 | 0.021 | 0.021 |
| | योग | | 0.052 | 0.052 |

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विदिशा जिला विदिशा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-213-जि.भू.अ.-2024

सिवनी, दिनांक 08 जनवरी 2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

- 1- ग्राम का नाम :- अकलमा ब.नं.-635 प.ह.नं.-52
2- रानि.मं. :- छपारा तहसील:- छपारा जिला:-सिवनी
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 0.41 हेक्टेयर

| सं.क्र. | सर्वेक्षण संख्या | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन का क्षेत्र हेक्ट. | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता | सीमाएँ | | | | वृक्ष | | संरचनाएँ | |
|---------|------------------|---------------------|----------------|-------------------------|--|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------|--------|----------|------------|
| | | | | | | उत्तर | दक्षिण | पूर्व | पश्चिम | किस्म | संख्या | प्रकार | विलय परिया |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 112/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.05 | सुनीलकुमार पिता चन्द्ररसी जाति गौड पता सिवनी म.प्र. भूमि स्वामी | राजू पि. सुखलाल | सरहद | सरहद | संतराम पि. सुकल | - | - | - | - |
| 2 | 112/5 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.26 | राममिलन पिता संतराम जाति गोड पता सिवनी म.प्र. भूमि स्वामी | संतराम पि. सुकल | शासकीय | सुनील कुमार पि. चन्द्ररसी | शासकीय | - | - | - | - |
| 3 | 112/3 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.10 | संतराम पिता सकुल जाति गौड पता अकलमा छपारा सिवनी म.प्र. भूमि स्वामी | राजेश पि. संतराम | राममिलन पि. संतराम | सुनील कुमार पि. चन्द्ररसी | शासकीय | - | - | - | - |

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-214-जि.भू.अ.-20-24

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं:-

अनुसूची

- 1-परियोजना का नाम :- पंच व्यपवर्तन परियोजना
 2- ग्राम का नाम :- रामगढ़ ब.नं.: -648 प.ह.नं.: -30
 3- रा.नि.मं. :- चमारीखुर्द तहसील: छपारा जिला:-सिवनी
 4- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल :- 4.32 हेक्टेयर

| स. क्र. | सर्वेक्षण संख्या | स्वातंत्र्य का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन का क्षेत्र. हे. में | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता | सीमाएँ | | | | वृक्ष | | संरचनाएँ | |
|---------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------------|-------------------|-------|--------|----------|--------|
| | | | | | | उत्तर | दक्षिण | पूर्व | पश्चिम | किस्म | संख्या | प्रकार | स्थिति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 439/1 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.01 | गंगाबाई पति घूड़ो गौड़ निवासी ग्राम जरोंदा भूमिस्वामी | शासकीय वन | शासकीय भू-जल | सुखबती बेवा घूड़न वगै. | सरहद जामनुपानी | - | - | - | - |
| 2 | 439/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.10 | धुरो पिता ठल्लू गौड़ निवासी ग्राम जरोंदा भूमिस्वामी | शासकीय वन | धुरो पिता ठल्लू | सुखबती बेवा घूड़न वगै. | सरहद जामनुपानी | - | - | - | - |
| 3 | 439/3 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.10 | सुखवती बेवा घूड़न रामगोविंद पिता घूड़न अनीता बेवा गोविंदप्रसाद विशाल शिवानी ना. बा.पिता गोविंदप्रसाद संरक्षक अनीता गौड़ निवासी जरोंदा भूमिस्वामी | शासकीय वन | शासकीय भू-जल | चमरीबाई बेवा नूरसिंह वगै. | गंगाबाई पति घूड़ो | - | - | - | - |
| 4 | 439/4 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.05 | चमरीबाई बेवा नूरसिंह घनश्याम राधेश्याम वंशीलाल पिता नूरसिंह गौड़ निवासी ग्राम जरोंदा भूमिस्वामी | शासकीय वन | शासकीय भू-जल | चमरी पति नूरसिंह | सुखबती बेवा घूड़न | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|------------|------|------|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| 5 | 439/5 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.04 | चमरी पत्नि नूरसिंह गौड़ निवासी ग्राम जरौदा भूमिस्वामी | शासकीय वन | शासकीय भू-जल | राममरोस पिता सूरन वर्ग. | चमरीबाई बेवा नूरसिंह वर्ग. | . | . | . | . |
| 6 | 440 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.07 | रामभरोस सुनीता प्रेमवती पिता सूरन राकेश बा. सरिता ना.बा. पिता रामनाथ गौड़ निवासी जरौदा भूमिस्वामी | शासकीय वन | शासकीय भू-जल | राममरोस पिता माहुलाल | चमरी पत्नि नूरसिंह | . | . | . | . |
| | 420 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.03 | रामभरोस सुनीता प्रेमवती पिता सूरन राकेश बा. सरिता ना.बा. पिता रामनाथ गौड़ निवासी जरौदा भूमिस्वामी | कलीराम पिता बिसनू | रामभरोस पिता माहुलाल | शासकीय वन | रामभरोस पिता माहुलाल | . | . | . | . |
| 7 | 419/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.10 | जेठूलाल पिता सियाराम भागवती वि. सियाराम गौड़ निवासी ग्राम जशोदा भूमिस्वामी | श्रीराम पिता हरिसिंह | रामभरोस पिता सूरन वर्ग. | शासकीय वन | शासकीय वन | . | . | . | . |
| 8 | 419/1 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.06 | श्रीराम पिता हरिसिंह गौड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी | रामबती पत्नि बक्तू | जेठूलाल पिता सियाराम वर्ग. | शासकीय वन | शासकीय वन | . | . | . | . |
| 9 | 418/1 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.16 | रामबती पत्नि बक्तू गौड़ निवासी रामगढ़ छपारा भूमिस्वामी | तामी पिता सुमरलाल | श्रीराम पिता हरिसिंह | शासकीय वन | शासकीय वन | . | . | . | . |
| 10 | 412/1/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.03 | कृष्णकुमार पिता कलीराम गौड़ निवासी रामगढ़ छपारा भूमिस्वामी | मेहतोबाई ध.प.स्व. सीताराम वर्ग. | राकेश पिता बलीराम | शासकीय भू-जल | इनकलाल पिता कबदलाल | . | . | . | . |
| 11 | 412/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.21 | इनकलाल पिता कबदलाल गौड़ निवासी ग्राम जरौदा भूमिस्वामी | चन्द्राबाई पत्नि अन्नीलाल | किसनिया ध.प.स्व. रामफल वर्ग. | कृष्णकुमार पिता कलीराम | रामबती पत्नि बक्तू | . | . | . | . |
| 12 | 413/1 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.16 | चन्द्राबाई पत्नि अन्नीलाल भरिया निवासी बखारी भूमिस्वामी | शासकीय भू-जल | कृष्णकुमार पिता कलीराम | शासकीय भू-जल | सुरेशकुमार पिता बाबूलाल | . | . | . | . |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|------------|------|------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| 13 | 398/1/1 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.09 | अ.अहद पिता शेख महबूब मुसलमान निवासी बखारी भूमिस्वामी | अ.शमीम पिता शेख महबूब | अब्दुल सगीर पिता शेख महबूब वगै. | समनबती ध.प.स्व. लक्ष्मीनारायन वगै. | शासकीय भू-जल | . | . | . | . |
| 14 | 398/1/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.01 | अब्दुल समीम पिता शेख महबूब जाति बहना पता निवासी बखारी भूमि स्वामी | अ.अहद पिता शेख महबूब | अ.सगीर पिता शेख महबूब वगै. | समनबती ध.प.स्व. लक्ष्मीनारायन वगै. | शासकीय नाला | . | . | . | . |
| 15 | 399 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.13 | समनबती ध.प.स्व. लक्ष्मीनारायन मोहन सोहन गीताबाई बा. सीताबाई ना.बा. पिता लक्ष्मीनारायन वली समनबती निवासी बखारी भूमिस्वामी | शासकीय सड़क | अब्दुल सगीर पिता शेख महबूब वगै. | जयराम पिता भागचंद | प्रेमवती पुत्री बीजेराम | . | . | . | . |
| 16 | 400 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.07 | जयराम पिता भागचंद तेली निवासी ग्राम बखारी भूमिस्वामी | शासकीय सड़क | बहीदाबी पति शेख महबूब | शासकीय रास्ता | समनबती ध.प.स्व. लक्ष्मीनारायन वगै. | . | . | . | . |
| 17 | 392 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.19 | अनन्दी अमरलाल झनकलाल पिता रोशन भरिया निवासी ग्राम बखारी भूमिस्वामी | सुलोचना पुत्री महासिंग वगै. | शासकीय सड़क | शासकीय रास्ता | मु. तुमबी पति इस्माइल | . | . | . | . |
| 18 | 380/2/1 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.02 | इन्दरलाल पिता भागरती भरिया निवासी रामगढ़ छपारा भूमिस्वामी | रामनाथ पिता भागरती | सुलोचना पुत्री महासिंग वगै. | शासकीय रास्ता | सुमता वि. बैयालाल | . | . | . | . |
| 19 | 380/2/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.01 | रामनाथ पिता भागरती भरिया निवासी रामगढ़ छपारा भूमिस्वामी | शासकीय भू-जल | इन्दरलाल पिता भागरती | शासकीय रास्ता | सुमता वि. बैयालाल | . | . | . | . |
| 20 | 381 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.02 | गुलाबकली पिता नन्हेलाल भरिया निवासी ग्राम बखारी भूमिस्वामी | शासकीय भू-जल | शासकीय भू-जल | शासकीय भू-जल | शासकीय रास्ता | . | . | . | . |
| 21 | 376/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.13 | अतरवती पति शिवप्रसाद भरिया निवासी ग्राम बखारी भूमिस्वामी | आदित्य कुमार पिता दिनेश कुमार जैन | शासकीय भू-जल | रंजनीबाई पिता शिवप्रसाद | शासकीय सड़क | . | . | . | . |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------------|------|------|--|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|
| 22 | 376/3 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.02 | रंजनीबाई पिता शिवप्रसाद भरिया निवासी बखारी भूमिस्वामी | आदित्य कुमार पिता दिनेश कुमार जैन | शासकीय भू-जल | रमेश कुमार पिता बाबूलाल | अतरवती पति शिवप्रसाद | . | . | . | . |
| 23 | 356 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.37 | आदित्य कुमार जैन पिता दिनेशकुमार जैन निवासी छपारा भूमिस्वामी | रंजनीबाई पिता शिवप्रसाद | रामकुमारी पिता उमाशंकर | रुकमणी ध.प.स्व. गोपाल वर्मा. | शासकीय सड़क | . | . | . | . |
| 24 | 353/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.03 | राकेश कुमार पिता भैयाराम तेली निवासी बखारी भूमिस्वामी | हिरदेराम पिता शंकर | ममता पिता उमाशंकर | स्वयं की भूमि | स्वयं की भूमि | . | . | . | . |
| 25 | 353/3 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.03 | माया पिता उमाशंकर तेली निवासी बखारी भूमिस्वामी | राकेश कुमार पिता भैयाराम | हिरदेराम पिता शंकर | स्वयं की भूमि | स्वयं की भूमि | . | . | . | . |
| 26 | 353/4 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.10 | ममता पिता उमाशंकर तेली निवासी बखारी भूमिस्वामी | माया पिता उमाशंकर | आदित्य जैन पिता दिनेशजैन | स्वयं की भूमि | स्वयं की भूमि | . | . | . | . |
| 27 | 349/4 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.31 | हिरदेराम पिता शंकर तेली निवासी ग्राम बखारी भूमिस्वामी | शासकीय रास्ता | माया पिता उमाशंकर | अजय कुमार पिता शंकर लाल | हिरदेराम पिता शंकर | . | . | . | . |
| 28 | 308/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.19 | सहादत पिता शेख न्याजू मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी | सोमबाई बेवा सेवकराम | शासकीय रास्ता | सिद्दीक पिता शेख न्याजू | शंकर पिता धीरज वर्मा. | . | . | . | . |
| 29 | 308/3 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.05 | सिद्दीक पिता शेख न्याजू मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी | सोमबाई बेवा सेवकराम | सड़क | स्वयं की भूमि | सहादत पिता न्याजू | . | . | . | . |
| | 309/1 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.07 | सिद्दीक पिता शेख न्याजू मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी | सोमबाई बेवा सेवकराम | स्वयं की भूमि | फारुख पिता शेख न्याजू | स्वयं की भूमि | . | . | . | . |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------------|------|------|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---|---|---|---|
| 30 | 309/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.08 | फारुख पिता शेख न्याजू मुसलमान निवासी ग्राम बखारी भूमिस्वामी | प्रेमचंद पिता मेहता वगै. | फारुख पिता शेख न्याजू | शंकर पिता धीरज वगै. | सिद्धिक पिता शेख न्याजू | - | - | - | - |
| 31 | 315/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.04 | प्रेमचंद प्रेमलाल प्रवेश पिता मेहता तेली निवासी बखारी भूमिस्वामी | बेगमबी पति मुनउवर | फारुख पिता शेख न्याजू | पार्वती बेवा मेहता | सोमबाई बेवा सेवक राम | - | - | - | - |
| 32 | 316/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.09 | मनोजकुमार पिता लोचन तेली निवासी ग्राम भूमिस्वामी | शंकर पिता धीरज | शासकीय रास्ता | रामकली ध.प.स्व. काशीराम | सिद्धिक पिता शेख न्याजू | - | - | - | - |
| 33 | 316/1 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.20 | शंकर लोचन इन्द्रा मोहना लक्ष्मी पिता धीरज तेली निवासी बखारी भूमिस्वामी | प्रेमचंद पिता मेहता | मनोज कुमार पिता लोचन | रामकली ध.प.स्व. काशीराम | फारुख पिता शेख न्याजू | - | - | - | - |
| 34 | 317 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.10 | रामकली ध.प.स्व. काशीराम तेली निवासी बखारी भूमिस्वामी | कस्तूरीबाई जी. मानकलाल | कुदनलाल पिता काशीराम वगै. | पार्वती पति सुक्कूलाल | मनोज कुमार पिता लोचन | - | - | - | - |
| 35 | 329/4 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.01 | पार्वती पति सुक्कूलाल तेली निवासी ग्राम भूमिस्वामी | श्यामसुंदर पिता परमानंद | पार्वती पति सुक्कूलाल | कविता पिता ज्ञानीलाल | रामकली ध.प.स्व. काशीराम | - | - | - | - |
| | 328 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.19 | पार्वती पति सुक्कूलाल तेली निवासी ग्राम भूमिस्वामी | पार्वती पति सुक्कूलाल | आशाबाई पिता बालकिशन | कविता पिता ज्ञानीलाल | रामकली ध.प.स्व. काशीराम | - | - | - | - |
| 36 | 327 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.05 | आशाबाई पिता बालकिशन बीना बेवा राजाराम दीपक विकास पिता राजाराम पूसाबाई रामकुमार रतनलाल इन्द्रकुमार राजकुमार पिता बालकिशन तुलसाबाई बेवा बालकिशन धन्नो सुदामाकली दयाबती रघुवीर पिता नंदकिशोर तेली निवासी छपारा भूमिस्वामी | पार्वती पति सुक्कूलाल | दिलीप पुत्र लक्ष्मीप्रसाद | बिसखिया पिता ज्ञानीलाल | कुदनलाल पिता काशीराम वगै. | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|------------|------|------|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| 37 | 339/1/5 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.07 | बिसखिया पिता ज्ञानीलाल गौड़ निवासी रामगढ़ छपारा भूमिस्वामी | कविता पिता ज्ञानीलाल | आशाबाई पिता बालकिशन वर्गौ. | मानकराम पिता गलझर | आशाबाई पिता बालकिशन वर्गौ. | - | - | - | - |
| 38 | 340/2 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.15 | कमलाप्रसाद पिता खुरसीराम पटवा निवासी ग्राम बखारी भूमिस्वामी | उदयराम पिता खुरसीराम | सेवकराम पिता रोशनलाल वर्गौ | शंकर पिता खुरसीराम | मानकराम पिता गलझर | - | - | - | - |
| 39 | 341 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.15 | मो.इस्ताक अंसारी पिता मोहम्मद शेख हकीम बहना निवासी बखारी भूमिस्वामी | शंकर पिता खुरसीराम | बैजंतीबाई बेवा दशरथ वर्गौ. | सरहद नंदौरा | कमलाप्रसाद पिता खुरसीराम | - | - | - | - |
| 40 | 340/3 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.14 | शंकर पिता खुरसीराम पटवा निवासी बखारी भूमिस्वामी | प्रकाश पिता ब्रजमोहन | सेवकराम पिता रोशनलाल वर्गौ | सरहद नंदौरा | कमलाप्रसाद पिता खुरसीराम | - | - | - | - |
| 41 | 339/2/4 | भूमिस्वामी | कृषि | 0.09 | मायाबती पिता गलझर गौड़ पता रामगढ़ छपारा भूमिस्वामी | स्वयं की भूमि | स्वयं की भूमि | कमलाप्रसाद पिता खुरसीराम | बिसखिया पिता ज्ञानीलाल | - | - | - | - |
| | | | | 4.32 | योग:- | | | | | | | | |

- 1- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 2- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-दस-भू-अर्जन-प्र.क्र.25-अ-82-2022-23-250

शहडोल, दिनांक 10 जनवरी 2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

--:अनुसूची:-

- (1) भूमि का वर्णन -
- | | | |
|-----|----------------------------|--------------|
| (क) | जिला | - शहडोल |
| (ख) | तहसील | - जैतपुर |
| (ग) | ग्राम | - चकौड़िया |
| (घ) | लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) | - 14.926 हे० |

| खसरा नम्बर | रकवा (हेक्टर में) | खसरा नम्बर | रकवा (हेक्टर में) |
|------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 248 | 0.097 | 298/1 | 0.174 |
| 250 | 0.081 | 266 | 0.809 |
| 252 | 0.162 | 298/2 | 0.085 |
| 253 | 0.347 | 300/2 | 0.114 |
| 254 | 0.065 | 302/2 | 0.029 |
| 255 | 0.085 | 303/2 | 0.182 |
| 256 | 0.134 | 297/4 | 0.607 |
| 257 | 0.061 | 304 | 0.316 |
| 259/1 | 0.142 | 305 | 0.040 |
| 261 | 0.125 | 306 | 0.219 |
| 251 | 0.894 | 307 | 0.320 |
| 259/2 | 0.547 | 308 | 0.198 |
| 260/1 | 0.405 | 310 | 0.085 |
| 262/1 | 0.809 | 311 | 0.178 |
| 262/963 | 0.202 | 314 | 0.878 |
| 298/3 | 0.089 | 316 | 0.036 |
| 300/1 | 0.109 | 312 | 0.287 |
| 301 | 0.096 | 313 | 0.024 |
| 302/1 | 0.028 | 322 | 0.178 |
| 303/1 | 0.182 | 324 | 0.032 |
| 262/3 | 0.405 | 327 | 0.077 |
| 263 | 0.121 | 330/2 | 0.373 |
| 264 | 0.433 | 335/2 | 0.100 |
| 265 | 0.032 | 318 | 0.101 |
| 319 | 0.085 | 338/1 | 0.017 |
| 320 | 0.522 | 331/2 | 0.188 |
| 321 | 0.815 | 338/2 | 0.017 |
| 323 | 0.036 | 331/3 | 0.188 |
| 326 | 0.578 | 338/3 | 0.017 |
| 328 | 0.401 | 350 | 0.081 |
| 329 | 0.040 | 351 | 0.061 |
| 330/1 | 0.101 | 352 | 0.150 |
| 336 | 0.045 | 353 | 0.178 |
| 331/1 | 0.187 | 297/3 | 0.081 |
| 354 | 0.045 | कुल किता-69 | कुल रकवा -14.926 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कुडेली जलाशय योजना के निर्माण हेतु।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर जिला शहडोल म.प्र. एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र.2 शहडोल म.प्र. के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-दस-भू-अर्जन-प्र.क्र.3-अ-82-2023-24-343

शहडोल, दिनांक 11 जनवरी 2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन -**

| | | |
|-----|----------------------------|--------------|
| (क) | जिला | - शहडोल |
| (ख) | तहसील | - जैतपुर |
| (ग) | ग्राम | - कुडेली |
| (घ) | लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) | - 11.541 हे० |

| खसरा नम्बर | रकवा (हेक्टर में) | खसरा नम्बर | रकवा (हेक्टर में) |
|------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 860 | 0.202 | 870 | 0.015 |
| 866 | 0.352 | 871/3 | 0.057 |
| 875 | 0.040 | 872/3 | 0.007 |
| 876 | 0.133 | 873/3 | 0.004 |
| 877 | 0.277 | 880/3 | 0.008 |
| 867 | 0.676 | 881/3 | 0.091 |
| 869 | 0.081 | 882/3 | 0.044 |
| 870/1 | 0.015 | 860/2 | 0.041 |
| 871/1 | 0.057 | 861 | 0.202 |
| 872/1 | 0.008 | 883 | 0.640 |
| 873/1 | 0.003 | 885 | 0.704 |
| 880/1 | 0.008 | 898/1 | 0.202 |
| 881/1 | 0.092 | 888/3 | 0.545 |
| 882/1 | 0.045 | 896/2 | 0.081 |
| 854 | 0.753 | 898/4 | 0.073 |
| 890 | 0.316 | 895/1 | 0.101 |
| 891/1496 | 0.016 | 897 | 0.150 |
| 870/2 | 0.015 | 898/2 | 0.033 |
| 871/2 | 0.057 | 895/3 | 0.085 |
| 873/2 | 0.004 | 898/5 | 0.215 |
| 880/2 | 0.008 | 896/1 | 0.125 |
| 881/2 | 0.09 | 888/1 | 0.545 |
| 882/2 | 0.044 | 902 | 0.729 |
| 909/1467 | 0.283 | 910 | 0.045 |
| 911 | 0.113 | 906 | 0.158 |
| 891/1498 | 0.279 | 908/1 | 0.405 |
| 903/2 | 0.286 | 905 | 0.202 |
| 891/1497 | 0.478 | 904 | 0.101 |
| 909 | 0.275 | 894 | 0.316 |
| 908/2 | 0.174 | 903/1 | 0.285 |
| 898/3 | 0.049 | | |
| 895/1 | 0.101 | कुल किता-62 | कुल रकवा -11.541 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कुडेली जलाशय योजना के निर्माण हेतु।
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर जिला शहडोल म.प्र. एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सभाग क्र.2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-दस-भू-अर्जन-प्र.क्र.4-अ-82-2023-24-472

शहडोल, दिनांक 16 जनवरी 2024

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन -**

| | |
|--------------------------------|----------------|
| (क) जिला | - शहडोल |
| (ख) तहसील | - जैतपुर |
| (ग) ग्राम | - करवावन |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) | - 9.809 हेक्टर |

| खसरा नम्बर | रकवा (हेक्टर में) | खसरा नम्बर | रकवा (हेक्टर में) |
|------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 11/2 | 0.263 | 54/1ख | 0.083 |
| 74 | 0.089 | 57/2 | 0.089 |
| 75 | 0.121 | 95/1 | 0.142 |
| 76 | 0.146 | 57/1क | 0.109 |
| 81 | 0.117 | 54/4 | 0.061 |
| 294/2 | 0.364 | 61 | 0.134 |
| 72 | 0.150 | 86 | 0.045 |
| 73 | 0.101 | 59/1 | 0.080 |
| 77 | 0.162 | 87 | 0.081 |
| 78 | 0.206 | 82 | 0.206 |
| 80 | 0.057 | 88 | 0.194 |
| 300 | 0.020 | 60 | 0.109 |
| 301 | 0.198 | 99 | 0.045 |
| 304 | 0.077 | 23/2 | 0.227 |
| 305 | 0.057 | 51/2 | 0.096 |
| 299 | 0.061 | 22/1 | 0.039 |
| 307/1ग | 0.227 | 23/1 | 0.545 |
| 295/1 | 0.170 | 51/1 | 0.106 |
| 295/2 | 0.170 | 52/1 | 0.212 |
| 318 | 0.044 | 53/2 | 0.166 |
| 319 | 0.190 | 91 | 0.219 |
| 18 | 0.077 | 327/1 | 0.312 |
| 297 | 0.065 | 89 | 0.085 |
| 296 | 0.158 | 79 | 0.174 |
| 58/2 | 0.077 | 327/2 | 0.809 |
| 57/1ख | 0.069 | 11/1 | 0.450 |
| 83 | 0.045 | 298 | 0.129 |
| 92 | 0.049 | 302 | 0.134 |
| 59/2 | 0.097 | 306 | 0.028 |
| 59/3 | 0.097 | 307/2ख | 0.405 |
| 326 | 0.020 | 95/2 | 0.096 |
| 47/2 | 0.312 | 54/3 | 0.061 |
| 54/1क | 0.082 | कुल किता-65 | कुल रकवा -9.809 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - शाहपुर जलाशय योजना के निर्माण हेतु।
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र.2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 वंदना वैद्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-48-भू-अर्जन-2024

सीधी, दिनांक 17 जनवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| (क) जिला | - | सीधी |
| (ख) तहसील | - | रामपुर नैकिन |
| (ग) ग्राम | - | पड़खुरी पवाई |
| (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर | - | पड़खुरी पवाई |
| (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल | - | रकबा 0.434 हे० |

| क्र. | खसरा नम्बर | कुल रकबा | कुल अर्जित रकबा | भूमिस्वामी का नाम | उद्येश्य |
|------|------------|----------|-----------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | 689 | 0.660 | 0.020 | जनार्दन प्रसाद पिता विश्वनाथ प्रसाद ब्रा० | ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु |
| 02 | 669 | 0.030 | 0.030 | चंद्रिका प्रसाद, माधव प्रसाद, रमाकांत पिता दिनेश प्रसाद ब्रा० | ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु |
| 03 | 670 | 0.370 | 0.010 | चंद्रिका प्रसाद, माधव प्रसाद, रमाकांत पिता दिनेश प्रसाद ब्रा० | ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु |
| 04 | 668 | 0.030 | 0.030 | सुदामा प्रसाद पिता महावीर ब्रा० | ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु |
| 05 | 671 | 0.280 | 0.014 | सुदामा प्रसाद पिता महावीर ब्रा० | ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु |
| 06 | 600/2 | 0.0063 | 0.0063 | मिथिलेश प्रसाद, मंगल प्रसाद, गेंदलाल, स्वामि कार्तिक पिता मोलई चतुर्वेदी | ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु |
| 07 | 601/2 | 0.006 | 0.006 | मिथिलेश प्रसाद, मंगल प्रसाद, गेंदलाल, स्वामि कार्तिक पिता मोलई चतुर्वेदी | ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु |
| 08 | 602/2 | 0.015 | 0.015 | मिथिलेश प्रसाद, मंगल प्रसाद, गेंदलाल, स्वामि कार्तिक पिता मोलई चतुर्वेदी | ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु |
| 09 | 605/3 | 0.003 | 0.003 | मिथिलेश प्रसाद, मंगल प्रसाद, गेंदलाल, स्वामि कार्तिक पिता मोलई चतुर्वेदी | ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु |

| क्र. | संसाधन नम्बर | कुल रकबा | कुल अर्जित रकबा | भूमिस्वामी का नाम | उद्देश्य |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 606/3 | 0.0012 | 0.0012 | मिथिलेश प्रसाद, मंगल प्रसाद, गेंदलाल, स्वामि कार्तिक पिता मोलई चतुर्वेदी | ममदर-पहखुरी-गहड़ी मार्ग निर्माण हेतु |
| 11 | 600/1 | 0.0337 | 0.014 | मिथिलेश प्रसाद पिता मोलई चतुर्वेदी | ममदर-पहखुरी-गहड़ी मार्ग निर्माण हेतु |
| 12 | 601/1 | 0.034 | 0.014 | मंगल प्रसाद पिता मोलई चतुर्वेदी | ममदर-पहखुरी-गहड़ी मार्ग निर्माण हेतु |
| 13 | 602/1 | 0.055 | 0.025 | मंगल प्रसाद पिता मोलई चतुर्वेदी | ममदर-पहखुरी-गहड़ी मार्ग निर्माण हेतु |
| 14 | 605/1 | 0.060 | 0.007 | मंगल प्रसाद पिता मोलई चतुर्वेदी | ममदर-पहखुरी-गहड़ी मार्ग निर्माण हेतु |
| 15 | 606/1 | 0.0188 | 0.0188 | मंगल प्रसाद पिता मोलई चतुर्वेदी | ममदर-पहखुरी-गहड़ी मार्ग निर्माण हेतु |
| 16 | 607 | 0.110 | 0.030 | गेंदलाल पिता मोलई चतुर्वेदी | ममदर-पहखुरी-गहड़ी मार्ग निर्माण हेतु |
| 17 | 608/1 | 0.020 | 0.020 | गेंदलाल पिता मोलई चतुर्वेदी | ममदर-पहखुरी-गहड़ी मार्ग निर्माण हेतु |
| 18 | 609/1 | 0.040 | 0.010 | गेंदलाल पिता मोलई चतुर्वेदी | ममदर-पहखुरी-गहड़ी मार्ग निर्माण हेतु |
| 19 | 609/2 | 0.180 | 0.010 | लेचरा, भुरसा पिता ईश्वरदीन कोल, मु० पंचवती बेवा भूरा, ददुली पिता भूरा कोल | ममदर-पहखुरी-गहड़ी मार्ग निर्माण हेतु |
| 20 | 615 | 0.050 | 0.020 | रामसुशील पिता रामलाल ब्रा० | ममदर-पहखुरी-गहड़ी मार्ग निर्माण हेतु |
| 21 | 687 | 0.350 | 0.010 | राजेश तिवारी, राजकुमार, मंजू पिता रामायण, मु० जमुना बाई बेवा रामायण प्रसाद ब्रा० सुनीता देवी पिता चंद्रवली ब्रा० चंद्रिका प्रसाद, माधव प्रसाद, रमाकांत पिता दिनेश प्रसाद ब्रा०, राजेन्द्र प्रसाद, अजय प्रसाद, विनोद प्रसाद, प्रमोद प्रसाद, पिता सीता प्रसाद ब्रा०, मु० देववती बेवा बृजेन्द्र तिवारी, आकाश पिता बृजेन्द्र तिवारी, संध्या, सविता पिता मनोज तिवारी | ममदर-पहखुरी-गहड़ी मार्ग निर्माण हेतु |
| 22 | 688 | 0.110 | 0.110 | राजेश तिवारी, राजकुमार, मंजू पिता रामायण, मु० जमुना बाई बेवा रामायण प्रसाद ब्रा० सुनीता देवी पिता चंद्रवली ब्रा० चंद्रिका प्रसाद, माधव प्रसाद, रमाकांत पिता दिनेश प्रसाद ब्रा०, राजेन्द्र प्रसाद, अजय प्रसाद, विनोद प्रसाद, प्रमोद प्रसाद, पिता सीता प्रसाद ब्रा०, मु० देववती बेवा बृजेन्द्र तिवारी, आकाश पिता बृजेन्द्र तिवारी, संध्या, सविता पिता मनोज तिवारी | ममदर-पहखुरी-गहड़ी मार्ग निर्माण हेतु |
| 23 | 616 | 0.080 | 0.010 | सहदेव पिता मटुका कोल | ममदर-पहखुरी-गहड़ी मार्ग निर्माण हेतु |
| कुल योग रकबा | | 2.543 | 0.434 | | |

क्र.-50-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

--: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| (क) जिला | - | सीधी |
| (ख) तहसील | - | रामपुर नैकिन |
| (ग) ग्राम | - | ममदर |
| (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर | - | ममदर |
| (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल | - | रकवा 0.295 हे० |

| क्र. | खसरा नम्बर | कुल रकवा | कुल अर्जित रकवा | भूमिस्वामी का नाम | उद्देश्य |
|---------------------|------------|----------|-----------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | 1772/2/1 | 1.700 | 0.010 | मोराध्वज पिता रामतपस्या ब्रा० | ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु |
| 02 | 1772/2/2 | 0.320 | 0.055 | शीलाध्वज पिता रामतपस्या ब्रा० | ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु |
| 03 | 1847/1/1 | 0.320 | 0.010 | बीरेश प्रसाद पिता पारसनाथ ब्रा० | ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु |
| 04 | 1847/1/2 | 0.420 | 0.030 | ब्यास प्रसाद पिता पारसनाथ ब्रा० | ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु |
| 05 | 1846 | 0.080 | 0.020 | देवेन्द्र कुमार पिता पारसनाथ ब्रा० | ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु |
| 06 | 1801 | 0.050 | 0.050 | ऋषभदेव पिता बृजेन्द्र प्रसाद अग्निहोत्री | ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु |
| 07 | 1802 | 0.660 | 0.050 | ऋषभदेव पिता बृजेन्द्र प्रसाद अग्निहोत्री | ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु |
| 08 | 1805 | 0.730 | 0.040 | ऋषभदेव पिता बृजेन्द्र प्रसाद अग्निहोत्री | ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु |
| 09 | 1809 | 0.560 | 0.030 | ऋषभदेव पिता बृजेन्द्र प्रसाद अग्निहोत्री | ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु |
| निजी भूमि का कुलयोग | | 4.840 | 0.295 | | |

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु

3. भूमि का नक्शा (प्लान) - उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

साकेत मालवीय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

(मानव संसाधन विकास) ए ब्लॉक/तृतीय तल, वन भवन, तुलसी नगर भोपाल
विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ

—: (संशोधित) अधिसूचना:—

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ-10-1/2015/1/9 दिनांक 27.03.2015 के परिपेक्ष्य में भारतीय वन सेवा परीक्षाधीन, सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 8-11 अगस्त 2023 की अवधि में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय वन सेवा परीक्षाधीन अधिकारी, सहायक वन संरक्षक के लिये दिनांक 08.08.2023 को प्रथम-वन विधि, दिनांक 09.08.2023 को द्वितीय-सामान्य विधि दिनांक 10.08.2023 को तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा एवं वन क्षेत्रपाल/उप वन क्षेत्रपालों के लिये दिनांक 08.08.2023 को प्रथम प्रक्रिया, दिनांक 09.08.2023 को द्वितीय लेखा, दिनांक 10.08.2023 को तृतीय सामान्य विधि तथा दिनांक 11.08.2023 को हिन्दी विषयों पर सम्पन्न हुई थी, जिसमें सम्मिलित निम्न उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

// भारतीय वन सेवा (परीक्षाधीन), सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम //

| क्र. | परीक्षार्थी का नाम | पद | परीक्षा विषय जिसमें उत्तीर्ण हुये है | | |
|----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|
| बालाघाट | | | | | |
| 1 | श्री नितिन साहू | वन क्षेत्रपाल | वन विधि | सामान्य विधि | — |
| 2 | श्री गुमान सिंह नर्गेश | वन क्षेत्रपाल | वन विधि | — | — |
| 3 | श्री सुरेन्द्र कुमार चिचखेड़े | उप वन क्षेत्रपाल | वन विधि | — | — |
| 4 | श्री प्रदीप चौधरी | सहा.परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी | वन विधि | — | — |
| 5 | अजय कामड़े | उप वन क्षेत्रपाल | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 6 | श्रीमती ज्योत्सना खोब्रागडे | वन क्षेत्रपाल | — | — | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 7 | श्री सुरेश कुमार कुशरे | वन क्षेत्रपाल | — | — | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 8 | श्री रवि गोडाम | सहा.परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी | — | — | प्रक्रिया तथा लेखा |
| बैतूल | | | | | |
| 9 | श्री अमित सिंह चौहान | वन क्षेत्रपाल | वन विधि | — | — |
| 10 | श्री नितिन पवार | वन क्षेत्रपाल | वन विधि | — | प्रक्रिया तथा लेखा |
| भोपाल | | | | | |
| 11 | श्री सागर श्रीवास्तव | वन क्षेत्रपाल | — | सामान्य विधि | — |
| 12 | श्री देवेश गौतम | वन क्षेत्रपाल | — | सामान्य विधि | — |
| 13 | श्री रोहित पटेल | वन क्षेत्रपाल | — | सामान्य विधि | — |
| 14 | श्री नरेन्द्र कुमार चौहान | वन क्षेत्रपाल | — | सामान्य विधि | — |
| 15 | श्री दीपक श्रीवास्तव | वन क्षेत्रपाल | — | सामान्य विधि | — |

| ग्वालियर | | | | | |
|------------|----------------------------|----------------|---------|--------------|--------------------|
| 16 | श्री शैलेन्द्र सिंह गुर्जर | वन क्षेत्रपाल | वन विधि | सामान्य विधि | — |
| 17 | श्री सागर शुक्ला | वन क्षेत्रपाल | वन विधि | सामान्य विधि | — |
| 18 | श्री आमिर खान | वन क्षेत्रपाल | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 19 | श्री भुवनेश कुमार योगी | वन क्षेत्रपाल | — | सामान्य विधि | — |
| 20 | श्री सत्येन्द्र सिंह धाकड़ | वन क्षेत्रपाल | — | — | प्रक्रिया तथा लेखा |
| इन्दौर | | | | | |
| 21 | सुश्री संगीता ठाकुर | वन क्षेत्रपाल | वन विधि | सामान्य विधि | — |
| 22 | श्री वैभव उपाध्याय | वन क्षेत्रपाल | वन विधि | — | — |
| 23 | श्री सचिन शंकर वर्मा | वन क्षेत्रपाल | — | सामान्य विधि | — |
| जबलपुर | | | | | |
| 24 | श्रीमती वर्षा सिंह बिसेन | वन क्षेत्रपाल | वन विधि | सामान्य विधि | — |
| 25 | श्री महेश चन्द्र कुशवाह | वन क्षेत्रपाल | वन विधि | — | — |
| 26 | श्री अविनाश जैन | वन क्षेत्रपाल | वन विधि | सामान्य विधि | — |
| 27 | श्रीमती सीमा ठाकुर | सहा वन संरक्षक | — | सामान्य विधि | — |
| खण्डवा | | | | | |
| 28 | श्री जय प्रकाश मिश्रा | वन क्षेत्रपाल | वन विधि | — | — |
| 29 | श्री मनीष कुमार पाण्डेय | वन क्षेत्रपाल | — | सामान्य विधि | — |
| 30 | श्री रविकान्त जैन | वन क्षेत्रपाल | — | सामान्य विधि | — |
| 31 | श्री विक्रम सिंह भदौरिया | वन क्षेत्रपाल | — | सामान्य विधि | — |
| नर्मदापुरम | | | | | |
| 32 | श्री उमेश मारु | वन क्षेत्रपाल | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 33 | श्री निशांत डोसी | वन क्षेत्रपाल | — | सामान्य विधि | — |
| रीवा | | | | | |
| 34 | श्री राजकुमार यादव | वन क्षेत्रपाल | वन विधि | सामान्य विधि | — |
| 35 | श्रीमती बीनु सिंह बघेल | वन क्षेत्रपाल | — | — | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 36 | श्री विवेक सिंह | वन क्षेत्रपाल | — | — | प्रक्रिया तथा लेखा |
| सागर | | | | | |
| 37 | श्री शैलेन्द्र तिवारी | वन क्षेत्रपाल | — | सामान्य विधि | — |
| 38 | श्री दिनेश कौशल | वन क्षेत्रपाल | — | सामान्य विधि | — |
| 39 | श्री बद्री नारायण सोलंकी | वन क्षेत्रपाल | — | सामान्य विधि | — |
| सिवनी | | | | | |
| 40 | श्री नितेश डेहरिया | वन क्षेत्रपाल | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 41 | श्री पीयूष गौतम | वन क्षेत्रपाल | — | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |

//3//

| शहडोल | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|
| 42 | श्री विवेक सिंह | भा.व.से. | -- | -- | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 43 | श्री नरेन्द्र कुमार रवी | वन क्षेत्रपाल | -- | -- | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 44 | श्री हेमन्त कुमार प्रजापति | वन क्षेत्रपाल | वन विधि | -- | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 45 | श्री प्रभांशु धुर्वे | वन क्षेत्रपाल | वन विधि | -- | प्रक्रिया तथा लेखा |
| शिवपुरी | | | | | |
| 46 | श्री माधव सिंह सिकरवार | वन क्षेत्रपाल | -- | -- | प्रक्रिया तथा लेखा |
| उज्जैन | | | | | |
| 47 | श्री भानुप्रताप सिंह सोलंकी | वन क्षेत्रपाल | वन विधि | -- | -- |
| 48 | श्री भीम सिंह | वन क्षेत्रपाल | वन विधि | सामान्य विधि | -- |
| वन क्षेत्रपाल, उप वन क्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम | | | | | |
| क्र. | परीक्षार्थी का नाम | पद | परीक्षा विषय जिसमें उत्तीर्ण हुये है | | |
| बालाघाट | | | | | |
| 1 | श्री दीपचन्द वासनिक | उप वन क्षेत्रपाल | -- | सामान्य विधि | प्रक्रिया |
| 2 | श्री दिनेश रामटेके | सहा.परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी | -- | सामान्य विधि | -- |
| 3 | श्री दिलीप कुमार बागडे | उप वन क्षेत्रपाल | -- | सामान्य विधि | प्रक्रिया |
| 4 | श्री विजय कुमार कुमरे | उप वन क्षेत्रपाल | -- | -- | प्रक्रिया |
| भोपाल | | | | | |
| 5 | सुश्री संगीता अमलतास | वन क्षेत्रपाल | लेखा | सामान्य विधि | प्रक्रिया |
| छतरपुर | | | | | |
| 6 | श्री प्रतीक अग्रवाल | वन क्षेत्रपाल | लेखा | सामान्य विधि | -- |
| छिंदवाड़ा | | | | | |
| 7 | श्री अजय कुमार मिश्रा | उप वन क्षेत्रपाल | लेखा | -- | -- |
| ग्वालियर | | | | | |
| 8 | श्री विवेक सिंह | वन क्षेत्रपाल | -- | सामान्य विधि | -- |
| इन्दौर | | | | | |
| 9 | श्री कार्तिकेय मण्डलोई | वन क्षेत्रपाल | -- | सामान्य विधि | -- |
| जबलपुर | | | | | |
| 10 | श्री विवेक सिंह बघेल | वन क्षेत्रपाल | लेखा | सामान्य विधि | प्रक्रिया |
| 11 | श्री बृजेश पाण्डे | वन क्षेत्रपाल | लेखा | सामान्य विधि | प्रक्रिया |
| 12 | श्री यतेन्द्र पगारे | सहा.परि.क्षेत्रपाल | लेखा | -- | प्रक्रिया |
| 13 | श्री मनीष रौर | सहा.परि.क्षेत्रपाल | लेखा | -- | प्रक्रिया |
| 14 | श्री सुखनन्दन सोनवंशी | वन क्षेत्रपाल | लेखा | -- | -- |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------|--------------|-----------|
| 15 | श्री पवन राय | वन क्षेत्रपाल | लेखा | - | - |
| 16 | श्री एस.के. बारमाटे | सहा.परि.क्षेत्रपाल | - | - | प्रक्रिया |
| 17 | श्री पीवेणु गोपाल नायडू | सहा.परि.क्षेत्रपाल | - | - | प्रक्रिया |
| खण्डवा | | | | | |
| 18 | श्री प्रफुल्ल मेश्राम | सहा.परियोजना परिक्षेत्रअधि. | लेखा | सामान्य विधि | प्रक्रिया |
| 19 | श्री राहुल किरार | वन क्षेत्रपाल | लेखा | - | प्रक्रिया |
| 20 | श्री रामचन्द्र मण्डलोई | उप वन क्षेत्रपाल | लेखा | - | प्रक्रिया |
| 21 | श्री शंकर सिंह चौहान | उप वन क्षेत्रपाल | - | - | प्रक्रिया |
| 22 | श्री हरेसिंह सिसोदिया | उप वन क्षेत्रपाल | - | - | प्रक्रिया |
| नर्मदापुरम | | | | | |
| 23 | सुश्री नीता शाह | वन क्षेत्रपाल | - | सामान्य विधि | - |
| 24 | श्री सुमित पाण्डे | वन क्षेत्रपाल | लेखा | - | - |
| सागर | | | | | |
| 25 | श्री देवेन्द्र सिंह गुर्जर | वन क्षेत्रपाल | लेखा | सामान्य विधि | प्रक्रिया |
| 26 | श्री मनीष सिंह गौड़ | उप वन क्षेत्रपाल | - | - | प्रक्रिया |
| सिवनी | | | | | |
| 27 | श्री सैय्यद जुनैद हुसैन | सहा.परि.क्षेत्रपाल | लेखा | - | - |
| 28 | श्री हीरालाल दाहिया | सहा.परि.क्षेत्रपाल | - | - | प्रक्रिया |
| शहडोल | | | | | |
| 29 | श्री संदीप कुमार गौतम | वन क्षेत्रपाल | लेखा | सामान्य विधि | प्रक्रिया |
| 30 | श्री शिवम कोष्टी | वन क्षेत्रपाल | - | - | प्रक्रिया |
| 31 | श्री रंजन सिंह परिहार | वन क्षेत्रपाल | लेखा | - | - |
| उज्जैन | | | | | |
| 32 | श्री शौर्य खरे | वन क्षेत्रपाल | - | सामान्य विधि | प्रक्रिया |
| 33 | श्री तनय कुलश्रेष्ठ | वन क्षेत्रपाल | - | सामान्य विधि | प्रक्रिया |

शशि मलिक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-पत्र क्र. 134-भू-अर्जन-24

सतना, दिनांक 4 जनवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|--------|-------|-----------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | उचेहरा | पतौडा | 2.453 हे. | कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0) | बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की मौहारी वितरिका की पतौडा माइनर निर्माण हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0

अ82/23-24 पत्र क्र0

135./भू-अर्जन/24

दि0

04/01/2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|----------|-----------------------------|--|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | नागौद | मढीखुर्द | 2.968 हे. | कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0) | बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की उमरहट वितरिका की मढीखुर्द माइनर नं-1 निर्माण हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/23-24 पत्र क्र0.136./भू-अर्जन/24 दि0 04/01/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|----------------|-----------------------------|--|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | नागौद | खम्हरिया खुर्द | 3.663 हे. | कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 सतना जिला सतना (म0प्र0) | बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बमुरहिया माइनर निर्माण हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सतना, दिनांक 19 जनवरी 2024

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.209./भू-अर्जन/2024 दि0 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|--------|-----------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | नागौद | रमपुरा | 4.907 हे. | कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-07 जिला सतना (म0प्र0) | बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत उमरी माइनर व उमरी बृज सब माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन। |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.210/भू-अर्जन/2024 दि0 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|-------|-----------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | नागौद | बरहा | 1.330 हे. | कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र0-07 जिला सतना (म0प्र0) | बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत बमुरहिया माइनर व हरदुआ मझोल सब माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन। |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.212/भू-अर्जन/2024 दि0 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|--------|-----------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | नागौद | लालपुर | 5.623 हे. | कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र0-07 जिला सतना (म0प्र0) | बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत बमुरहिया माइनर व बमुरहिया सब माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन। |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.213/भू-अर्जन/2024 दि0 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|--------|-----------------------------|--|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | नागौद | बम्हौर | 5.707 हे. | कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-07 जिला सतना (म0प्र0) | बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत बमुरहिया सब माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन। |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0.215/भू-अर्जन/2024 दि0 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|--------|-----------------------------|--|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | नागौद | पतवारा | 5.166 हे. | कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-07 जिला सतना (म0प्र0) | बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत उमरहट वितरिका के पतवारा माइनर-2 नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन। |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0 216...../भू-अर्जन/2024 दि0 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|-------|-----------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | नागौद | कोडर | 3.935 हे. | कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-07 जिला सतना (म0प्र0) | बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत तिघरा सब माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन। |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0 217/भू-अर्जन/2024 दि0 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|--------------|-----------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | नागौद | सुरदहा खुर्द | 2.174 हे. | कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-07 जिला सतना (म0प्र0) | बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत उमरी माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन। |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0 225/भू-अर्जन/2024 दि0 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|-------------|-----------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | नागौद | सलईया कोठार | 3.358 हे. | कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-07 जिला सतना (म0प्र0) | बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत कचनार सब माइनर-1 नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन। |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0 क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0 230/भू-अर्जन/24 दिनांक. 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा-11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|------------|-----------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | नागौद | सप्ती दुबे | 0.919 हे. | कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0) | बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत महकोना माइनर नहर निर्माण हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0 क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0 231/.../भू-अर्जन/24 दिनांक 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा-11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|------------|-----------------------------|---|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | नागौद | घदेह खुर्द | 2.452 हे. | कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म0प्र0) | बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया माइनर नहर निर्माण हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0 252/.../भू-अर्जन/2024 दि0 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|------------|-----------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | नागौद | सप्टी माफी | 0.939 हे. | कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र0-07 जिला सतना (म0प्र0) | बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत महकोमा माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन। |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0 233.../भू-अर्जन/2024 दि0 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|--------|-----------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | नागौद | हिलौधा | 4.019 हे. | कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-07 जिला सतना (म0प्र0) | बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत महकोना माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन। |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0 234.../भू-अर्जन/2024 दि0 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|-------|-----------------------------|--|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | नागौद | गुनहर | 2.543 हे. | कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-07 जिला सतना (म0प्र0) | बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया सब माइनर-1 व चन्दकुइया सब माइनर-2 नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन। |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र० 236./भू-अर्जन/24 दिनांक 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा-11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|------------|-----------------------------|---|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | नागौद | घदेह खुर्द | 2.647 हे. | कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (M0प्र०) | बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत रहिकवारा सब माइनर नहर निर्माण हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र० 237./भू-अर्जन/24 दिनांक 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा-11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|-------|-----------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | नागौद | कचनार | 4.122 हे. | कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (M0प्र०) | बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत टिकुरी माइनर नहर निर्माण हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0 238../भू-अर्जन/2024 दि0 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|-----------|-----------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | नागौद | चन्दकुइया | 5.586 हे. | कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-07 जिला सतना (म0प्र0) | बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया सब माइनर नहर-2 के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन। |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0 238../भू-अर्जन/2024 दि0 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|--------|-----------------------------|--|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | नागौद | पतवारा | 5.189 हे. | कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-07 जिला सतना (म0प्र0) | बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत उमरहट वितरिका के सलईया उन्मुक्त माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन। |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0 239.../भू-अर्जन/2024 दि0 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|----------------|-----------------------------|--|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | नागौद | कोनी पण्डावाली | 0.899 हे. | कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-07 जिला सतना (म0प्र0) | बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत उमरी माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन। |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/23-24 पत्र क्र0 240.../भू-अर्जन/2024 दि0 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---------------|-------|----------------|-----------------------------|--|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सतना | नागौद | बरकोनिया कोठार | 3.106 हे. | कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-07 जिला सतना (म0प्र0) | बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत कचनार सब माइनर-1 नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन। |

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 190-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 18 जनवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम गुडुवा तहसील उंचेहरा की निजी भूमि रकबा 1.6524 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत महदेई वितरिका के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 02.12.2022 को किया गया था। म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 02.12.2022 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 02.12.2022 से 06 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील-उंचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - गुडुवा

(घ) क्षेत्रफल- 1.6524 हे०

| क्रमांक | खसरा नंबर | अर्जित रकबा (हे. में) |
|---------|-----------|-----------------------|
| 1 | 785 | 0.0288 |
| 2 | 786 | 0.0630 |
| 3 | 787/1 | 0.0450 |
| 4 | 787/2 | 0.0450 |
| 5 | 788/1/1 | 0.0170 |
| 6 | 788/1/2 | 0.0170 |
| 7 | 788/2/1 | 0.0170 |
| 8 | 788/2/2 | 0.0170 |
| 9 | 788/3/1 | 0.0170 |
| 10 | 788/3/2 | 0.0170 |
| 11 | 789/1/1 | 0.0320 |
| 12 | 789/1/2 | 0.0150 |
| 13 | 789/1/3 | 0.0160 |
| 14 | 789/2 | 0.0630 |
| 15 | 790/1 | 0.0740 |
| 16 | 790/2 | 0.0740 |
| 17 | 791/1 | 0.1080 |
| 18 | 792/4 | 0.1120 |

| | | |
|----|----------------------|---------------|
| 19 | 793 | 0.0900 |
| 20 | 794/2 | 0.0540 |
| 21 | 794/3 | 0.0540 |
| 22 | 795 | 0.0576 |
| 23 | 796/1/1 | 0.0120 |
| 24 | 796/1/2 | 0.0130 |
| 25 | 796/1/3 | 0.0130 |
| 26 | 797/2 | 0.0140 |
| 27 | 797/3 | 0.0940 |
| 28 | 798/2 | 0.0360 |
| 29 | 810/4 | 0.0730 |
| 30 | 810/5 | 0.0840 |
| 31 | 812/1/1 | 0.0470 |
| 32 | 812/1/2 | 0.0470 |
| 33 | 812/1/3 | 0.0460 |
| 34 | 812/2 | 0.1400 |
| | कुल योग रकबा- | 1.6524 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 सतना म.प्र. द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 191-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम महदेई तहसील उंचेहरा की निजी भूमि रकबा 0.6520 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत महदेई वितरिका के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 02.12.2022 को किया गया था। म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 02.12.2022 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 02.12.2022 से 06 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -सतना
(ख) तहसील-उंचेहरा
(ग) नगर /ग्राम - महदेई
(घ) क्षेत्रफल- 0.6520 हे०

| क्रमांक | खसरा नंबर | अर्जित रकबा (हे. में) |
|------------|-----------|-----------------------|
| 1 | 14 | 0.0230 |
| 2 | 16 | 0.0140 |
| 3 | 19 | 0.0750 |
| 4 | 20/1 | 0.0880 |
| 5 | 20/2 | |
| 6 | 30 | 0.1830 |
| 7 | 34 | 0.0160 |
| 8 | 35 | 0.1020 |
| 9 | 36 | 0.0150 |
| 10 | 56/1/1 | 0.1360 |
| 11 | 56/1/2 | |
| 12 | 56/2 | |
| कुल योग :- | | 0.6520 हे. |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना म.प्र. द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 192-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम बांधी मौहार तहसील उंचेहरा की निजी भूमि रकबा 7.3582 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत महदेई वितरिका के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 02.12.2022 को किया गया था। म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 02.12.2022 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 02.12.2022 से 06 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
 (क) जिला -सतना
 (ख) तहसील-उंचेहरा
 (ग) नगर /ग्राम - बांधी मौहार
 (घ) क्षेत्रफल- 7.3582 हे०

| क्रमांक | खसरा नंबर | अर्जित रकबा (हे. में) |
|---------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 670/2/1/1/1 | 0.0100 |
| 2 | 670/2/6/2 | 0.1000 |
| 3 | 670/2/7/1/1/1/1 | 0.3050 |
| 4 | 670/2/7/1/1/1/2/1 | 0.1770 |
| 5 | 670/2/7/1/2 | 0.1970 |
| 6 | 670/2/7/2 | 0.3140 |
| 7 | 671/7 | 0.0500 |
| 8 | 673 | 0.0912 |
| 9 | 674/1/2 | 0.1300 |
| 10 | 674/2/2 | 0.1360 |
| 11 | 676/1/1 | 0.0140 |
| 12 | 676/1/2 | 0.0474 |
| 13 | 676/2 | 0.0580 |
| 14 | 677/1 | 0.0395 |
| 15 | 677/2/1 | 0.0400 |
| 16 | 677/2/2 | 0.0110 |
| 17 | 678/1 | 0.0495 |
| 18 | 699/2 | 0.0310 |
| 19 | 701 | 0.0582 |
| 20 | 708 | 0.0440 |
| 21 | 709 | 0.0210 |
| 22 | 710 | 0.0520 |
| 23 | 720/1 | 0.0440 |
| 24 | 720/2 | 0.0552 |

| | | |
|----|-------------|--------|
| 25 | 721 | 0.0568 |
| 26 | 722/1 | 0.0056 |
| 27 | 772 | 0.6060 |
| 28 | 773 | 0.0280 |
| 29 | 774/2 | 0.1308 |
| 30 | 775/2/2/1 | 0.0290 |
| 31 | 775/2/2/2 | 0.0290 |
| 32 | 775/2/2/3 | 0.0290 |
| 33 | 775/2/2/4 | 0.0290 |
| 34 | 775/2/2/5 | 0.0290 |
| 34 | 881/1/2 | 0.1710 |
| 36 | 881/2/2/1 | 0.0500 |
| 37 | 881/2/2/3/1 | 0.0160 |
| 38 | 881/2/2/3/2 | 0.0160 |
| 39 | 881/2/2/4 | 0.0080 |
| 40 | 881/2/2/5/2 | 0.0860 |
| 41 | 882/1/2 | 0.0105 |
| 42 | 882/2/2/1 | 0.0105 |
| 43 | 900/1/2 | 0.1950 |
| 44 | 900/1/3 | 0.1950 |
| 45 | 901/1 | 0.0280 |
| 46 | 902 | 0.4600 |
| 47 | 903 | 0.0180 |
| 48 | 945/2/2 | 0.0100 |
| 49 | 957/1 | 0.0120 |
| 50 | 958/2/1/2 | 0.4350 |
| 51 | 958/4/3 | 0.3570 |
| 52 | 966/1 | 0.0200 |
| 53 | 967 | 0.3840 |
| 54 | 984/1 | 0.0170 |
| 55 | 984/2 | 0.0430 |
| 56 | 984/3 | 0.0760 |
| 57 | 985 | 0.0420 |
| 58 | 986 | 0.0210 |

| | | |
|----|----------------------|---------------|
| 59 | 683 | 0.0240 |
| 60 | 704/3/1 | 0.2660 |
| 61 | 884 | 0.0230 |
| 62 | 944/1/2/1/2 | 0.1980 |
| 63 | 968 | 0.0180 |
| 64 | 983/3 | 0.0090 |
| 65 | 987 | 0.0100 |
| 66 | 988 | 0.0070 |
| 67 | 1932/1 | 0.0190 |
| 68 | 1932/2 | 0.0190 |
| 69 | 1932/3 | 0.0190 |
| 70 | 1932/4 | 0.0190 |
| 71 | 1933/2/2 | 0.0300 |
| 72 | 1934/2/4 | 0.2930 |
| 73 | 1934/2/5 | 0.2390 |
| 74 | 1937/1/5 | 0.2090 |
| 75 | 1937/2/1 | 0.2280 |
| | कुल योग रकबा- | 7.3582 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना म.प्र. द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 193-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम हरदुआ उबारी तहसील उंचेहरा की निजी भूमि रकबा 1.2190 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत महदेई वितरिका के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 02.12.2022 को किया गया था। म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 02.12.2022 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 02.12.2022 से 06 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील-उंचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - हरदुआ उबारी

(घ) क्षेत्रफल- 1.2190 हे०

| क्रमांक | खसरा नंबर | अर्जित रकवा (हे. में) |
|---------|-----------|-----------------------|
| 1 | 39/1 | 0.4680 |
| 2 | 39/2 | |
| 3 | 39/3 | |
| 4 | 39/112/1 | 0.0230 |
| 5 | 39/112/2 | |
| 6 | 39/112/3 | |
| 7 | 39/113/1 | 0.0410 |
| 8 | 39/113/2 | |
| 9 | 39/113/3 | |
| 10 | 44/1 | 0.0880 |
| 11 | 44/2 | 0.0720 |
| 12 | 44/3 | 0.0660 |
| 13 | 44/4 | 0.0110 |
| 14 | 55/1 | 0.1720 |
| 15 | 55/2 | 0.0870 |
| 16 | 55/3 | 0.0030 |
| 17 | 57 | 0.0200 |

| | | |
|----|----------------------|---------------|
| 18 | 57/111 | 0.0120 |
| 19 | 62/1 | 0.0720 |
| 20 | 62/2 | 0.0400 |
| 21 | 64 | 0.0040 |
| 22 | 87/1 | 0.0200 |
| 23 | 87/2 | |
| 24 | 87/3 | |
| 25 | 96 | 0.0200 |
| | कुल योग रकबा- | 1.2190 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना म.प्र. द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्र. 19-भू-अर्जन-2024

सीहोर, दिनांक 18 जनवरी 2024

प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2023-2024, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

—अनुसूची —

| भूमि का वर्णन | | | | | |
|---------------|-------|-----------|--------------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल एकड़/ हेक्टर | धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सीहोर | इछावर | आर्या | 0.469 हेक्टर | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग सीहोर | एकपनिया लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन |

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील इछावर में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

क्र. 27-भू-अर्जन-2024

प्रकरण क्रमांक ९ /अ-82/2023-2024, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

—अनुसूची —

| भूमि का वर्णन | | | | | |
|---------------|-------|-----------|--------------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल एकड़/ हेक्टर | धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सीहोर | इछावर | बिजोरी | 46.765 हेक्टर | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग सीहोर | एकपनिया लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन |

2. भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील इछावर में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

क्र. 23-भू-अर्जन-2024

प्रकरण क्रमांक ०७/अ-82/2023-2024, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

-अनुसूची -

| भूमि का वर्णन | | | | | |
|---------------|-------|-----------|--------------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल एकड़/ हेक्टर | धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सीहोर | इछावर | झरखेडा | 23.665 हेक्टर | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग सीहोर | एकपनिया लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन |

- भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील इछावर में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

क्र. 31-भू-अर्जन-2024

प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2023-2024, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

-अनुसूची -

| भूमि का वर्णन | | | | | |
|---------------|-------|-----------|--------------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल एकड़/ हेक्टर | धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सीहोर | इछावर | करणपुरा | 78.657 हेक्टर | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग सीहोर | एकपनिया लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन |

2. भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील इछावर में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

क्र. 17-भू-अर्जन-2024

प्रकरण क्रमांक 11 / अ-82 / 2023-2024, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

-अनुसूची -

| भूमि का वर्णन | | | | | |
|---------------|-------|-----------|---------------------------------|--|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल एकड़ / हेक्टर | धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सीहोर | इछावर | सिंगापुरा | 19.284 हेक्टर | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग सीहोर | एकपनिया लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन |

2. भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील इछावर में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 199-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 19 जनवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - पतवारा

(घ) क्षेत्रफल- 7.112 हे०

| क्रमांक | खसरा नंबर | अर्जित रकवा (हे. में) |
|---------|-----------|-----------------------|
| 1 | 1385 | 0.193 |
| 2 | 1384/1 | 0.147 |
| 3 | 1384/2 | 0.141 |
| 4 | 1380/1 | 0.293 |
| 5 | 1380/2 | 0.120 |
| 6 | 1379/2 | 0.438 |
| 7 | 1347/1/1 | 0.084 |
| 8 | 1347/1/2 | 0.149 |
| 9 | 1347/3 | 0.035 |
| 10 | 1346/2 | 0.003 |
| 11 | 1348/1/1 | 0.026 |
| 12 | 1348/1/2 | 0.003 |
| 13 | 1348/2/1 | 0.216 |
| 14 | 1348/2/2 | 0.057 |
| 15 | 1351/2 | 0.451 |
| 16 | 1461 | 0.198 |
| 17 | 1462 | 0.128 |
| 18 | 1471 | 0.163 |
| 19 | 1470 | 0.412 |
| 20 | 1474 | 0.152 |
| 21 | 1475/1 | 0.126 |
| 22 | 1476/1 | 0.268 |
| 23 | 1476/2 | 0.115 |
| 24 | 1488 | 0.087 |
| 25 | 1487 | 0.250 |
| 26 | 1481 | 0.500 |

| | | |
|----|-------------------|------------------|
| 27 | 1661/1 | 0.027 |
| 28 | 1662/1 | 0.239 |
| 29 | 1662/2 | 0.337 |
| 30 | 1663/1 | 0.234 |
| 31 | 1663/2 | 0.095 |
| 32 | 1664/2 | 0.004 |
| 33 | 1666/1 | 0.369 |
| 34 | 1666/2 | 0.003 |
| 35 | 1666/3/1 | 0.142 |
| 36 | 1666/3/2 | 0.081 |
| 37 | 1667/1 | 0.042 |
| 38 | 1667/2 | 0.031 |
| 39 | 1480 | 0.008 |
| 40 | 1477/1 | 0.003 |
| 41 | 1477/2 | 0.033 |
| 42 | 1668/1 | 0.115 |
| 43 | 1668/2 | 0.369 |
| 44 | 1674 | 0.170 |
| 45 | 1675/1 | 0.042 |
| 46 | 1682 | 0.002 |
| 47 | 1469/1/1/3 | 0.008 |
| 48 | 1350/2 | 0.003 |
| | कुल योग :- | 7.112 हे. |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत उमरहट वितरिका नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 200-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - उमरहट

(घ) क्षेत्रफल- 2.227 हे०

| क्रमांक | खसरा नंबर | अर्जित रकवा (हे. मे) |
|---------|-----------|----------------------|
| 1 | 70/1 | 0.080 |
| 2 | 70/2 | 0.049 |
| 3 | 72/1 | 0.027 |
| 4 | 72/2 | 0.039 |
| 5 | 76/1 | 0.013 |
| 6 | 76/2 | 0.126 |
| 7 | 75/1/2 | 0.042 |
| 8 | 75/1/3 | 0.035 |
| 9 | 75/2 | 0.285 |
| 10 | 78 | 0.020 |
| 11 | 79/1 | 0.140 |
| 12 | 89/2/2 | 0.220 |
| 13 | 89/2/3 | 0.360 |
| 14 | 93/3 | 0.014 |
| 15 | 93/4 | 0.115 |

| | | |
|----|-------------------|------------------|
| 16 | 90/1 | 0.203 |
| 17 | 90/2 | 0.175 |
| 18 | 87 | 0.130 |
| 19 | 88 | 0.018 |
| 20 | 86 | 0.136 |
| | कुल योग :- | 2.227 हे. |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत उमरहट वितरिका नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 201-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला -सतना
- (ख) तहसील- नागौद
- (ग) नगर /ग्राम - विरहुली
- (घ) क्षेत्रफल- 4.743 हे०

| क्रमांक | खसरा नंबर | अर्जित रकवा (हे. में) |
|---------|-------------|-----------------------|
| 1 | 392 | 0.195 |
| 2 | 399 | 0.187 |
| 3 | 390/1 | 0.020 |
| 4 | 391/1 | 0.001 |
| 5 | 389 | 0.002 |
| 6 | 401/2 | 0.025 |
| 7 | 402 | 0.499 |
| 8 | 403 | 0.028 |
| 9 | 407/1 | 0.126 |
| 10 | 407/2/1 | 0.013 |
| 11 | 407/2/2 | 0.121 |
| 12 | 407/536/2/2 | 0.008 |
| 13 | 273/2/1 | 0.100 |
| 14 | 273/2/2 | 0.091 |
| 15 | 272 | 0.013 |
| 16 | 268 | 0.099 |
| 17 | 270/1 | 0.003 |
| 18 | 269 | 0.019 |
| 19 | 265 | 0.186 |
| 20 | 267/2 | 0.061 |
| 21 | 266 | 0.023 |

| | | |
|----|-----------|-------|
| 22 | 252/562/1 | 0.010 |
| 23 | 252/562/2 | |
| 24 | 252/562/3 | |
| 25 | 264/1 | 0.108 |
| 26 | 263 | 0.070 |
| 27 | 258 | 0.063 |
| 28 | 259 | 0.076 |
| 29 | 257 | 0.075 |
| 30 | 256 | 0.008 |
| 31 | 254 | 0.015 |
| 32 | 186 | 0.104 |
| 33 | 185/2 | 0.093 |
| 34 | 184 | 0.089 |
| 35 | 182/1 | 0.108 |
| 36 | 182/2 | 0.043 |
| 37 | 181/1 | 0.019 |
| 38 | 175 | 0.144 |
| 39 | 171 | 0.078 |
| 40 | 172 | 0.010 |
| 41 | 170 | 0.090 |
| 42 | 170/569 | 0.010 |
| 43 | 161 | 0.163 |
| 44 | 162 | 0.030 |
| 45 | 160 | 0.003 |
| 46 | 159 | 0.006 |
| 47 | 57 | 0.086 |
| 48 | 58 | 0.068 |
| 49 | 59 | 0.032 |
| 50 | 57/557 | 0.012 |
| 51 | 60 | 0.118 |
| 52 | 70 | 0.007 |
| 53 | 71/554/1 | 0.021 |
| 54 | 71/554/2 | 0.024 |
| 55 | 72 | 0.005 |
| 56 | 71/1 | 0.053 |

| | | |
|----|-------------------|------------------|
| 57 | 71/2 | 0.109 |
| 58 | 97 | 0.204 |
| 59 | 97/556 | 0.008 |
| 60 | 90/2 | 0.010 |
| 61 | 90/3 | 0.001 |
| 62 | 90/582/2 | 0.008 |
| 63 | 98/2 | 0.014 |
| 64 | 96 | 0.141 |
| 65 | 101 | 0.090 |
| 66 | 102 | 0.065 |
| 67 | 107/1 | 0.096 |
| 68 | 106 | 0.336 |
| | कुल योग :- | 4.743 हे. |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत उमरहट वितरिका नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 202-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - हिलौधा

(घ) क्षेत्रफल- 5.581 हे०

| क्रमांक | खसरा नंबर | अर्जित रकवा (हे. में) |
|---------|-----------|-----------------------|
| 1 | 713/2/1 | 0.221 |
| 2 | 713/2/2 | 0.205 |
| 3 | 713/2/3 | 0.222 |
| 4 | 565/3 | 0.082 |
| 5 | 567 | 0.025 |
| 6 | 569 | 0.022 |
| 7 | 568 | 0.018 |
| 8 | 570 | 0.028 |
| 9 | 558 | 0.030 |
| 10 | 571 | 0.012 |
| 11 | 557 | 0.064 |
| 12 | 556 | 0.004 |
| 13 | 549 | 0.050 |
| 14 | 575 | 0.018 |
| 15 | 579 | 0.002 |
| 16 | 548 | 0.043 |
| 17 | 547 | 0.029 |
| 18 | 546 | 0.040 |
| 19 | 551 | 0.003 |
| 20 | 545/1 | 0.016 |
| 21 | 545/2 | 0.042 |
| 22 | 590 | 0.013 |

| | | |
|----|--------|-------|
| 23 | 533 | 0.001 |
| 24 | 534 | 0.052 |
| 25 | 535 | 0.003 |
| 26 | 531 | 0.032 |
| 27 | 530 | 0.027 |
| 28 | 528 | 0.011 |
| 29 | 529 | 0.052 |
| 30 | 522 | 0.066 |
| 31 | 516 | 0.005 |
| 32 | 523 | 0.002 |
| 33 | 515 | 0.052 |
| 34 | 514 | 0.044 |
| 35 | 505/1 | 0.002 |
| 36 | 509 | 0.022 |
| 37 | 506 | 0.030 |
| 38 | 508/1 | 0.033 |
| 39 | 508/2 | 0.021 |
| 40 | 1191 | 0.011 |
| 41 | 1192 | 0.042 |
| 42 | 1193/1 | 0.016 |
| 43 | 262 | 0.024 |
| 44 | 263/1 | 0.008 |
| 45 | 263/2 | 0.005 |
| 46 | 266/2 | 0.004 |
| 47 | 267 | 0.086 |
| 48 | 268 | 0.034 |
| 49 | 269 | 0.030 |
| 50 | 270 | 0.003 |
| 51 | 275 | 0.009 |
| 52 | 281 | 0.001 |
| 53 | 276 | 0.046 |
| 54 | 259 | 0.001 |
| 55 | 277 | 0.054 |
| 56 | 279 | 0.003 |
| 57 | 278 | 0.067 |
| 58 | 252/3 | 0.002 |
| 59 | 251 | 0.038 |

| | | |
|----|------------|-------|
| 60 | 289 | 0.002 |
| 61 | 249 | 0.101 |
| 62 | 248 | 0.107 |
| 63 | 239/1 | 0.054 |
| 64 | 239/3 | 0.007 |
| 65 | 240/1 | 0.002 |
| 66 | 240/2 | 0.010 |
| 67 | 240/3 | 0.050 |
| 68 | 230/2 | 0.018 |
| 69 | 230/3 | 0.040 |
| 70 | 229/1 | 0.021 |
| 71 | 229/2 | 0.084 |
| 72 | 228 | 0.077 |
| 73 | 224 | 0.072 |
| 74 | 220 218 | 0.008 |
| 75 | 221 | 0.088 |
| 76 | 222 | 0.059 |
| 77 | 223 | 0.006 |
| 78 | 181 | 0.075 |
| 79 | 182 | 0.015 |
| 80 | 183 | 0.003 |
| 81 | 184 | 0.096 |
| 82 | 185 | 0.047 |
| 83 | 179 | 0.032 |
| 84 | 177 | 0.062 |
| 85 | 186 | 0.007 |
| 86 | 176 | 0.036 |
| 87 | 174 | 0.052 |
| 88 | 173 | 0.069 |
| 89 | 170 | 0.003 |
| 90 | 190/1626 | 0.007 |
| 91 | 51/1 | 0.091 |
| 92 | 172/1 | 0.126 |
| 93 | 172/3 | 0.083 |
| 94 | 172/4 | 0.163 |
| 95 | 172/5 | 0.070 |

| | | |
|-----|-------------------|------------------|
| 96 | 54 | 0.487 |
| 97 | 30 | 0.015 |
| 98 | 31 | 0.251 |
| 99 | 9/1632 | 0.032 |
| 100 | 8/1/1 | 0.425 |
| 101 | 8/2/1/1 | 0.200 |
| 102 | 8/2/1/2 | 0.200 |
| | कुल योग :- | 5.581 हे. |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत उमरहट वितरिका नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 203-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला -सतना
- (ख) तहसील- नागौद
- (ग) नगर /ग्राम - सलैया कोठार
- (घ) क्षेत्रफल- 0.072 हे०

| क्रमांक | खसरा नंबर | अर्जित रकवा (हे. में) |
|---------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 518/2/2 | 0.072 |
| | कुल योग :- | 0.072 हे. |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत उमरहट वितरिका नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 204-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - रेरूआ कला

(घ) क्षेत्रफल- 4.426 हे०

| क्रमांक | खसरा नंबर | अर्जित रकवा (हे. में) |
|---------|-----------|-----------------------|
| 1 | 634 | 0.187 |
| 2 | 637 | 0.090 |
| 3 | 636/1 | 0.091 |
| 4 | 636/2 | 0.090 |
| 5 | 646 | 0.364 |
| 6 | 645 | 0.096 |
| 7 | 644/2 | 0.257 |
| 8 | 643/1/1 | 0.003 |
| 9 | 643/1/2 | 0.219 |
| 10 | 664/1/1/1 | 0.147 |
| 11 | 664/1/2 | 0.292 |
| 12 | 665/1/1 | 0.003 |
| 13 | 663/1 | 0.014 |
| 14 | 354/2 | 0.311 |
| 15 | 354/3 | 0.012 |
| 16 | 356/1/1 | 0.030 |
| 17 | 356/2/1 | 0.005 |
| 18 | 356/2/2 | 0.014 |
| 19 | 357/1/1 | 0.026 |
| 20 | 357/2 | 0.256 |
| 21 | 358/2/1 | 0.260 |
| 22 | 358/2/2 | 0.105 |
| 23 | 341/1 | 0.225 |
| 24 | 341/3 | 0.038 |
| 25 | 341/4 | 0.030 |
| 26 | 341/5 | 0.068 |

| | | |
|----|-------------------|------------------|
| 27 | 340 | 0.081 |
| 28 | 322/1/1 | 0.157 |
| 29 | 322/2 | 0.050 |
| 30 | 323/2 | 0.088 |
| 31 | 324 | 0.058 |
| 32 | 325/1/1 | 0.140 |
| 33 | 325/2 | 0.035 |
| 34 | 326 | 0.160 |
| 35 | 327/1 | 0.115 |
| 36 | 328/1 | 0.251 |
| 37 | 329 | 0.058 |
| | कुल योग :- | 4.426 हे. |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत उमरहट वितरिका नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 205-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला -सतना
- (ख) तहसील- नागौद
- (ग) नगर /ग्राम - रेऊआ खुर्द
- (घ) क्षेत्रफल- 4.503 हे०

| क्रमांक | खसरा नंबर | अर्जित रकवा (हे. मे) |
|---------|-----------|----------------------|
| 1 | 652 | 0.381 |
| 2 | 651 | 0.415 |
| 3 | 653 | 0.006 |
| 4 | 649 | 0.217 |
| 5 | 648 | 0.228 |
| 6 | 650 | 0.010 |
| 7 | 647 | 0.002 |
| 8 | 646/1 | 0.278 |
| 9 | 632/1 | 0.435 |
| 10 | 632/3 | 0.180 |
| 11 | 626/1 | 0.043 |
| 12 | 625/1 | 0.137 |
| 13 | 620 | 0.167 |
| 14 | 621 | 0.200 |
| 15 | 606/1/2 | 0.221 |

| | | |
|----|-------------------|------------------|
| 16 | 606/2/1 | 0.088 |
| 17 | 606/2/2/1 | 0.306 |
| 18 | 605/2 | 0.295 |
| 19 | 604 | 0.380 |
| 20 | 601/1 | 0.166 |
| 21 | 598/1 | 0.348 |
| | कुल योग :- | 4.503 हे. |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत उमरहट वितरिका नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 207-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - नौवस्ता

(घ) क्षेत्रफल- 1.597 हे०

| क्रमांक | खसरा नंबर | अर्जित रकवा (हे. में) |
|---------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 111 | 0.010 |
| 2 | 112 | 0.272 |
| 3 | 113 | 0.175 |
| 4 | 114/1 | 0.009 |
| 5 | 114/2 | 0.011 |
| 6 | 115/1 | 0.230 |
| 7 | 115/2 | 0.220 |
| 8 | 508/3 | 0.016 |
| 9 | 509/3 | 0.310 |
| 10 | 509/4 | 0.104 |
| 11 | 512 | 0.240 |
| | कुल योग :- | 1.597 हे. |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत मौहारी वितरिका निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 208-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - डाम्हा

(घ) क्षेत्रफल- 3.530 हे०

| क्रमांक | खसरा नंबर | अर्जित रकवा (हे. में) |
|---------|-----------|-----------------------|
| 1 | 302/1 | 0.103 |
| 2 | 316/2/1 | 0.097 |
| 3 | 310/3 | 0.001 |
| 4 | 315/2/2/1 | 0.022 |
| 5 | 314/3 | 0.023 |
| 6 | 322/2/2/1 | 0.018 |
| 7 | 322/2/2/2 | 0.008 |
| 8 | 323/2/1 | 0.008 |
| 9 | 323/2/2 | 0.012 |
| 10 | 313 | 0.197 |
| 11 | 312 | 0.004 |
| 12 | 325/2 | 0.023 |
| 13 | 324/2 | 0.384 |
| 14 | 324/3 | 0.270 |
| 15 | 324/4 | 0.090 |
| 16 | 453/2 | 0.223 |
| 17 | 451 | 0.051 |
| 18 | 450/2 | 0.002 |
| 19 | 452/2 | 0.157 |
| 20 | 442 | 0.010 |
| 21 | 443 | 0.402 |
| 22 | 438/2/1 | 0.274 |
| 23 | 534 | 0.048 |
| 24 | 439 | 0.222 |
| 25 | 400/1/1 | 0.209 |

| | | |
|----|-------------------|------------------|
| 26 | 400/2/1/1 | 0.006 |
| 27 | 400/2/2/1 | 0.030 |
| 28 | 400/2/3/1 | 0.015 |
| 29 | 398/1 | 0.013 |
| 30 | 396/1/10/2 | 0.140 |
| 31 | 396/1/23 | 0.120 |
| 32 | 396/2/10/2 | 0.190 |
| 33 | 396/3 | 0.158 |
| | कुल योग :- | 3.530 हे. |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत मौहारी वितरिका नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 211-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला -सतना
- (ख) तहसील- नागौद
- (ग) नगर /ग्राम - कोलाड
- (घ) क्षेत्रफल- 2.719 हे०

| क्रमांक | खसरा नंबर | अर्जित रकवा (हे. में) |
|---------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 6/1 | 0.200 |
| 2 | 6/2 | 0.362 |
| 3 | 5/1 | 0.318 |
| 4 | 5/2 | 0.419 |
| 5 | 4/1/3/2/1 | 0.001 |
| 6 | 32 | 0.275 |
| 7 | 57 | 0.018 |
| 8 | 78/1/1 | 0.129 |
| 9 | 78/1/2/1 | 0.155 |
| 10 | 78/2 | 0.259 |
| 11 | 59/1/23 | 0.182 |
| 12 | 59/2/10 | 0.103 |
| 13 | 59/2/18 | 0.113 |
| 14 | 59/2/23 | 0.082 |
| 15 | 59/2/32 | 0.103 |
| | कुल योग :- | 2.719 हे. |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत उमरहट वितरिका नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 214-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - वसुधा

(घ) क्षेत्रफल- 4.982 हे०

| क्रमांक | खसरा नंबर | अर्जित रकवा (हे. में) |
|---------|-----------|-----------------------|
| 1 | 1063 | 0.227 |
| 2 | 1062 | 0.180 |
| 3 | 1061/1 | 0.070 |
| 4 | 1055 | 0.135 |
| 5 | 1054 | 0.015 |
| 6 | 1053 | 0.352 |
| 7 | 1052/2 | 0.201 |
| 8 | 1050/2 | 0.113 |
| 9 | 1048 | 0.041 |
| 10 | 1049/4/1 | 0.023 |
| 11 | 1049/4/2 | 0.075 |
| 12 | 862/1 | 0.132 |
| 13 | 862/2/1 | 0.130 |
| 14 | 862/2/4 | 0.040 |
| 15 | 863 | 0.107 |
| 16 | 869 | 0.640 |
| 17 | 868 | 0.075 |
| 18 | 916/1 | 0.090 |
| 19 | 904/2/3 | 0.036 |
| 20 | 905/2 | 0.055 |
| 21 | 914/2 | 0.313 |
| 22 | 913/2 | 0.007 |
| 23 | 910 | 0.119 |
| 24 | 909 | 0.026 |
| 25 | 908/1 | 0.012 |

| | | |
|----|-------------------|------------------|
| 26 | 908/4 | 0.012 |
| 27 | 907/1 | 0.094 |
| 28 | 907/2 | 0.084 |
| 29 | 907/3 | 0.105 |
| 30 | 907/4 | 0.090 |
| 31 | 924/2 | 0.006 |
| 32 | 752/4 | 0.139 |
| 33 | 752/3 | 0.125 |
| 34 | 752/2/1/1 | 0.092 |
| 35 | 752/2/2 | 0.045 |
| 36 | 752/2/4 | 0.402 |
| 37 | 751/2/1 | 0.012 |
| 38 | 749 | 0.117 |
| 39 | 743/2 | 0.052 |
| 40 | 742/1 | 0.061 |
| 41 | 742/3 | 0.150 |
| 42 | 735/1 | 0.132 |
| 43 | 734/1 | 0.010 |
| 44 | 915/2 | 0.010 |
| 45 | 748/1 | 0.030 |
| | कुल योग :- | 4.982 हे. |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत उमरहाट वितरिका नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 228-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - छींदा

(घ) क्षेत्रफल- 0.288 हे०

| क्रमांक | खसरा नंबर | अर्जित रकवा (हे. में) |
|------------|-----------|-----------------------|
| 1 | 672/3/1 | 0.138 |
| 2 | 672/3/2 | |
| 3 | 672/4 | 0.140 |
| 4 | 673/2 | 0.010 |
| कुल योग :- | | 0.288 हे. |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना म.प्र. द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत मौहारी वितरिका के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.